लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

Preservation Unit
Fumigated
On
Parliament Library

[खंड 12 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XII contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 13, बुधवार, 29 मार्च, 1972/9 चैत्र, 1894 (शक)
No. 13, Wednesday, March 29, 1972/Chaitra 9, 1894 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Page
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
181 यूनाइटेड किंगडम और नेदरलैंड से संयंत्रों का भारत में स्थानान्तरण	Shifting of Plants from U.K. and Netherlands to India	1—2
183 गुजरात का औद्योगिक विकास	Industrial Development of Gujarat	2—4
184 लघु उद्योगों को वाणिज्यिक, तकनीकी तथा प्रबन्ध सम्बन्धी परामर्श सेवा देने के लिये शीर्ष (एपेक्स) संगठन	Apex Organisation to provide Commercial Technical and Management consultancy service to Small Scale Industries	4—5
185 समाचार पत्रों में विज्ञापनों के लिये 40 प्रतिशत स्थान सीमित करना	Limit of Advertisement in News papers to 40 per cent of space	5—6
186 दल बदल रोकने के लिये कानून	Legislation to prevent defections	6—8
191 सीमेन्ट के उत्पादन के लिये आवेदन पत्र	Applications for manufacture of Cement	8—10
192 आधारभूत उद्योगों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Key Industries	10—12
194 भारत तथा ईरान स्थित औद्योगिक एककों के बीच विदेशी सहयोग से त्रिपक्षीय व्यवस्था	Tripartite arrangements between Industrial Units in India and Iran with Foreign collaboration	12—13
195 पश्चिम बंगाल चलचित्र उद्योग का विस्तार	Expansion of West Bengal Film Industry	13—14

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
197	लघु उद्योगों से निर्यात को बढ़ावा देना	Promotion of Export from Small Scale Industries	14—16
199	हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड	Hindustan Paper Corporation Ltd.	16—18

प्रश्नों के लिखित उत्तर — WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
182	गैर सरकारी उद्योगों में निवेश में कमी	Lag in investment in Private Sector Industry	18—19
187	मिर्जा अफजल बेग द्वारा आयोजित प्रैस सम्मेलन	Press Conference convened by Mirza Afzal Beg	19
188	पाँच करोड़ रुपये की राशि से अधिक पूंजी वाले उद्योगों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Industries Having Capital of more than Rs. 5 crores	19
189	दूर संचार के कार्यकरण में सुधार	Revamping of Telecommunication Working	19—20
190	सेना में पोस्टल कोर आरम्भ करना	Introduction of Postal Corps in Army	20—21
193	गैर सरकारी क्षेत्र में अप्रयुक्त लाइसेंस	Un-utilized Licences in Private Sector	21
196	उद्योगों में कच्चे माल की कमी	Shortage of Raw Materials in Industries	21—22
198	जयपुर उद्योग लिमिटेड द्वारा ब्यावर में सीमेंट कारखाने की स्थापना	Setting up of Cement Factory at Beawar by Jaipur Udyog Ltd.	22
200	केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत ग्रामीण दस्तकारी विकास सम्बन्धी परियोजना प्रतिवेदन	Project report for Rural Artisans Development by Kerala Government	22—23

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
1399	त्रिवेन्द्रम के निकट औद्योगिक समूह	Industrial Complex near Trivandrum	23
1400	बड़े व्यापार गृहों में भारतीय प्रशासनिक सेवा और इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारियों के सम्बन्धी प्रबन्ध अधिकारी	Executives of Larger Houses related to IAS and ICS Officers	23

अ० ता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
1401	बिना बारी के टेलीफोन कनेक्शन देना	Sanction of out of turn Telephone Connections	23–24
1402	भारतीय कब्जे के अन्तर्गत पश्चिम पाकिस्तानी क्षेत्रों से सैनिकों की वापसी	Withdrawal of Troops from West Pakistan areas under Indian Occupation	24–25
1403	पश्चिम बंगाल में मजदूर संघों के दमन के बारे में सी. आई. टी. यू. का ज्ञापन	Memorandum from CITU re. suppression of Trade Unions in West Bengal	25
1404	पालघाट, केरल में कृषि औजार यूनिट का बन्द होना	Closure of Agricultural Implements Units at Palghat in Kerala	25
1405	कर्मचारियों के चयन के बारे में संघ लोक सेवा आयोग के साथ वैज्ञानिक विभागों को सम्बद्ध करने के बारे में अध्ययन दल का प्रतिवेदन	Report of the Study Team on Scientific Departments on Association of UPSC in the selection of Personnel	25–26
1406	नेपाली भाषा	Nepali Language	26—27
1407	चौथी योजना के दौरान मध्य प्रदेश में सीमेंट कारखाने की स्थापना	Setting up of Cement Factory in Madhya Pradesh during Fourth Plan	27
1408	लाइसेंसों के लिये मध्य प्रदेश से प्राप्त अनिर्णीत आवेदन पत्र	Pending applications from Madhya Pradesh for licences	27—28
1409	कृष्ण चन्द जोशी द्वारा लिखित वन मानव में हिन्दू देवी देवताओं पर लगाये गए लांछन	Derogatory remarks against Hindu Gods and Goddesses in Van-Manav Written by Krishan Chand Joshi	28
1410	शिक्षा संबंधी विशेषज्ञ दल	Experts Group on Education	28
1411	संदूषण का सामना करने हेतु एक नये विभाग का गठन करना	Creation of a Department to tackle Pollution	29
1412	टाटा जमींदारी उन्मूलन विधेयक	Tata Zamindari Abolition Bill	29
1413	न्यूनतम आयात के लिए अनुदेश	Instructions to minimise Imports	29—30
1414	अखबारी कागज सम्बन्धी परामर्श समिति का प्रतिवेदन	Newsprint Advisory Committee Report	30—31

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
1415	बंगला देश में पाकिस्तानी अत्याचार पर रूपक चित्र	Feature Film on Pak Atrocities in Bangla Desh	31
1416	भूतपूर्व केन्द्रीय विधि मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप	Allegations of Corruption against a former Union Minister of Law	32
1417	1969-70 में देश में प्रति व्यक्ति आय	Per capita Income in the country in 1969-70	32
1418	पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिये धन	Funds for Development of Eastern Zone	32
1419	विदेशी मुद्रा के अनधिकृत लेन देन से हुई हानि	Loss due to Unauthorised Transactions in Foreign Exchange	33
1420	ट्यूबों पर टूथपेस्ट की मात्रा का उल्लेख	Indication regarding Quantity of Tooth Paste on the Tubes	33—34
1421	राज्यों और पूरे देश में प्रति व्यक्ति आय	Per Capita Income in the States and in the Whole Country	34
1423	अमरीकी फर्म द्वारा हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की मशीनों के लिये अघ्यादेश दिया जाना	Order for H.M.T. Machines from U.S. Film	34
1424	भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की अपने राज्यों के बाहर नियुक्ति	Posting of I.A.S. Officers out of their own States	34—35
1425	उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों के विकास के लिये दी गई धनराशि	Funds Provided for the Development Activities of Hill Districts of Uttar Pradesh	35
1426	दिल्ली महानगर परिषद् द्वारा केन्द्रीय सरकार को अनुमोदन के लिये भेजे गये विधेयक	Bills sent by Delhi Metropolitan Council to the Central Government for Approval	35
1427	आत्महत्या के मामलों में वृद्धि के कारण	Causes of increase in Cases of Suicide	35—36
1428	अवन्तिका द्वारा अखबारी कागज की कथित चोर बाजारी	Alleged Sale of Newsprint in Black market by AVANTIKA	36
1429	राजस्थान में डाक सेवा	Postal Service in Rajasthan	36
1430	विदेशी सहयोग करारों का अनुमोदन	Approval of Foreign Collaboration Agreements	37—38
1431	व्यापारिक मोटर गाड़ियों का उत्पादन	Production of Commercial Vehicles	38
1432	पंचवर्षीय ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम	Five Year Rural Water Supply Programme	39—40

अ० ता० प्र० संख्या U. S. Q Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
1433	राज्य विधान सभा के चुनावों में दंगे	Distribuances during Assembly Elections in States	40—41
1434	हाल के चुनावों में हुई राजनीतिक हत्यायें	Political murders committed in recent Elections	41
1435	समाचार पत्र के विज्ञापनों पर कर लगाना	Levy of Tax on Newspaper Advertisements	42
1436	केरल में परमाणु खनिज निक्षेप	Atomic mineral deposits in Kerala	42
1437	ट्रैक्टरों के मूल्य निर्धारित करना	Price fixation of tractors	42—43
1438	निर्यात पर औद्योगिक लाइसेंस सम्बन्धी नीति का विपरीत प्रभाव	Adverse effects of Industrial Licensing Policy on Exports	43
1439	राज्यों की 1972-73 की वार्षिक योजना	Annual plan for State for 1972-73	44—45
1440	मोटर कार किस्म जाँच समिति के निष्कर्ष	Findings of Motor Car Quality Enquiry Committee	45—46
1441	आयात किये गये अखबारी कागज की चोर बाजारी	Blackmarketing in Imported Newsprint	46—47
1442	फिल्म वित्त निगम के निदेशक बोर्ड का पुनर्गठन	Reconstitution of Board of directors, film finance corporation	47 - 48
1443	दिल्ली और गाजियाबाद में टेलीविजन सेट	T.V. Sets in Delhi and Ghaziabad	48
1444	आकाश वाणी में समाचार भारती टेलीप्रिंटर का खराब पड़े रहना	Samachar Bharati Teleprinter in A.I.R. remaining out of order	48—49
1445	बिहार में औद्योगिक लाइसेंस देने के लिये अनिर्णीत आवेदन पत्र	Pending applications for Industrial licences from Bihar	49
1446	साहू जैन, टाटा, बिड़ला और डालमिया के कारखानों का बन्द किया जाना	Closure of Sahu Jain, Tata, Birla and Dalmia Factories	50
1447	भारत के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में उच्च शक्ति प्राप्त बोर्ड	High Powered Board for Natural Resources in India	50
1448	राष्ट्रीय अनुसन्धान प्रयोगशालाओं द्वारा राष्ट्रीय अनुसन्धान और विकास परिषद् को भेजी गई अनुसन्धान योजनायें	Research Schemes handed over by National Research Laboratories to National Research and Development Council	51

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
1449	जाँच व्यूरो द्वारा सरकारी कर्मचारियों पर चलाये गये मुकदमे	Public Servants Prosecuted by C.B.I.	51—52
1450	बेरोजगार वैज्ञानिक	Unemployed Scientists	52—54
1451	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् द्वारा प्रयोगशालाओं और अनुसन्धान संघों का वर्गीकरण	Grouping of Laboratories and Research Associations by CSIR	54—56
1452	मनीआर्डर फार्मों का क्षेत्रीय भाषाओं में छापा जाना	Printing of Money Order Forms in Regional Languages	56—57
1453	केन्द्र राज्य सम्बन्धों के बारे में राजामन्नार समिति	Rajamannar Committeeon Centre-State Relations	57
1454	हाल के चुनावों के दौरान राज्यों में साम्प्रदायिक दंगे	Communal Riots in States during recent Elections	:7
1455	राष्ट्रीय एकता सम्बन्धी कार्य करने वाले संगठनों को अनुदान	Grants to Organisations doing National Integration work	57—58
1457	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में रूस के सहयोग से घड़ियों का निर्माण	Manufacture of watches in HMT with Soviet Collaboration	58
1458	घड़ियों की मांग	Demand for Watches	58
1459	दिल्ली में विभिन्न व्यक्तियों को लिखे गये 132 पत्रों का एक ही पते पर वितरण करने के सम्बन्ध में जाँच	Enquiry regarding Delivery of 132 Letters addressed to different Persons at one Address at Delhi	58—59
1460	भू उपग्रह केन्द्र, आरबी के माध्यम से भारत कनाडा टेलीफोन सेवा	India Canada Telephone Service via Satellite Earth Station, Arvi	59—60
1461	कांग्रेस दल द्वारा 9 अगस्त 1971 को दिल्ली में निकाले गये जलूस का आकाशवाणी द्वारा आंखों देखा हाल प्रसारित करना	A. I. R. running commentary on Congress Party procession on 9-8-1971 in Delhi	60—61
1462	देश में राजभवन	Raj Bhavans in the Country	61
1463	अमृतसर में टेलीविजन केन्द्र	T. V. Station at Amritsar	61

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
1464	सीमा सुरक्षा दल के कर्मचारियों को जीवन बीमा कराने की अनुमति	Permission to B. S. F. personnel to get their lives insured	62
1465	सैनिक अस्पतालों को दान में दिये गये लाइसेंस शुल्क से मुक्त टेलीविजन तथा रेडियो सेट	T. V. and Radio sets donated to Military Hospital without licence fee	62
1466	बड़े औद्योगिक गृहों को औद्योगिक लाइसेंसों का जारी किया जाना	Issue of Industrial licences to larger Industrial Houses	62
1467	रूसी सहयोग से पश्चिम बंगाल में घड़ी के कारखाने की स्थापना	Setting up of watch factory in West Bengal with Soviet Collaboration	62—63
1468	जनसंख्या के हिसाब से डाकघर	Population Post office ratio	63
1469	धूम्रपान और मद्यपान सम्बन्धी विज्ञापनों पर रोक	Ban on advertisement on smoking and drinking	63
1470	गैर सरकारी क्षेत्र में विदेशी सहयोग सम्बन्धी करार	Foreign Collaboration agreements in Private Sector	63
1471	हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा संकटग्रस्त कागज मिलों को अपने नियंत्रण में लेना	Take over of sick paper mills by Hindustan Paper Corporation Ltd.	63—64
1473	प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया के विरुद्ध जांच का परिणाम	Outcome of Inquiry against PTI	64
1474	सरकारी कर्मचारियों के लिये हिन्दी शिक्षण योजना	Hindi teaching scheme for Government Employees	64—65
1475	लघु तथा मध्यम दर्जे के उद्योगों को लाभ	Benefits to Small and medium industries	65
1476	'वाटर एण्ड दी लैंड' नामक पुरस्कार विजेता वृत्त चित्र	Award Winning Documentary Entitled "Water and the Land."	65—66
1477	उत्तर प्रदेश में पहाड़ी जिलों का विकास	Development of Hill Districts of U.P.	66
1478	उत्तर प्रदेश में लघु उद्योग क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना	Establishment of Industries in Small Scale Sector in Uttar Pradesh	66—67

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1479	आई० सी० एस० अधिकारियों की सेवा-वधि में वृद्धि	Extension of Service of ICS Officers	67
1480	औद्योगिक लाइसेंस नीति का प्रभाव	Impact of Industrial Licensing Policy	67—68
1481	राज्यों की वार्षिक योजनाएं	Annual Plans for States	68
1482	विदेशी राष्ट्रिकों को भारतीय राष्ट्रिकता का प्रदान किया जाना	Grant of Indian Nationality to foreign Nationals	68—69
1483	मध्य प्रदेश का औद्योगिक विकास	Industrial Development of Madhya Pradesh	69—70
1484	सरकारी कर्मचारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में भाग लेने की अनुमति देना	Permission to Government Employees to complete for IAS Examination	70
1485	पांचवीं पंचवर्षीय योजना का बनाया जाना	Formulation of Fifth Five Year Plan	70—71
1486	केन्द्रीय सेवा में अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जन जातियां	Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Central Services	71
1487	केरल में अदूर निर्वाचन क्षेत्र के लिये विशेष कार्यक्रम	Special Programme for Adoor Constituency in Kerala	71
1488	केरल के पिछड़े क्षेत्र	Backward area in Kerala	72
1489	चौथी पंचवर्षीय योजना में केरल के लिये नियत राशि में कमी करना	Curtailment of Funds Allocated to Kerala for Fourth Five Year Plan	72—73
1490	केरल में लघु उद्योगों को लोहा तथा इस्पात की सप्लाई	Supply of Iron and Steel to Small Scale Industries in Kerala	73
1491	भारत बंगला देश के बीच डाक, टेलीफोन और तार सुविधायें	Indo-Bangladesh Postal, Telegraphic and Telephonic Services	73—74
1492	निजी थैलियां समाप्त किये जाने के बाद भूतपूर्व शासकों को निजी थैलियों की अदायगी	Payment of Privy purses to former Rulers after their Abolition	74
1493	भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्टेट सिविल सर्विस के अधिकारियों की पदोन्नति के कोटे में वृद्धि	Increase in Promotion Quota of IAS Officers from State Civil Service	74—75

1494 खण्डवा (मध्य प्रदेश) में औद्योगिक बस्ती की स्थापना	Setting up of Industrial Estate in Khandwa (Madhya Pradesh)	75
1495 तमिलनाडु में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मारे गये छापे	Raids Conducted by the Enforcement Directorate in Tamil Nadu	75
1496 नेपा नगर (मध्य प्रदेश) में कागज मिल का विस्तार	Expansion of Paper Mill at Nepanagar (M.P.)	75—76
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	76
भिक्षुणियां बनाने के लिये केरल से लड़कियों को यूरोप भेजने का धन्धा पुनः आरम्भ किये जाने का समाचार	Reported resumption of non-running from Kerala to Europe	76
श्री आर. के. सिंह	Shri R. K. Singh	76—77
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh	77—79
कानपुर में स्वदेशी काटन मिल्स और जे. के. काटन एण्ड स्पिनिंग मिल्स में हड़ताल के बारे में	Re. Strike in Swadeshi Cotton Mills and J.K. Cotton and Spinning Mills in Kanpur	79
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	80
भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक पुरः स्थापित	Contingency Fund of India (Amendment) Bill—Introduced	81
भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1972 के बारे में विवरण	Statement re. Contingency Fund of India (Amendment) Ordinance, 1972	81
भारतीय तांबा निगम (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक-पुरः स्थापित	Indian Copper Corporation (Taking over of Management) Bill Introduced	82
भारतीय तांबा निगम (उ० प्रबन्ध ग्रहण) अध्यादेश, 1972 के बारे में विवरण	Statement re. Indian Copper Corporation (Taking over of Management) Ordinance, 1972	82
दिल्ली सहकारी सोसाइटी विधेयक-पुरः स्थापित	Delhi Cooperative Societies Bill—Introduced	82
समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकार विधेयक	Marine Products Export Development Authority Bill	83

विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	83
श्री राम चन्द्रन कडनापल्ली	Shri Ramachandran Kadnanappalli	83
श्री एस. डी. सोमसुन्द्ररम्	Shri S. D. Somasundaram	83—85
श्री बी. वी. नायका	Shri B. V. Naik	85
श्री शिवनाथ सिंह	Shri Shivnath Singh	86
श्री के. पी. उन्नी कृष्णन्	Shri K.P. Unnikrishnan	86
श्री धामनकर	Shri Dhamankar	87
श्री डी. के. पन्डा	Shri D. K. Panda	88
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan	88
श्री ए. सी. जार्ज	Shri A. C. George	88
खंड 2 से 34 और 1	Clauses 2 to 34 and 1	
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	88
श्री सी. जनार्दन	Shri C. Janardhanan	
श्री के. सूर्यनारायण	Shri K. Suryanarayana	
श्री. ए. सी. जार्ज	Shri A. C. George	90
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	Motion of Thanks on President's Address	93—96
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	96
श्री नवल किशोर शर्मा	Shri Nawal Kishore Sharma	96
श्री इन्दु लाल याज्ञिक	Shri Indulal Yajnik	97
डा. कर्णी सिंह	Dr. Karni Singh	98—100
श्री राजा कुलकर्णी	Shri Raja Kulkarni	100
श्री के. बालदन्डायुतम	Shri K. Baladhandayutham	104

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
श्री मौहम्मद जमीलुर्रहमान	Shri Md. Jamilurrahman	104
प्रो. एस. एल. सक्सेना	Prof. S. L. Saksena	105
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan	105—106
भारत और बंगला देश के बीच हुए व्यापार समझौते के बारे में वक्तव्य	Statement re. Trade Agreement between India and Bangla Desh	106
श्री एल. एन. मिश्र	Shri L. N. Mishra	107

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 29 मार्च, 1972/9 चैत्र, 1894 (शक)
Wednesday, March 29, 1972/Chaitra 9, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

यूनाइटेड किंगडम और नेदरलैंड से संयंत्रों का भारत में स्थानान्तरण

†
*181. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3 यूनाइटेड किंगडम और 1 डच फर्म ने विदेशों में अपना निर्माण कार्य बन्द करके भारत सरकार द्वारा अनुमोदित एक-एकमुश्त समझौते के अन्तर्गत अपने संयंत्रों को भारत में स्थानान्तरित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की मुख्य शर्तें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) और (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1570/72]**

श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या विभिन्न देशों से संयंत्रों के भारत में लाने से विदेशों में स्थित कम्पनियों तथा संयंत्रों को भारत में स्थानान्तरित करने की अनुमति न देने सम्बन्धी औद्योगिक विकास नीति में किसी परिवर्तन का पता चलता है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय अन्य प्रस्तावों पर भी बातचीत कर रहे हैं; और यदि हां, तो कौन कौन से कारखानों के बारे में बातचीत हो रही हैं ।

श्री मोइनुल हक चौधरी : भारत सरकार के औद्योगिक नीति संकल्प में कोई परिवर्तन नहीं आया है । प्रत्येक मामले की उसके गुण दोषों के आधार पर जांच की जायेगी । यह मामला

निर्यात प्रधान योजना के रूप में विदेश व्यापार मंत्रालय द्वारा प्रायोजित किया गया था। प्रत्येक मामले की उसके गुण दोषों के आधार पर जांच की गई। हमने महसूस किया कि यह देश के हितों में लाभकारी होगा और इसीलिए इन पर स्वीकृति दी गई थी। ऐसे दो या तीन मामले सरकार के विचाराधीन हैं।

श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : व्यापार विकास अधिकरण ने बताया है कि 25 मामलों के बारे में बातचीत चल रही है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि भारत में आयात किए जाने वाले कारखानों पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी। क्या यह निर्यात से पूरे होने वाले आस्थगित भुगतान के रूप में होगा अथवा इसका भुगतान किया जायेगा और फिर निर्यात होगा ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : यदि यह प्रश्न अलग से किया जाए, जिसका उत्तर विदेश व्यापार मंत्रालय देगा, तो इसका उत्तर दिया जा सकता है, हो सकता है, उनके पास कोई प्रस्ताव हो, परन्तु जब तक यह मेरे मंत्रालय में नहीं भेजा जायेगा, मैं इस पर विचार नहीं कर सकता।

श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : मेरा प्रश्न बहुत साधारण है। इसमें विदेशी मुद्रा भुगतान का मामला शामिल है। क्या यह किए जाने वाले निर्यात से आस्थगित भुगतान के आधार पर होगा अथवा भुगतान पहले होगा और निर्यात बाद में ?

अध्यक्ष महोदय : भुगतान की शर्त क्या है ? इनका यह प्रश्न है।

श्री मोईनुल हक चौधरी : विभिन्न मामलों में विभिन्न प्रकार की शर्तें होती हैं। जैसे कुछ मामले ऋण के आधार पर होते हैं। इनका उल्लेख मैंने अपने वक्तव्य में किया है।

गुजरात का औद्योगिक विकास

*183 **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के मार्ग में आने वाली सभी "बाधाओं" को दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने कुछ प्रस्ताव किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपाय करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : माननीय सदस्य ने गुजरात में उद्योगों के विकास में बाधाओं का जो उल्लेख किया है यह स्पष्ट नहीं है। औद्योगिक नीति सम्पूर्ण देश पर लागु होने के लिए निर्धारित की जानी है। गुजरात राज्य के लिए कोई पृथक अभ्युपाय प्रस्तावित नहीं किए गये हैं।

श्री प्रभुदास पटेल : राज्य में उद्योगों के विकास में बहुत बड़ी बाधाएं हैं; जैसे विद्युत की कमी, कोयले की अपर्याप्त और विलम्ब से सप्लाई होना आदि आदि। इस बारे में सम्बन्धित मंत्रालय द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : विद्युत की कमी अथवा कोयले की कमी का मामला इस मंत्रालय से सम्बन्धित नहीं है। यदि गुजरात राज्य सरकार द्वारा इन मामलों की ओर सम्बन्धित मंत्रालय का ध्यान दिलाया जाये तो, अवश्य ही इन पर ध्यान दिया जायेगा।

श्री प्रभुदास पटेल : यदि इस मंत्रालय का इन बातों से कोई सम्बन्ध नहीं है, तो क्या मंत्री महोदय मुझे यह बताने की कृपा करेंगे कि गुजरात में सप्लाई किए गये अवशिष्ट ईंधन तेल के मामले में मंत्रालय का क्या कार्यवाही करने का विचार है। मूल्य निर्धारित नहीं किए गये हैं और गत अनेक वर्षों से यह प्रश्न अनिर्णीत पड़ा है।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : इस बारे में पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय द्वारा कार्यवाही की जा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न सम्बन्धित मंत्रालय को भेजा जाना चाहिए था। इस मंत्रालय से इस प्रश्न का कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री प्रभुदास पटेल : अन्ततोगत्वा, यह औद्योगिक मंत्रालय से भी सम्बद्ध है।

अध्यक्ष महोदय : अन्ततोगत्वा इसका तो सम्पूर्ण मंत्रिमण्डल से सम्बन्ध है। परन्तु यह प्रश्न तो सम्बन्धित मंत्री को ही भेजा जाना चाहिये था।

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister has stated that no separate proposals have been made for Gujarat State, but the industrial policy is formulated for the whole country, I want to know as to whether any investigation has been made in the matter of sick industries, because the industrialists have diverted their capital to other industries. In order to get funds from the Government the industrialists have shown their industries as running into loss.

Mr. Speaker : It is not necessary for the hon. Member to put supplementary ?

Shri Hukam Chand Kachwai : I have been elected of sent here for this very purpose. so far as industrial development is concerned, a number of industries are sick. It is because they want to get money from Government.

श्री पी० के० घोष : माननीय मंत्री ने बताया है कि विद्युत और कोयले की कमी सम्बन्धी प्रश्नों का उनके मंत्रालय से कोई सम्बन्ध नहीं है, अपितु यह मामला तो राज्य सरकार से सम्बन्धित है...

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : मैंने यह नहीं कहा है।

श्री पी० के० घोष : मैं यह जानना चाहता हूं कि इन कमियों को दूर करने के लिए औद्योगिक विकास मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने कहा है कि यह बात राज्य सरकार के ध्यान में लाई जानी चाहिये की। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने ध्यान से उनकी बात नहीं सुनी है।

श्री पी० के० घोष : उद्योगों के विकास सम्बन्धी मामले औद्योगिक विकास मंत्रालय के अन्तर्गत आते है। इस सम्बन्ध में यदि कुछ कठिनाई है. तो भारत सरकार को स्वयं यह मामला उठाना चाहिये था।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : दो बाते हैं। एक तो विद्युत की कमी और दूसरी कोयले की कमी।

जहां तक विद्युत की कमी का प्रश्न है, राज्य सरकार को इस मामले पर सिंचाई और विद्युत मंत्रालय से बातचीत करनी चाहिए और कोयले की कमी के मामले पर इस्पात और खान मंत्रालय से बातचीत करनी चाहिए। जब तक ये मामले इन विषयों से सीधा सम्बन्ध रखने वाले मंत्रालयों के ध्यान में नहीं लाये जायेंगे, तब तक इन पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य समझते हैं कि उद्योगों से सम्बन्धित प्रत्येक मामला इस मंत्रालय के अन्तर्गत आता है। परन्तु मंत्री महोदय का उत्तर भी ठीक ही है।

श्री एच. एम. पटेल : निश्चय ही सरकार के मंत्रालय इस प्रकार विभक्त रूप से काम नहीं करते कि उद्योगों के विकास से सम्बन्धित मंत्रालय औद्योगिक विकास सम्बन्धी मामलों का अनुशीलन नहीं करे। यह मंत्रालय विद्युत की कमी, कोयले की कमी तथा अन्य कठिनाइयों के कारणों का पता क्यों नहीं लगाता ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : मेरे माननीय मित्र का अनुमान है कि इन मामलों की ओर हमारा ध्यान दिलाया गया है। इन मामलों की हमें कोई जानकरी नहीं है। मेरे सहयोगी ने उत्तर दिया कि यदि राज्य सरकार ने ये मामले सम्बन्धित मंत्रालयों अथवा हमारे पास भेजे होते तो वास्तव में इन पर ध्यान दिया जाता। किन्तु सरकार एक विभाग के रूप में कार्य नहीं करती है।

लघु उद्योगों को वाणिज्यिक, तकनीकी तथा प्रबन्ध सम्बन्धी परामर्श सेवा देने के लिए शीर्ष (एपेक्स) संगठन

†

***184. श्री सी० जनार्दनन :**
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि राष्ट्रीय युवा उद्यमकर्त्ता संगठन (नेशनल एलाएन्स आफ यंग एन्टरप्रिन्यूर्स) द्वारा आयोजित गोष्ठी में यह निर्णय किया गया था कि सरकार से छोटे पैमाने के उद्यमकर्त्ताओं को वाणिज्यिक, तकनीकी तथा प्रबन्ध सम्बन्धी परामर्श सेवा देने के लिए एक शीर्ष (एपेक्स) संगठन स्थापित करने की सिफारिश की जाये;

(ख) यदि हां, तो सिफारिश की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) राष्ट्रीय युवक उद्यमकर्त्ता संगठन ने 26 तथा 27 फरवरी, 1972 को दिल्ली में परामर्शदात्री सेवाओं पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की थी। सरकार को राष्ट्रीय युवक उद्यमकर्त्ता संगठन से संगोष्ठी में की गई सिफारिशों के बारे में कोई पत्र नहीं मिला है।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

श्री सी० जनार्दनन : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश भर में हमारे नये और

युवा उद्यमकर्त्ताओं को नये उद्योग आरम्भ करने में अनुभव के अभाव के कारण अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है और यह कि सरकार देश का औद्योगीकरण करने के लिए इतनी उत्सुक है, क्या सरकार नये उद्योगों की सहायता के लिए एक ऐसे संगठन के गठन के मामले पर विचार करेगी ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : लघु उद्योग विकास संगठन के नाम से एक संस्था पहले से ही विद्यमान है जो यह कार्य कर रही है। लगभग सब राज्यों में इसके अपने कार्यालय हैं। हमने हाल ही में केन्द्रीय संगठन एवं इसके राज्य-एककों को ये अनुदेश जारी किए हैं कि नये और युवा उद्यमकर्त्ताओं की सहायता की जाए।

श्री सी० जनार्दनन : मैं यह भली प्रकार जानता हूं कि ऐसा एक संगठन है और कुछ राज्यों में कुछ अन्य संगठन भी उभर रहे हैं। परन्तु वस्तुतः ये उद्योगपत्तियों की सहायता नहीं कर रहे हैं। इसी कारण मैंने प्रश्न किया है कि क्या सरकार समस्त राज्यों में ऐसे संगठनों का गठन कर सारे देशभर में इन उद्योगों की सहायता करने हेतु कोई ठोस कार्यवाही करेगी जिससे कि उद्योगपतियों से ऐसी शिकायतें न आयें।

अध्यक्ष महोदय : यह तो कार्यवाही करने के लिए सुझाव है।

समाचार-पत्रों में विज्ञापनों के लिए 40 प्रतिशत स्थान सीमित करना

*185. **श्री झारखन्डे राय** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार-पत्रों से यह सिफारिश की गई है कि वे स्वेच्छा से विज्ञापनों को कुल स्थान के 40 प्रतिशत तक सीमित रखें;

(ख) यदि हाँ, तो इस सिफारिश की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या इसे कार्यान्वित किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सतपथी) : (क) : जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

Shri Jharkhanda Rai : May I know whether it has been brought to the notice of the Government and the Government have been informed of the complaint that many of the national, regional and local news-papers utilise three-fourth of the news paper space for advertisements ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : जी, नहीं यह सच नहीं है कि अखबारों का तीन चौथाई स्थान विज्ञापनों के उपयोग में लाया जा रहा है। परन्तु यह सच है कि हमें भिन्न-भिन्न पार्टियों से शिकायतें मिलती हैं कि अखबारों में विज्ञापन के काम में लिया गया स्थान उचित नहीं है।

Shri Jharkhanda Rai : The Goverment have accepted that they have received such complaints. May I know whether Government are contemplating to bring forward a Bill in Lok Sabha in this respect, if so, when and if not, why ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : सरकार एक तथ्य-निरूपण समिति का गठन करने पर विचार कर रही है जो समाचार-पत्रों की आर्थिक स्थिति की विस्तारपूर्वक जांच करेगी। जब उसका प्रतिवेदन मिल जायेगा तो आगे की कार्यवाही पर विचार किया जायेगा।

श्री अनन्तराव पाटिल : समाचार-पत्रों में विज्ञापनों के स्थान के लिए न तो स्वैच्छिक सीमा है और न ही कानूनी। प्रेस आयोग ने इस बारे में अधिकतम 40 प्रतिशत स्थान की सिफारिश की थी परन्तु इस समय हम देखते हैं कि समाचार-पत्रों में 80 प्रतिशत स्थान में विज्ञापन होते हैं। हमें यह भी याद रखना है कि हम अखबारी कागज का विदेशों से आयात कर रहे हैं और विज्ञापनों के लिए इतना अधिक स्थान देने का तात्पर्य यह है कि अन्य समाचार-पत्रों को कम अखबारी कागज मिलेगा। गत सत्र में यह आश्वासन दिया गया था कि एक तथ्य-निरूपण समिति गठित की जायेगी। प्रेस आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने अथवा विज्ञापनों पर कर लगाने के लिए सरकार का क्या ठोस कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : प्रेस आयोग की सिफारिश यह थी कि समाचार-पत्रों को चाहिए कि वे स्वयं स्वेच्छापूर्वक 40 प्रतिशत स्थान विज्ञापनों को दें और 60 प्रतिशत स्थान समाचारों को दें। परन्तु उसकी सिफारिश को आज 17-18 वष हो गये हैं और इस अवधि के बीच स्वभावत: कई परिवर्तन हुए हैं हमारा विचार है कि तथ्य-निरूपण समिति शीघ्र ही सभवतया एक सप्ताह में ही गठित की जाये, जो इनकी आर्थिक स्थिति की विस्तारपूर्वक जांच करेगी। जैसा कि मैं पहले ही कह चुकी हूं, उसका प्रतिवेदन मिलने पर हम इस बारे में निर्णय करेंगे।

दल-बदल रोकने के लिए कानून

*186. **श्री निहार लास्कर** :
श्री एस० एम० बनर्जी :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दल-बदल रोकने के लिए संसद के समक्ष एक विधेयक लाने के विषय में सरकार विचार कर रही है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सभी राजनैतिक दलों से विचार-विमर्श किया जा रहा है अथवा किया गया है; और

(ग) इस समय मामले की क्या स्थिति है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, श्रीमान्

(ख) दल बदल सम्बन्धी समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर जो विधायी प्रस्ताव तैयार किये गये थे उन पर प्रधान मन्त्री द्वारा राजनैतिक दलों के नेताओं के साथ 10 दिसम्बर, 1970 को विचार-विमर्श किया गया था। चूंकि विचार-विमर्श से कोई निष्कर्ष नहीं निकला अत: प्रधान मन्त्री ने नेताओं को लिखा था जिसमें उन्होंने उनसे किये गये विचार-विमर्श के दौरान उठाई गई कई बातों को स्पष्ट किया था और उनसे अपनी विशिष्ट प्रतिक्रियाएं भेजने को कहा था। कुछ नेताओं से उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) : विधायी प्रस्तावों के बारे में मुख्य मन्त्रियों के विचार प्राप्त हो गये हैं तथा उनकी जांच की जा रही है।

श्री निहार लास्कर : क्योंकि कुछ राजनैतिक नेताओं ने, जिनको प्रधान मन्त्री ने पत्र लिखा था, अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत नहीं की हैं क्या मैं जान सकता हूं कि वे अब तक किन-किन बातों पर सहमत नहीं हुए हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जिन्होंने प्रधान मन्त्री को पत्र नहीं लिखा है, उनके बारे में मेरे लिये यह कहना कठिन है कि वे किन-किन बातों पर सहमत नहीं हुये हैं। परन्तु विरोधी दल के नेताओं की प्रधान मन्त्री के साथ हुई बैठक में दो मुख्य बातें उत्पन्न हुईं : एक तो यह थी कि क्या दल-बदल करने वाले व्यक्ति को एक वर्ष तक किसी पद पर कार्य करने के लिए अनर्ह घोषित करना पर्याप्त है तथा दूसरी बात यह थी कि क्या उसे सदन की सदस्यता से अनर्ह घोषित करने जैसी कोई कठोर कार्यवाही करना आवश्यक है ? दूसरी बात दल-बदल करने वाले व्यक्ति की परिभाषा से सम्बन्धित थी। इन दो बातों पर थोड़ी चर्चा हुई थी।

श्री निहार लास्कर : क्या उन दल-नेताओं के नाम बताना संभव है जिन्होंने अभी तक अपनी टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : अकाली दल, इण्डियन यूनियन, मुस्लिम लीग, फारवर्ड ब्लाक तथा द्रमुक के नेताओं ने प्रधान मन्त्री के पत्र का उत्तर नहीं दिया है।

कुछ माननीय सदस्य — **खड़े हुए**

अध्यक्ष महोदय : क्या आप समझते हैं कि गत चुनावों के बाद दल-बदल ? **(व्यवधान)**

Shri S. M. Banerjee : In view of the last elections, there is no liklehood of defection from that side to this side, the question of defection from this side may arise...

Shri Bhagwat Jha Azad : We do not need.

Shri S. M. Banerjee : May I know whether a person leaves any communal party and joins a non-communal party, will he be called a defector ? (व्यवधान)

मैं दल-बदल की परिभाषा जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही के लिए बहुत अच्छा सुझाव है।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या अन्तिम निर्णय करने से पूर्व दल-बदल की परिभाषा पर पुनर्विचार किया जायेगा, क्योंकि हम ऐसे काम नहीं चला सकते ? उदाहरणार्थ, विभीषण लंका छोड़कर राम के समूह में आ गया और उसे समूह बदलने वाला नहीं कहा गया। **(व्यवधान)**

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जब यह कानून सदन के सामने आयेगा तो श्री बनर्जी को अपना सारा कौशल प्रयोग करने का अवसर मिलेगा। इस बीच हमारा यह देखने का प्रयास रहेगा कि लोग विरोधी दल के पदों को न छोड़ें **(व्यवधान)**

प्रो० नारायण चन्द्र पाराशर : क्या दल-बदल की परिभाषा निर्दलीय सदस्यों पर भी लागू होगी अथवा जैसा कि यहाँ प्रश्न में उल्लेख किया गया है, केवल राजनीतिक दलों पर ही लागू होगी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जब सदन के समक्ष कानून लाया जायेगा, तब सदन अन्तिम दृष्टिकोण अपनायेगा। परन्तु दल-बदल सम्बन्धी समिति ने जो सिद्धान्त स्वीकार किये हैं, उनके अनुसार निर्दलीय सदस्य उस परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

Shri Ramavatar Shastri : May I know whether some of the defectors were given tickets during last elections in Bihar and they have been returned ? It is also a fact that the chronic defectors of Bihar are being considered to be taken in the Cabinet ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न ही नहीं उठता, यह संगत नहीं है ।

Shri Ramavatar Shastri : Mr. Speaker. Sir, how it is not relevant ? Please, manage for its reply. Such people are being made ministers who have been defecting and a sum of rupees thirty lakhs as royalty is also outstanding against a brother of theirs.

अध्यक्ष महोदय : आप बिहार के बारे में विशेष प्रश्न पूछ रहे हैं । यहां पर प्रश्न बिहार के बारे में नहीं, कानून बनाने के बारे में है । आपको सभी प्रश्नों में बिहार को नहीं लाना चाहिए ।

Shri Ramavatar Shastri : Mr. Speaker, Sir, why do you shield such people ? Defection is not going to be stopped in this way. Please ask for a reply.

Mr. Speaker : When the Chair says, it is not relevant, why do you insist ?

Shri Ramavatar Shastri : Mr. Speaker, Sir, can this question be not asked ? We know that efforts are going on to take Shankar Dayal Singh in the cabinet.

अध्यक्ष महोदय : कृपया, शान्त रहिए । आप चाहे जो कुछ बोलें, वह कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे : मन्त्री महोदय ने कहा है कि निर्दलीय सदस्य दल-बदल की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आते हैं । क्या वे विद्रोही उम्मीदवार इस परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं जो दल की परवाह नहीं करते हैं तथा बाद में सफल हो जाते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : ये काल्पनिक प्रश्न हैं । नियमानुसार उन्हें अनुमति नहीं दी जा सकती है ।

सीमेन्ट के उत्पादन के लिए आवेदन-पत्र

*191. **श्री पम्पन गौडा** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेन्ट का उत्पादन करने के लिए सरकार को अनेक आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनमें से कितने आवेदन-पत्र नये उद्यमों के लिए हैं और कितने आवेदन वर्तमान क्षमता में वृद्धि के लिये हैं; और

(ग) प्रत्येक आवेदन-पत्र में कितनी-कितनी क्षमता के लिए अनुमति मांगी गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) 53 आवेदन पत्र सीमेंट के नये कारखानों की स्थापना के लिए हैं और 34 आवेदन पत्र सीमेंट के विद्यमान कारखानों का विस्तार करने के लिए हैं ।

(ग) नये कारखानों के लिए 186·8 लाख मी० टन और विस्तार के लिए 86 लाख मी० टन क्षमता की प्रार्थना की गई है ।

श्री पम्पन गौडा : सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र में कितने-कितने प्रतिशत उत्पादन होता है ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : सरकार क्षेत्र के सीमेंट कारखाने अभी आरम्भ हुए हैं। अधिकांश उत्पादन गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखानों में होता है।

श्री पम्पन गौडा : क्या विद्यमान कारखाने अपनी अधिष्ठापित क्षमता के अनुसार कार्य कर रहे हैं; यदि नहीं, तो उनके चलने में क्या-क्या बाधाएं हैं ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : अधिकांश कारखाने अधिष्ठापित क्षमता के अनुसार चल रहे हैं। एक-दो कारखानों में बिजली की कमी है। अन्यथा वे भी अधिष्ठापित क्षमता के अनुसार चल रहे हैं।

Shri Nawal Kishore Sharma : May I known the details of the pending applications about setting up of cement industry in Rajasthan and the action being taken thereon ?

Shri Siddheshwar Prasad : The applications pending in Rajasthan are : Keshoram Cement, Delhi Cloth & General Mills Company Ltd., B. N. Bhaskar, New Delhi and Associated Cement Companies Limited.

Shri Nawal Kishore Sinha : What about Bihar ?

Shri Nawal Kishore Sharma : The hon. Minister has not said anything about the action being taken on the pending applications ?

Shri Siddheshwar Prasad : All those applications are under consideration.

Shri Lalji Bhai : May I know the time by which these applications will be disposed of ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : हम इन सब मामलों को लाइसेंसिंग समिति के पास भेजने के लिए कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री सुबोध हन्सदा : क्या पश्चिम बंगाल राज्य से पुसलिया जिले में कोई कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई आवेदन-पत्र मिला है, और यदि हां, तो उस आवेदन-पत्र के बारे में क्या किया जा रहा है।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : ऐसा कोई आवेदन-पत्र विचाराधीन नहीं है।

Shrimati Sahodrabai Rai : In Madhya Pradesh a Cement Factory at Sagen, Damoh was sanctioned previously. Why about that ? Will it start or not ?

Shri Siddheshwar Prasad : A Cement Factory has been started at Mandhar in Madhya Pradesh and permission has recently been given to increase its capacity. It is being considered to open Cement factories at Neemuch and other places. The uses of places mentioned by the hon. Member are being looked into.

Shri Maha Deepak Singh Shakya : May I know whether the hon. Minister has received applications from the engineers to the effect that in some factories such cement is produced in which essential ingredients are not mixed in right proportion ?

Mr. Speaker : This question is about the manufacture of cement.

Shri Maha Deepak Singh Shakya : am speaking about inferior quality cement.

Mr. Speaker : Cement has not yet been produced. How it is inferior ?

श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली : क्या देहरादून जिले की सीमेंट परियोजना को अन्तिम निर्णय दे दिया गया है, यदि हां, तो क्या यह सरकारी क्षेत्र में होगी, इसकी उत्पादन क्षमता क्या होगी तथा यह कब स्थापित की जायेगा ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : भारत सीमेंट निगम ने इस सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही की है। इसकी उत्पादन क्षमता 2 लाख मीटरिक टन होगी।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप एक व्यक्ति का नाम लेंगे तो अनुपूरक प्रश्नों का कोई अन्त नहीं होगा। मैं अन्य सदस्यों को नहीं रोक सकता हूं।

श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली : इसकी स्थापना कब की जायेगी ?

Shri Ram Chandra Vikal : Mr. Speaker, Sir, a question was asked last year regarding setting up of Cement Factory at Dehra Dun and it was then started that the effective steps were being taken. After all when this effective step will be taken ? Will the hon. Minister give a catagorical reply as to when the cement factory will start functioning ?

अध्यक्ष महोदय : वह वही प्रश्न पूछ रहे हैं।

Shri B. S. Bhaura : There is no cement factory in Punjab. There was one but that has gone to Haryana......

Mr. Speaker : The question is about the applications, if there is one from Punjab, that will be considered.

आधारभूत उद्योगों का राष्ट्रीयकरण

*192. **श्री बीरेन्द्र सिंह राव**† :
श्री वी० मायावन :

क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गरीबी हटाने के उपाय के रूप में कोई आधारभूत उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 1972-73 में कितने और किन-किन आधारभूत उद्योगों का राष्ट्रीय करण किये जाने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास मन्त्री (श्री मोइनुलहक चौधरी)

(क) इस प्रकार का कोई सामान्य प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : क्या सरकार का विचार भविष्य में किसी समय चीनी, कपड़ा, ट्रक निर्माण, ट्रैक्टर निर्माण, मोटर कार, सीमेंट आदि महत्वपूर्ण उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने का है ? क्या इस सम्बन्ध में कोई विचार किया जा रहा है अथवा महत्वपूर्ण उद्योगों का राष्ट्रीयकरण न करने का निर्णय कर लिया गया है ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : गत सप्ताह राष्ट्रपति के अभिभाषण के सम्बन्ध में राज्य सभा में हुये वाद-विवाद के उत्तर में प्रधानमंत्री ने जो कुछ बताया है सरकार की नीति पर उससे अच्छा प्रकाश सभवतया मैं नहीं डाल सकता। उसका साराँश यह था कि सरकार न तो राष्ट्रीयकरण करने से डरती है और न ही उसके विरुद्ध है। परन्तु राष्ट्रीयकरण सार्वजनिक हित में किसी उद्योग पर नियंत्रण रखने के लिये सरकार के पास साधन रूप में उपलब्ध है। सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार, उद्योग विकास तथा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत उद्योगों को सरकारी अधिकार

में लेने की व्यवस्था, एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम की विनियमित व्यवस्थायें तथा सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों द्वारा अपनाया जाने वाला नियंत्रण सभी संभावित विकल्प हैं, जिन्हें अलग-अलग अथवा एक साथ अपनाया जा सकता है। प्रत्येक मामले तथा प्रत्येक उद्योग के तथ्यों तथा परिस्थितियों को देखते हुये सरकार को निर्णय करना होता है कि क्या इन उपायों को अपनाया जाये अथवा राष्ट्रीयकरण किया जाये। अतः इस मामले पर सरकार निरन्तर विचार कर रही है और परिस्थिति की आवश्यकताओं के अनुसार प्रत्येक मामले का अध्ययन करके निर्णय किया जायेगा।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : मैंने संकटग्रस्त उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के विषय में प्रश्न नहीं पूछा है। मेरा प्रश्न स्पष्ट है, मैं यह जानना चाहता हूं कि गरीबी हटाने के उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुये उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट लाने के लिये क्या कपड़ा, चीनी, ट्रैक्टर आदि महत्वपूर्ण उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जायेगा ?

श्री मोइनुलहक चौधरी : मैं इसका उत्तर दे चुका हूं।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : क्या मुझे यह समझना चाहिये कि देश में उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Shri Sat Pal Kapur : The hon. Minister has replied to Question No. 193, he has not repli d to Question No, 192. Therefore, May I know wheter there is any proposal before his Ministry to takeover any key industry like sugar, steel, cement, Textiles during the current year ?

श्री मोइनुलहक चौधरी : मुझे खेद है कि उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने के सम्बन्ध में जो विशिष्ट योजनायें सरकार के विचाराधीन हैं, उनको मैं नहीं बता सकता।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं मंत्री महोदय से कोई गोपनीय सूचना जानना नहीं चाहता। पश्चिम बंगाल तथा दूसरे राज्यों के संकटग्रस्त उद्योगों के सरकार द्वारा अधिग्रहण कर सकने के सम्बन्ध में हाल ही में एक कानून बनाया गया है। उस अधिनियम के अन्तर्गत सरकार ने कितने एककों का अधिग्रहण किया है ?

श्रीमोइनुल हक चौधरी : यह प्रश्न मूल प्रश्न से नहीं उठता है क्योंकि उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत किया गया अधिग्रहण राष्ट्रीयकरण नहीं है। यह प्रश्न राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में है।

श्री एस० एम० बनर्जी : यदि मंत्री महोदय अपने उत्तर में इतने कठोर हैं तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने दूसरे सदन की कार्यवाही से उद्धरण क्यों दिया है, जो नियमों के अन्तर्गत नहीं दिया जा सकता। अधिग्रहण तथा राष्ट्रीयकरण के मूल भेद से मैं परि चत हूं। क्या सरकार इस अधिनियम के अन्तर्गत कुछ संकटग्रस्त एककों को अधिग्रहीत करने का विचार कर रही है ? यह संगत प्रश्न है, इसी कारण अध्यक्ष महोदय ने इसकी स्वीकृति दी है।

श्री मोइनुलहक चौधरी : इसके लिये पूर्व सूचना दी जानी चाहिये।

श्री जगन्नाथ राव : मंत्री महोदय ने बताया है कि राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में सरकार की कोई नीति नहीं है।

श्री मोइनुल हक चौधरी : नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा है।

श्री जगन्नाथ राव : सरकार की कोई सामान्य नीति नहीं है। जब आवश्यकता होती है, वे तदर्थ निर्णय करते हैं। क्या सरकार का विचार, जैसाकि प्रधान मंत्री ने भारतीय वाणिज्यिक तथा उद्योग मंडल संघ की एक बैठक में सुझाव दिया था, संयुक्त उपक्रम आरम्भ करने का है, जिससे प्रत्येक महत्वपूर्ण उद्योग में सरकार का आर्थिक हित हो और वे उद्योग पर नियंत्रण रख सकें? क्या यह मामला सरकार के विचाराधीन है?

श्री मोइनुल हक चौधरी : सरकार संयुक्त उपक्रमों की सम्भाव्यता का पता लगा रही है। जहां तक स्कूटर संयंत्र का सम्बन्ध हैं, सरकार इसे संयुक्त उपक्रम बनाने का निर्णय कर चुकी है।

Shri Narendra Singh Bh st : May I know the progress made so far regarding nationalization of sugar industry in U.P.

अध्यक्ष महोदय : यह सामान्य प्रश्न है। आप विशिष्ट प्रश्न क्यों पूछते हैं। यदि मैं इसकी अनुमति देता हूं तो मुझे दूसरे राज्यों के सम्बन्ध में प्रश्न पूछने की अनुमति देनी पड़ेगी।

भारत तथा ईरान स्थित औद्योगिक एककों के बीच विदेशी सहयोग से त्रिपक्षीय व्यवस्था

*194. **श्री प्रसन्नभाई मेहता ;**
श्री सी० टी० दण्डपाणि :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा ईरान स्थित औद्योगिक एककों के बीच अन्य देशों के सहयोग से त्रिपक्षीय व्यवस्था करने की सम्भावना के बारे में सरकार जांच कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो किन क्षेत्रों के लिये इस योजना पर विचार किया जा रहा है और इस बारे में कब तक अन्तिम निर्णय ले लिये जाने की आशा है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

वित्त-व्यापार और तकनीकी सहयोग सम्बन्धी भारत-ईरान संयुक्त आयोग की दिसम्बर, 1970 में तेहरान में हुई दसवीं बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुसार दोनों देश की सरकारें औद्योगिक एककों के बीच भारत और ईरान तथा अन्य देशों के सम्मिलित विदेशी सहयोगियों के त्रिपक्षीय सम्बन्ध बढ़ाने की सम्भावनाओं का पता लगा रही है। इस सम्बन्ध में मशीनी औजारों, ट्रैक्टरों, वैक्युम फ्लास्कों, व्यापारिक गाड़ियों आदि का उल्लेख किया गया है। फिर भी अभी मामलों की जांच पड़ताल की जा रही है और अभी तक कोई अन्तिम प्रबन्ध नहीं किए गये हैं।

श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या त्रिपक्षीय व्यवस्था के किसी प्रस्ताव पर चर्चा अथवा विचार किया जा रहा है?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : कुछ विदेशी कम्पनियों के साथ भारत तथा ईरान वाले सहयोग कर

रहे हैं। ऐसे सहयोग कर्त्ताओं के सम्बन्ध में सहयोग की सम्भाव्यता तथा किस सीमा तक सहयोग करना संभव है आदि विषयों पर बातचीत की जा रही है।

श्री प्रसन्नभाई मेहता : उत्तर भ्रमात्मक है, फिर भी मैं दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछता हू। क्या देश में मशीनी औजार आदि का उत्पादन फालतू है तथा त्रिपक्षीय व्यवस्था पद्धति को कब तक अन्तिम रूप दिया जायेगा ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : यह देश में किसी वस्तु के फालतू होने का ही प्रश्न नहीं है, यह अधिकाँशतः एक संयुक्त सहयोग की व्यवस्था है जिससे यह देखना है कि हम भारत तथा ईरान की अर्थव्यवस्था को संयुक्त रूप में कहां तक विकसित कर सकते हैं। इसका दूसरा पहलू यह है कि इनसे पूंजीनिवेश की मात्रा के अनुपात में लाभ हो।

पश्चिम बंगाल चलचित्र उद्योग का विस्तार

*195. **श्री प्रिय रंजनदास मुंशी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल की बंगला देश की क्रान्ति को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल चलचित्र उद्योग की स्थिति और उसके अग्रेतर विस्तार की सम्भावना का वास्तविक मूल्यांकन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या रंगीन फिल्मों की प्रयोगशाला और आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था करने के लिए संकटग्रस्त स्टूडियो को कोई विशिष्ट वित्तीय सहायता दी जा सकती है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) तथा (ख) भारत सरकार द्वारा ऐसा कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने बताया है कि वह अन्य बातों के साथ-साथ फिल्म उद्योग के लिए एक शक्तिशाली प्रौद्योगिक आधार के विकास में सहायता करने के दृष्टिकोण से राज्य के फिल्म उद्योग को आर्थिक सहायता देने के उपायों पर विचार कर रही है।

श्री प्रियरंजनदास मुंशी : समाचार पत्रों में बताया गया है कि बंगला देश की क्रान्ति से वहाँ का फिल्म उद्योग पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गया है और यदि पश्चिम बंगाल में, व्यापारिक समझौते तथा बंगला देश के साथ हमारे सम्बन्धों के अन्तर्गत, फिल्म उद्योग का विकास किया जाये, तो हम फिल्म उद्योग को प्रोत्साहन दे सकते हैं तथा कुछ वृत्तचित्र और अन्य फिल्में अधिक विदेशी मुद्रा कमाने तथा सांस्कृतिक गतिविधियों में सहायता करने के लिये बंगला देश भेज सकते हैं। क्या मंत्री महोदय स्पष्ट रूप में बतायेंगे कि यदि ऐसा नहीं किया गया है, तो क्या इसका तत्काल मूल्यांकन किया जा सकता है, यदि हां, तो क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने कुछ योजनायें केन्द्र को भेजी हैं; क्या मंत्रालय आधुनिक स्टूडियो तथा रंगीन फिल्में तैयार करने वाली प्रयोगशालाओं की स्थापना, जो पूर्वी भारत में उपलब्ध नहीं है, करने के लिये पर्याप्त वित्तीय सहायता देने पर विचार करेगा ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : प्रश्न का पहला भाग व्यापारिक समझौते के अन्तर्गत आता है अतः माननीय सदस्य इस प्रश्न को विदेश व्यापार मंत्री से पूछ सकते हैं। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, पश्चिम बंगाल में फिल्म उद्योग पर सामान्य पर्यवेक्षण रखने तथा वित्तीय

श्रौर श्रन्य प्रकार की सहायता के लिये सरकार से कुछ विशिष्ट मामलों की सिफारिश करने के लिये राज्य सरकार ने एक फिल्म विकास बोर्ड स्थापित करने का सुझाव दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस क्षेत्र में थोड़ा-थोड़ा कार्य करना श्रारम्भ कर दिया है श्रौर यदि वे केन्द्र से कोई श्रनुरोध करते हैं, तो उस पर निश्चय ही विचार किया जायेगा।

Shri Shashi Bhushan : Film iudustry in West Bengal has been considrably damaged during last few months. May I know whether Government propose to give some financial assistance to mobilize this industry ? Besides this a few days back the hon. Minister had announced to produce a colour film on Bangla Desh will it be Bombay in Bombay or in Calcutta ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : बंगला देश की स्वतंत्रता पर बहुत सी फिल्में बनायी जा चुकी हैं। सदस्यों को इन फिल्मों के दिखाने की व्यवस्था भी की जा चुकी है। मुझे श्राशा है, श्रापको इसकी सूचना मिली होगी।

श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : पश्चिमी बंगाल के फिल्म उद्योग के संकट को ध्यान में रखते हुए तथा जैसा कि मंत्री महोदय को भली भांति विदित है कि वहाँ बंगाली फिल्में बनती हैं, क्या सूचना श्रौर प्रसारण मंत्रालय ने बंगला देश को बंगाली फिल्म निर्यात करने का कोई कदम उठाया है श्रौर यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है।

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : जैसा कि मैंने श्री प्रियरंजन दास मुंशी के प्रश्न के उत्तर में बताया है, इस पहलू पर विचार किया गया है श्रौर यह बंगला देश सरकार के साथ किये जाने वाले करार के श्रन्तर्गत श्राता है।

श्री समर गुह : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि पश्चिम बंगाल तथा बंगला देश दोनों स्थानों पर बंगाली फिल्में ही पसन्द की जाती हैं, क्या सरकार भारत बंगला देश फिल्म समारोह का कलकत्ता तथा ढाका दोनों ही स्थानों पर श्रायोजन करेगी ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : यह विचार करने के लिये एक सुझाव है।

श्री मनोरंजन हाजरा : इस समय पश्चिम बंगाल में कितने स्टूडियो बन्द पड़े हैं ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : मेरे पास श्रांकड़े उपलब्ध नहीं है कि कितने स्टूडियो बन्द हो गये हैं। परन्तु मैं इतना बता सकती हूं कि श्रगस्त 1971 में कानून तथा व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति के कारण कलकत्ता के टालीगज क्षेत्र में, जहां बहुत से स्टूडियों तथा प्रयोगशालायें स्थित हैं, कुछ निर्माताश्रों ने फिल्म निर्माण बन्द कर दिया था। जैसा कि सभी जानते हैं, श्रब कलकत्ते की कानून तथा व्यवस्था सम्बन्धी स्थिति में बहुत कुछ सुधार हो गया है, तो धीरे-धीरे फिल्म निर्माता श्रपनी सामान्य गति विधियों की श्रोर श्रा रहे हैं।

लघु उद्योगों से निर्यात को बढ़ावा देना

*197. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या श्रौद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या लघु उद्योगों की उत्पादन क्षमता के श्रनुसार उनके निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार का कोई कार्यवाही करने का विचार है, श्रौर

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

लघु उद्योग विकास संगठन में विशेष रूप से लघु उद्योगों से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक निर्यात संवर्धन निदेशालय स्थापित किया गया है। इस संगठन के निर्यात संवर्धन संबंधी कार्य कलापों में अन्य बातों के साथ-साथ निर्यात योग्य एककों तथा उत्पादकों का निर्धारण करना, निर्यात की संभावनाओं वाले बाजार का पता लगाना, निर्यात प्रशिक्षण तथा परामर्श सेवाएं प्रदान करना, समुद्रपार के देशों के बारे में जानकारी आदि देना शामिल है। सरकार ने लघु उद्योग के उत्पादों के लिये निर्यात उत्पादन के आयोजन हेतु एक कार्यकारी दल भी स्थापित किया है जिसके अध्यक्ष्य विकास आयुक्त, लघु उद्योग हैं। इस दल को चुने हुए लघु उद्योगों के बड़े तथा लघु दोनों स्तरों पर निर्यात उत्पादन के आयोजन का कार्य सौंपा गया है।

लघु उद्योग बोर्ड ने निर्यात प्रयास में लघु उद्योगों द्वारा अनुभव की जा रही समस्याओं का अध्ययन करने तथा उन्हें दूर करने के लिये उपयुक्त उपाय सुझाने हेतु निर्यात संवर्धन संबंधी एक स्थायी समिति का भी गठन किया है।

श्री हरि किशोर सिंह : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इन भिन्न-भिन्न निकायों का गठन कब किया गया था और निर्यात संवर्द्धन निदेशालय द्वारा उसे सौंपे गये कार्यों की पूर्ति के लिये क्या विशिष्ट कार्यवाही की गई है?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : इस समय मेरे पास ठीक तिथि नहीं है। लघु उद्योग विकास संगठन के विभिन्न निकायों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही में विभिन्न देशों में लघु उद्योगों के उत्पादों की मांग आदि के बारे में जानकारी एकत्र करना तथा उसे भेजना और मंडियों के बारे में बताना सम्मिलित है। वे लघु उद्योगों को परामर्श सेवाएं दे रही हैं; निर्यात योग्य लघु उद्योग एककों में विदेशी बाजारों सम्बन्धी उपरिलिखित जानकारी का प्रसार; लघु उद्योगों में निर्यात के प्रति उत्साह पैदा करना लघु उद्योग एककों को निर्यात की दृष्टि से चुनना तथा उन्हें निर्यात सम्बन्धी प्रशिक्षण देना। यह सभी कार्यवाहियां की जा रही हैं।

श्री हरि किशोर सिंह : क्या लघु उद्योगों के उत्पादों के निर्यात उत्पादन आयोजना के कार्यकारी ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और यदि हां, तो सरकार ने उसको क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की है?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : जब तक गुण नियंत्रण में पर्याप्त सुधार नहीं होगा हमारे निर्यात बाजार में वृद्धि नहीं हो सकती। इसलिए लघु उद्योग के क्षेत्र में गुण नियंत्रण लागू किया जा रहा है।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : विशेषत: पिछड़े क्षेत्रों में कई उद्योग निर्यात की क्षमता रखते हैं परन्तु वे तकनीकी जानकारी के अभाव में बढ़ नहीं पा रहे। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इन लघु उद्योगों की, विशेषत: देश के पिछड़े क्षेत्रों के, निर्यात क्षमता का अध्ययन करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : लघु उद्योग सेवा संस्थान एवं राज्यों के उद्योग निदेशालयों को

निदेश दिये गये हैं कि पिछड़े क्षेत्र के लघु उद्योगों को बढ़ावा दें। जैसा कि सदस्य महोदय ने कहा है, जहां भी निर्यात वृद्धि की संभावना होगी, उस पर विचार किया जायेगा।

श्री रण बहादुर सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या लघु उद्योग बोर्ड छोटे उद्योगपतियों को अपने उत्पादों के लिये विदेशों में मंडियों का पता लगाने में सहायता देता है तथा क्या लघु उद्योग बोर्ड उन्हें देश में मंडियों का पता लगाने में मदद करता है ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : यह दोनों बातें की जा रही हैं।

श्री नवल किशोर सिंह : मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास कोई प्रस्ताव लघु उद्योगों के उत्पादों को निर्यात के लिये प्रतिस्थापित करने का है, जैसा कि कई अन्य क्षेत्रों में किया जा रहा है।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : सामान्य नीति के रूप में विदेश व्यापार मंत्रालय कुछ मदों के निर्यात संवर्द्धन के लिये प्रतिस्थापित करने की चेष्टा कर रहा है। इसके लिये इस बात का विचार नहीं किया जाता कि उद्योग लघु क्षेत्र के हैं, मध्यम क्षेत्र के हैं अथवा बड़े उद्योग हैं।

श्री नवल किशोर सिंह : उनका लघु उद्योग के विकास से सम्बन्ध है। मैं, आपकी अनुमति से जानना चाहता हूं कि क्या उनका कोई ऐसा विचार है अथवा उनकी इस बारे में कोई राय है ?

अध्यक्ष महोदय : यदि प्रश्न राय के बारे में है, तो प्रश्न नहीं उठता।

श्री नवल किशोर सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनके समक्ष कोई प्रस्ताव है ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : मुख्यत: इस मंत्रालय के आग्रह पर ही विदेश व्यापार मंत्रालय तथा व्यापार विकास प्राधिकरण लघु उद्योगों के निर्यात को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान देते हैं।

हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड

*199. **श्री शशि भूषण** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड की संरचना का ब्यौरा क्या है; और

(ख) कारपोरेशन की स्थापना कब हुई थी तथा उक्त कारपोरेशन की स्थापना पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड, भारत सरकार का उपक्रम की संरचना निम्न प्रकार से हैं—

1. श्री आबिद हुसैन संयुक्त सचिव औद्योगिक विकास मंत्रालय	अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक
2. श्री पी० डी० कासबेकर संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय	निदेशक

3. श्री ए० एन० राव, निदेशक
विकास अधिकारी (कागज)
तकनीकी विकास का कहानिदेशालय

(ख) कारपोरेशन 29 मई, 1970 को स्थापित किया गया और इसकी स्थापना पर अब तक कुल 3,05,254,40 रु० की धन राशि खर्च की गई है।

Shri Shashi Bhushan : The sum of Rs. 3,05,254 proposed to be invested in this paper corporation is insuffcent. By this the corporation shall remain only in papers and shall not be able to produce paper. That measure money has been spent in two years. May I know how much was spent on establishment and how much on the factory? How many projects are in land and by when these are likely to be completed and by when cheap paper is likely to be made available in the country? Do you propose to take over paper mills as well, or not? What is their plan regarding nationalisation of paper industry?

श्री मोइनुल हक चौधरी : जहां तक इस कार्पोरेशन का प्रश्न है इसे (1) 80000 टन की वार्षिक क्षमता वाले केरल न्यूजप्रिंट प्रोजेक्ट (2) आसाम पेपर/पल्प प्रोजेक्ट और (3) नागालैंड पल्प/पेपर प्रोजेक्ट तथा असम (कथार जिले) में एक और पल्प/पेपर प्रोजेक्ट का कार्य सौंपा गया है। इनके अलावा कुछ अन्य परियोजनाएं भी विचाराधीन हैं।

नागालैंड में एक सहायक कम्पनी नागालैंड पेपर/पल्प प्रोजेक्ट, 14 सितम्बर, 1971 से पंजीकृत की गई है। इस परियोजना के लिए भूमि अधिगृहीत कर ली गई है और उसका विकास किया जा रहा है। उस स्थान पर कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों का निर्माण किया जा चुका है। एक मुख्य अभियन्ता, एक कार्यकारी अभियन्ता तथा एक सहायक अभियन्ता तथा आवश्यक अधीनस्थ कर्मचारी नियुक्त कर लिये गये हैं और इस परियोजना के लिये विस्तृत परिशोधित प्राक्कलन राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा तैयार किये जा रहे हैं।

असम परियोजनाओं के अध्ययन के लिए कई दलों ने राज्य का दौरा किया है और स्थान का चयन किया जा चुका है। भूमि सम्बन्धी परीक्षण किये जा रहे हैं और उसे आरक्षित कर दिया गया है। राष्ट्रीय औद्योगिक बिकास निगम द्वारा विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्टें तैयार की जा रही हैं।

जहां तक केरल का सम्बन्ध है कोट्टयम जिले में विरोल गांव की दल ने सिफारिश की है। राज्य सरकार ने पहले ही उस भूमि को अधिगृहीत कर लिया है। इस बारे में आवश्यक अधिसूचना जारी कर दी गई है। डा० आर० एल० भार्गव के नेतृत्व में पहला दल अगस्त, 1970 में राज्य में गया था। उनकी शिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार ने एक अन्य स्थान की सिफारिश की है जिसे देखने एक अन्य दल नवम्बर, 1970 में गया था और अन्ततः इस स्थान की सिफारिश की गई। उसके पश्चात परियोजना प्रशासक की नियुक्ति की जा रही है और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

अतः इस कारपोरेशन ने, जिसकी स्थापना केवल $1\frac{1}{2}$ वर्ष पूर्व की गई थी, अपने कार्य में पर्याप्त प्रगति की है और जैसे ही यह परियोजनाएं तैयार हो जाती हैं कार्य की प्रगति बहुत अधिक हो जागेगी। यह प्रश्न के पहले भाग के सम्बन्ध में है।

संकटग्रस्त पेपर मिलों को अधिकार में लेने के बारे में मुझे ज्ञात नहीं है कि इस समय कोई मिल संकटग्रस्त है, अथवा नहीं। परन्तु यदि कोई मिल संकटग्रस्त होगी, तो हमें उसे सामान्य प्रक्रिया औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत अधिकार में लेने पर

विचार किया जायेगा। और उस दशा में कौन अधिकृत व्यक्ति होगा, इसका निश्चय किया जायेगा उपयुक्त मामले में हम इस निगम को उपयुक्त प्राधिकरण की संज्ञा भी दे सकते हैं। इस बारे में कोई कठिनाई नहीं है।

कागज उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बारे में मेरा वही उत्तर है, जो आज मैंने सदन में दिया है।

Shri Shashi Bhushan : May I know when the paper produced by this corporation and under it various mills would be available in the market, so that cheap paper is available in the market. What efforts being made to make available cheap paper in the market ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : जहां तक कारपोरेशन का सम्बन्ध है, यह भारत में निर्मित मशीनरी पर निर्भर करता है। हमें कगज के उत्पादन के लिये मशीनरी विदेशों से मंगवानी पड़ती है। इस मशीनरी का लगाया जाना तीन-चार वर्ष में पूरा हो जायेगा और हमें आशा है कि उत्पादन चार वर्ष में शुरू हो सकेगा।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : इस बीच में कागज के बढ़ते हुये मूल्यों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : यह सर्वथा पृथक प्रश्न है।

श्री वरके जार्ज : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि क्या उन्हें केरल सरकार से कोई शिकायत मिली है कि केरल न्यूजप्रिंट फैक्टरी के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है जबकि उसके लिये आवश्यक स्थान का चयन किया जा चुका है।

श्री मोइनुल हक चौधरी : मुझे इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली। परन्तु माननीय सदस्य की सूचना पर मैं कार्यवाही करूंगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

गैर-सरकारी उद्योगों में निवेश में कमी

*182. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी उद्योगो में निवेश की कमी के क्या कारण है; और

(ख) ऐसे क्या कदम उठाये गये हैं जिनसे उनमें पूंजी पुनः लगाई जाने लगे ?

औद्योगिक विकास मन्त्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) और (ख) : वर्ष 1971-72 के आर्थिक सर्वेक्षण से गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के निवेश में कोई कमी नही जान पड़ती है बल्कि गैर-सरकारी औद्योगिक निवेश में वृद्धि का पूर्वानुमान है। नई कम्पनियों के पंजीकरण, जारी किए गये औद्योगिक लाइसेंसों, पूंजीगत वस्तुओं के आधार हेतु जारी किए गए लाइसेंसों, पूंजी निर्गम की मात्रा, मियाद पर उधार देने वाली संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से या अलग-अलग गैर-सरकारी निगम क्षेत्र को दिए गये ऋण के आंकड़ों से औद्योगिक क्षेत्र में गैर-सरकारी निवेश की वृष्टि का पता चलता है। फिर भी, सरकार गैर-सरकारी उद्योगों में निवेश

की गति को और अधिक तेज करने के लिए विभिन्न तरीकों की निरंतर संवीक्षा कर रही है। सरकारी क्षेत्र में निवेश आर्थिक क्षेत्र में अन्य: गतिमयता विवर्तित करता है अतएव 1972-73 के बजट में परियोजना व्यय में पर्याप्त वृद्धि है।

मिर्जा अफजल बंग द्वारा आयोजित प्रेस सम्मेलन

*187. **श्री पी० के० देव** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान अवैध घोषित जनमत संग्रह मोर्चे के अध्यक्ष मिर्जा अफजल बंग द्वारा 5 फरवरी, 1972 को नई दिल्ली में बुलाये गये प्रेस सम्मेलन की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या उन्होंने इस बात पर बल दिया कि काश्मीर में आन्तरिक स्वायत्तता के मामले पर राज्य की जनता तथा भारत सरकार के बीच विचार-विमर्श होना चाहिए ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलेक्ट्रानिकी मन्त्री, गृह मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) (क) और (ख) : सरकार ने मिर्जा अफजल बंग द्वारा 5 फरवरी, 1972 को नई दिल्ली में बुलाये गये प्रेस सम्मेलन की रिपोर्ट देखी हैं, जिसमें बताया जाता है कि उसने अन्य बातों के साथ यह कहा था कि "कश्मीर के लिए आन्तरिक स्वायत्तता का प्रश्न राज्य की जनता तथा भारत सरकार के बीच विचार-विमर्श का विषय है और इससे पाकिस्तान का कोई वास्ता नहीं है।"

(ग) यदि यह रिपोर्ट जैसा बताया गया है, इस बात का संकेत है कि श्री अफजल बंग अब विश्वास करते हैं कि भारत के साथ जम्मू व कश्मीर राज्य का विलय अन्तिम है और यह अब देश का अभिन्न अंग है, तो सरकार, रवैये में इस परिवर्तन का स्वागत करेगी।

पांच करोड़ रुपए की राशि से अधिक पूंजी वाले उद्योगों का राष्ट्रीयकरण

*188. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या औद्योगिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ऐसे सभी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने का है जिन में पांच करोड़ रुपये से अधिक पूंजी लगी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार उन उद्योगों को कब तक अपने अधिकार में ले लेगी ?

औद्योगिक विकास मन्त्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) इस प्रकार का कोई सामान्य प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दूर-संचार के कार्यकरण में सुधार

* 189. **श्री ई० आर० कृष्णन** :

श्री पी० गंगा देब :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय द्वारा हाल ही में दूर-संचार के कार्यकरण में सुधार करने सम्बन्धी हाथ में ली गयी योजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) इस योजना पर कितना धन व्यय होगा; और

(ग) इस से दूर-संचार के कार्यकरण में क्या-क्या सुधार होने की आशा है ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) (क) : अनुमान है कि यह प्रश्न डाक-तार विभाग के दूर-संचार परियोजना संगठनों को मजबूत बनाने के लिए हाल में लिए गए निर्णय से सम्बन्धित है। पुर्गनठित दूर-संचार परियोजना संगठन में चार महाप्रबन्धक होंगे, जिनके मुख्यालय दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में होंगे। ये क्रमशः उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में दूर-संचार परियोजनाओं के कार्य-निष्पादन के लिए जिम्मेदार होंगे। परियोजनाओं के कार्य-मिष्पादन और वैसे ही मामलों के कार्य जो अब तक महाप्रबन्धक, दूर-संचार परियोजना, कलकत्ता और मद्रास और अतिरिक्त मुख्य इंजीनियर, तकनीकी तथा विकास सर्कल करते थे, अब सम्बन्धित क्षेत्रों के महाप्रबन्धक, दूर-संचार परियोजना करेंगे। अतिरिक्त मुख्य इन्जीनियर, तकनीकी तथा विकास सर्कल, जबलपुर देश भर में सभी संस्थापना-कार्यों की जांच करके उन्हें स्वीकार करने, सामग्री की जांच, विद्युत और दूर-संचार सम्बन्धी कार्यों में तालमेल रखने और सम्बन्धित मामलों का काम आगे भी करते रहेंगे।

(ख) इस पर प्रति वर्ष केवल 5·59 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय होगा।

(ग) आशा है कि यह नया संगठन 31 मार्च, 1974 तक 165·47 करोड़ रुपए की लागत की दूर-संचार परियोजनाओं को तेजी से पूरा करेगा। इससे टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता का बेहतर उपयोग विभाग कर सकेगा। टेलीफोन के लिए प्रतीक्षा करने के समय में भी कमी होगी और स्थानीय और ट्रंक के कार्यों में भी सुधार होगा।

सेना में 'पोस्टल कोर' आरम्भ करना

***190. श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सेना में एक नई 'पोस्टल कोर' आरम्भ करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) (क) जी हां।

(ख) सैनिक डाक सेवा में काम करने वालों में सामूहिक भावना पैदा करने और इस सेवा को सैनिक सेवा के और निकट लाने की दृष्टि से सैनिक डाक-सेवा कोर का गठन किया गया है। इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :—

(क) अफसरों का एक नियमित काडर, जूनियर कमीशन अफसर और अन्य रैंक। इस कोर की जितनी अधिकृत स्थापना (Establishment) होगी ये उसके 25 प्रतिशत तक होंगे।

(ख) अफसरों, जूनियर कमीशन अफसर और डाक-तार विभाग से डेप्टेशन पर गए अन्य

रेंक के कर्मचारियों का एक अनियमित काडर। ये इस कोर की कुल अधिकृत स्थापना के 75 प्रतिशत तक होंगे।

कोर के नियमित काडर के लिए सेवा की शर्तें तैयार की जा रही हैं और ये शीघ्र ही लागू कर दी जाएगी।

गैर-सरकारी क्षेत्र में अप्रयुक्त लाइसेंस

*193. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गेर-सरकारी क्षेत्र में कुछ इंजीनियरिंग और गैस इंजीनियरिंग दोनों प्रकार के उद्योगों को जारी किये गये लाइसेंस अप्रयुक्त पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

सरकार इस तथ्य से अवगत है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में इंजीनियरी और गैर-इंजीनियरी उद्योगों की स्थापना करने के लिए पहले जारी किए गये कई लाइसैंसों का उपयोग नहीं किया गया है। इन हालतो के आमतोर पर अलग-अलग मामलों में अलग-अलग कारण है। मोटे तौर पर अन्य बातों के साथ साथ इसके कारण निम्नलिखित में से एक या अधिक हो सकते हैं —

(क) पार्टी द्वारा दिये गये विशिष्ट विवरणों के अनुसार देशी या आयात के द्वारा मशीनों का न मिल पाना,

(ख) इस प्रकार की मशीनों के दूर से दिये जाने की तारीखें,

(ग) विदेशी सहयोग करारों के अनुरूप जल्दी और अधिक समय बर्बाद किए विना विदेशी तकनीयिन मिल सकने और जानकारी आदि का आयात करने की कठिनाई।

(घ) बिजली, कच्चा माल, भूमि आदि का सम्भरण करने के लिऐ राज्य सरकारों और अन्य पार्टियों के साथ पत्र-व्यवहार करने में विलम्ब होना।

(ङ) पार्टी का कुछ समय पश्चात अपना इरादा बदल देना जिनका परिणाम यह होता है कि मूल योजना में अधिक परिवर्तन करना पड़ता जिसके लिये फिर से मंजूरी आदि लेने की आवश्यकता पड़ती।

उद्योगों में कच्चे माल की कमी

*196. **श्री पी० वेंक्टसुब्बया** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन लघु मध्यम और बड़े उद्योगों के वर्गवार नाम क्या है। जिनके समक्ष कच्चे माल की कमी की समस्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : कुछ औद्योगिक कच्चे माल जैसे

इस्पात जिसमें स्टेनलेस स्टील, कास्टिक सोडा, सोडा ऐश, कैल्सियम कार्बाइड, रेयन ग्रेड पल्प तथा केमिकल पल्प आदि की सामान्य कमी रही है जिससे समूचे देश में बड़े मध्यम एवम छोटे पैमाने के इंजीनियरी तथा केमिकल उद्योगों के उत्पादन पर बुरा असर पड़ा है।

कच्चे माल की कमी की वजह से जिन इंजीनियरी उद्योगों पर बुरा असर पड़ा है वे हैं मशीन टूल्स, एब्रासिब, वाइंडिंग वायर, पेपर, इंसूलेटेड पावर केबल, फेयर कापर कंडक्टर, मशीन स्क्रू, स्टील पाइप तथा ट्यूब, ब्राइट बार्स, स्टील वायर रोप, स्टील कास्टिंग्स इत्यादि। कच्चे माल की कमी से जिन केमिकल उद्योगों पर बुरा असर पड़ा है वे हैं, पेंट और वार्निश, जिंक आक्साइड, न्यूजप्रिंट. गिलसरीन, पोलिस्टरीन, एल० टी० इंसूलेटर, एस्बेस्टस सीमेंट प्राडक्टस, वाटर प्रूफ फैब्रिक्स, सल्फूरिक ऐसिड, कापर सालफेट, सोडियम सल्फेट, नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक, फास्फेटिक उर्वरक, कुछ विभिन्न प्रकार के रंग आदि।

जयपुर उद्योग लिमिटेड द्वारा ब्यावर में सीमेंट कारखाने की स्थापना

*198. **मौलाना इसहाक सम्भली** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में ब्यावर में ऐक सीमेंट कारखाना स्थापित करने हेतु जयपुर उद्योग लिमिटेड को लाइसेंस दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो कब और

(ग) क्या इस कम्पनी ने ब्यावर में कारखाना स्थापिन कर लिया है; और यदि नहीं; तो इसके क्या कारण है ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) से (ग) : जयपुर उद्योग लिमिटेड को ब्यावर (राजस्थान) में सीमेंट का एक नया कारखाना स्थापित करने के लिए 5 अक्तूबर 1971 को एक व्यापार चालू रखने का लाइसेंस (कैरिंग आन बिजेनस लाइसेंस) प्रदान किया गया है। लाइसेंस की शर्तों के अनुसार कारखाना लाइलेंस जारी करने की तिथि से 24 महीनो की अवधि के अन्दर अर्थात 4 अक्तूबर, 1973 तक स्थापित किया जाना है।

केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत ग्रामीण दस्तकारी विकास संबंधी परियोजना प्रतिवेदन

*200. **श्री एम० के० कृष्णन** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल के कन्नानूर जिले के लिए लघु कृषक विकास एजेन्सी/सीमान्त कृषक खेतिहर मजदूर परियोजना के अन्तर्गत ग्रामीण दस्तकारी विकास संबंधी एक परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृति के लिए भेजा था;

(ख) यदि हां, तो यह किस तारीख को भेजा गया था; और

(ग) क्या प्रतिवेदन को केन्द्रीय सरकार ने स्वीकृति दे दी है ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी : (क) तथा (ख) : केरल सरकार ने सितम्बर, 1971 में कृषि मंत्रालय को परियोजना रिपोर्ट भेज दी है।

(ग) विकास आयुक्त, लघु उद्योग ने अपने पत्र दिनांक 29 अक्टूबर, 1971 के द्वारा परियोजना प्राधिकारियों से योजना के सम्बन्ध में उठाई गई आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए उद्योगों से सम्बन्धित योजना के भाग में संशोधन करने के लिये कहा है।

त्रिवेन्द्रम के निकट औद्योगिक समूह

1399. **श्री बयालार रवि** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार थुम्बा स्पेस रिसर्च स्टेशन से सम्बन्धित एक औद्योगिक समूह त्रिवेन्द्रम के निकट वेली नामक स्थान पर निर्मित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) भारत सरकार का विचार त्रिवेन्द्रम के समीप वेली में कोई उद्योग-सम्मिश्र स्थापित करने का नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बड़े व्यापार गृहों में भारतीय प्रशासनिक सेवा और इण्डियन सिविल सर्विस के अधिकारियों के संबंधी प्रबन्ध अधिकारी

1400. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 बड़े व्यापार गृहों के प्रबन्ध-अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा और इण्डियन सिविल सर्विस के अधिकारियों से सीधे सम्बन्धित हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा इण्डियन सिविल सर्विस के अधिकारियों और 20 बड़े व्यापार गृहों, विशेषकर टाटा, एस्कोर्ट, साहूजैन, बिड़ला, डालमिया और महेन्ता एण्ड महेन्द्रा के प्रबन्ध अधिकारियों के नाम क्या हैं जो आपस में एक दूसरे के संबंधी हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) औद्योगिक विकास मंत्रालय को ऐसे संबंधों के बारे में कोई सूचना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बिना बारी के टेलीफोन कनेक्शन देना

1401. **श्री एस०एन० मिश्र** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संचार मंत्रालय का कार्यभार संभालने की तारीख से लेकर 28 फरवरी, 1972 तक उनके द्वारा, दिल्ली/नई दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, लखनऊ, कानपुर और इलाहाबाद में प्राथमिकता के आधार पर व्यक्तियों, फर्मों और अन्य लोगों को बिना बारी के अथवा प्राथमिकता के आधार पर दिये गये टेलीफोन कनेक्शनों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) ये प्रार्थना पत्र सम्बन्धित अधिकारियों को पहले पहल किन-किन तारीखों को दिये गये थे ?

संचार मंत्री (श्रीमती हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) संबंधित सर्कलों से प्राप्त सूचना के अनुसार स्थिति इस प्रकार है : -

दिल्ली । नई दिल्ली :		
संस्थाएं	2	
प्रेस	1	5
सार्वजनिक कार्यकर्त्ता	1	
टैक्सी स्टेट	1	
बम्बई :		
सीनियर विभागीय अफसर	1	
आम व्यक्ति (रेलवे की		2
सिफारिश पर	1	
कलकत्ता :	—	
लखनऊ :		
राजनीतिक दल	2	3
संस्थाएं	1	
कानपुर :		
इलाहाबाद :		
राजनीतिक दल	1	
डाक्टर	1	
बंक	1	
शिक्षाविद	2	
सरकारी अधिकारी	1	6
		16

(ख) ये अर्जियां 1964 से 1971 तक की तारीखों में दी गई थी ।

भारतीय कब्जे के अन्तर्गत पश्चिमी पाकिस्तानी क्षेत्रों से सैनिकों की वापसी

1402 **श्री पीलू मोदी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के पोलितब्यूरों द्वारा 25 दिसम्बर, 1971 को स्वीकार किये गये संकल्प की ओर दिलाया गया है कि भारतीय सेनाओं द्वारा पश्चिमी पाकिस्तान के जिन क्षेत्रों पर कब्जा किया गया है उनसे तुरन्त भारतीय सैनिक वापिस बुलाये जायें; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) (क) : भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के पालितब्यूरो द्वारा प्रेस को 25 दिसम्बर, 1971 को दिया गया वक्तव्य सरकार ने देखा है ।

(ख) इन मामलों के सम्बन्ध में सरकार का दृष्टिकोण सदन में समय-समय पर अलग से स्पष्ट कर दिया गया था ।

पश्चिम बंगाल में मजदूर संघों के दमन के बारे में सी० आई० टी० यू० का ज्ञापन

1403. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल में मजदूर संघों और लोकतान्त्रिक अधिकारों के दमन के बारे में सी० आई० टी० यू० से कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) ज्ञापन की एक प्रतिलिपि पश्चिम बंगाल सरकार को उन विशिष्ट आरोपों की जांच करने के लिए भेज दी गई है, जो उसमें निहित हैं।

पालघाट, केरल में कृषि औजार यूनिट का बन्द होना

1404. **श्री वयालार रवि** : क्या औद्योगिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे माल की कमी के कारण पालघाट, केरल में सभी कृषि औजार यूनिट दिसम्बर, 1971 से बन्द कर दिये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो यूनिटों को कच्चे माल की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) अनटैस्टैड रेलस् तथा बिलटेस की कमी के कारण केरल के कतिपय कृषि उपकरण बनाने वाले एककों में जनवरी छुट्टी घोषित कर दी गई है।

(ख) उद्योग निदेशक, केरल ने कुछ नामित पार्टियों को विशाखापटनम में उपलब्ध 500 मीट्रिक टन रेलस् आबंटित दिये हैं। शीघ्र ही और रेल्स् बांटने हेतु इस्पात मंत्रालय द्वारा आगे कार्रवाई की जा रही है।

कर्मचारियों के चयन के बारे में संघ लोक सेवा आयोग के साथ वैज्ञानिक विभागों को सम्बद्ध करने के बारे में अध्ययन दल का प्रतिवेदन

1405. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या विज्ञान और औद्योगिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक विभागों सम्बन्धी अध्ययन दल ने अपने प्रतिवेदन में सभापति श्री कुन्टे और श्री मथरानी ने यह सिफारिश की है कि अर्द्ध-सरकारी निकायों के लिये कर्मचारियों के चयन के मामले में संघ लोक सेवा आयोग को भी सम्बद्ध किया जाय जबकि अध्ययन दल के अन्य सभी सदस्यों ने यह सिफारिश की है कि तकनीकी और वैज्ञानिक पदों के लिए चयन संघ लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार में न हो; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : (क) जी, हां। प्रशासनिक सुधार आयोग ने श्री कुन्टे की अध्यक्षता में नौ अन्य सदस्यों का एक अध्ययन दल नियुक्त किया था। उसने इस प्रश्न पर विचार किया था। सर्व श्री कुन्टे और श्री मथरानी के अलावा अन्य सभी सदस्यों ने सुझाव दिया कि समस्त बड़े वैज्ञानिक संगठनों को संघ लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर रहकर अपनी आवश्यकता और कार्य को ध्यान में रखकर बनाये गये भर्ती के नियमों के अनुसार वैज्ञानिक और तकनीकी पदों के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति करनी चाहिए। फिर भी, सर्व श्री कुन्टे और श्री मथरानी का विचार था कि चाहे प्रत्येक वैज्ञानिक विभाग या संगठन अपनी आवश्यकता के अनुकूल नियुक्ति सर्वोत्तम नियम अपनायें फिर भी ऐसे वैज्ञानिक संगठनों के कर्मचारियों की नियुक्ति से जिन्हें सरकारी कोश से वेतन दिया जाता है, संघ लोक सेवा आयोग को सम्बद्ध रखना चाहिए।

(ख) मामला अब एक लघु-उपसमिति के विचाराधीन है, इसमें योजना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री, गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री, जो कर्मचारी विभाग के लिए उत्तरदायी है, और मन्त्रि मण्डल सचिव शामिल हैं। प्रत्येक बड़े वैज्ञानिक संगठन के कर्मचारी से सम्बन्धित नीतियां इस समिति के विस्तृत विवेचन के लिये विचारणीय है।

Nepali Language

1406. **Dr. Laxminarain Pandey :**

Shri Jagannath Rao Joshi ;

Will the Minister of ome **Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Nepali-speaking people in India :

(b) whether Government have received a memorandum from them for inclusion of Nepali among the languages in the Eighth Schedule of the Constitution ; and

(c) if so, the main points raised therein and the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) According to 1961 Census figures there are 10·21 lacs Nepali speaking people in India.

(b) Yes, Sir.

(c) The main points made in the memorandum are that Nepali should be included in the Eighth Schedule of the Constitution on the following grounds :—

(i) Nepali is spoken by nearly 50 lacs of people of India.

(ii) Nepali language is the main language of the people of Darjeeling and a large part of other adjoining areas. Nepali is the State language of Nepal, a closest friend of India, and it is also spoken by most of the people of Bhutan and Sikkim. Social, political and cultural ties of these countries are very deep and well fastened with India.

(iii) Nepali speaking population of the country are the main strength of the defence of India and they play a great part in its political life.

(iv) People speaking Nepali language are not receiving facilities of social development as also for the development of their culture and language.

The proposals in the memorandum had been received in the past also and it is the considered view of the Government of India that in the wider national interest the Eighth Schedule of the Constitution should not be enlarged further.

Setting up of Cement Factory in Madhya Pradesh during Fourth Plan

1407. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up a cement factory in Madhya Pradesh during the Fourth Five Year Plan ; and

(b if so, the expenditure to be incurred thereon and the number of persons likely to be provided employment thereby ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) A Cement plant with an annual capacity of 200,000 tonnes has already been commissioned by the Cement Corporation of India Limited at Mandhar (Madhya Pradesh). A proposal for effecting substantial expansion to this unit for the manufacture of 1,80,000 tonnes of Blast Furnace slag cement per annum has been approved and a formal sanction is under issue.

(b) The capital expenditure of the Mandhar substantial expansion scheme and the additional staff requirements have been estimated to be Rs. 211 lakhs and 105 persons, respectively.

Pending applications from Madhya Pradesh for licences

1408. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) the names of industries in respect of which applications for grant of industrial licences have been sent by the Government of Madhya Pradesh to the Central Government and which are pending with the Central Government ;

(b) the proposed investment on each of them ; and

(c) the reasons for keeping them pending ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) & (b) : The applications for Industrial licences are normally received from parties direct. Out of the applications received from Madhya Pradesh upto 1971, 86 applications are pending. Of these, one relates to 1968, 2 to 1969 and 15 to 1970 & 68 to 1971. Details of pending applications are not normally disclosed.

(c) Consideration of industrial licence applications necessitates fairly detailed examination of various aspects of the proposals and the disposal of particular applications is often delayed due to various factors. In some of these cases, the applications did not provide all the necessary particulars and some additional information had to be obtained. In certain other cases, policy decisions on the industry as a whole had to be arrived at. It is

difficult to indicate precisely the time by which the pending applications will be disposed of. However, Government are conscious of the need for expeditious disposal of all licence applications and every effort is being made to ensure that, as far as possible, decisions on licence applications are taken within 3 months of receipt of the applications or the receipt of full information from the applicant parties, whichever is later.

Derogatory remarks against Hindu Gods and Goddesses in 'Van-Manav' written by Krishan Chand Joshi

1409. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn towards the book 'Van Manav' written by Krishan Chand Joshi ;

(b) whether this book contains serious derogatory remarks against Hindu Gods and Goddesses ; and

(c) the steps being taken by Government to to prescribe this book ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) Yes, Sir. The name of the author of the book "Van Manav" is Ganesh Chandra Joshi.

(b) & (c) : Copies of the book have been forfeited to Government under Notification No. 17 (1) HA/72 dated 10-2-1972, issued by the Government of Rajasthan under Section 99A Cr. P. C. on the ground that it contains material intended to outrage the religious sentiments of a section of people.

शिक्षा सम्बन्धी विशेषज्ञ दल

1410. **श्री बी० के० दास चौधरी :**
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के विकास के सम्बन्ध में प्रस्ताव बनाने हेतु किसी विशेषज्ञ दल का गठन किया था; और

(ख) इस सम्बन्ध में किन मुख्य बातों पर विचार-विमर्श हुआ, उक्त विशेषज्ञ दल ने क्या सिफारिशें कीं और किन को कार्यान्वित किया गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां। चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त में प्राप्त प्रगति तथा भविष्य के लिए परिकल्पित समस्त विकास की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग ने पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए शिक्षा के विकास के प्रस्ताव तैयार करने के लिए एक संचालन दल तथा 11 कार्यकारी दल (टास्क फोसिस) गठित किए हैं।

(ख) हाल ही में गठित संचालन दल तथा कार्यकारी दलों (टास्क फोसिस) की अभी बैठकें होनी हैं।

संदूषण का सामना करने हेतु एक नये विभाग का गठन करना

1411. **श्री वेकारिया** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का संदूषण का सामना करने हेतु एक नये विभाग का गठन करने का विचार है, और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्रमुख बातें क्या हैं और उस विभाग को क्या कार्य सौंपे जाने हैं ?

योजना मन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) हाल ही में सरकार ने परिस्थितिकीय योजना और समन्वय पर एक राष्ट्रीय समिति स्थापित की है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और गैर-सरकारी तथा सरकारी अधिकारी हैं। इसका कार्य परिस्थितिकीय संरक्षण और उसको उन्नत करने के सम्पूर्ण क्षेत्र का गम्भीरता से पुनरीक्षण करना और सरकार को उनसे सम्बन्धित समस्त पहलुओं पर सिफारिशें पेश करना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत समिति की सेवा के लिए परिस्थितिकीय योजना और समन्वय का एक कार्यालय भी स्थापित करने का निर्णय किया गया है। फिलहाल, प्रदूषण की समस्या का सामना करने के लिए एक अलग विभाग खोलने का सरकार का कोई विचार नहीं है।

Tata Zamindari Abolition Bill

1412. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to S arred Question No. 165 on the 22nd November, 1971 regarding Tata Zamindari Abolition Bill in Bihar pending for President's assent and state :

(a) Whether Government had sent any suggestion to the Bihar Government in this regard and if so, the nature thereof:

(b) whether Government of Bihar has resubmitted any amended proposal in this regard; and

(c) If so, the reaction of the Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) : (a) The Bihar Land Reforms (Amendment) Bill, 1970, was returned on 16. 11. 1971, with a message from the president to reconsider it from the point of view of obviating difficulties which may arise in giving retrospective effect to it and in the working of industrial undertakings.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

न्यूनतम आयात के लिए अनुदेश

1413. **श्री वी० के० दासचौधरी :**

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :

क्या औद्योगिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगपतियों को कोई ऐसे आदेश दिये गये हैं कि आयात को न्यूनतम किया जाये,

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में मुख्य बातें क्या हैं तथा इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) आयात प्रतिस्थापन राष्ट्र नीति के लक्ष्यों में से एक है जिसका उद्देश्य औद्योगिक उत्पादन में अधिकतम आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। सुझाये गये कुछ मूलभूत अभुपाय ये हैं।

1. आयातित कच्चे माल, अन्तर्वस्तुओं और फालतू पुर्जों का उसी प्रकार के या उसके समरूप देशी माल, अन्तर्वस्तुओं द्वारा प्रतिस्थापन।

2. प्रति यूनिट उत्पादन में आयातित कच्ची सामग्री और पुर्जों की खपत में कमी।

3. मूल कच्ची सामग्री के स्थान पर मध्यमों का रसायन तथा रासायनिक पदार्थ में उत्तरोत्तर प्रतिस्थापन।

4. सम्भवतम थोड़े समय में अधिक देशी पुर्जे निर्माण करने के प्रावस्थावद्ध कार्यक्रम में तेजी लाना।

5. टर्न की वाले छोटे कार्यों विदेशी सहयोगियों/परामर्शदाताओं को बचाना जहां अत्यन्तावशक हो केवल वही जानकारी का आयात जिसकी डिजाइनिंग इंजीनियरिंग तथा निर्माण की देशी क्षमता में समुचित समंजन।

(ग) वर्ष 1969 से 1971 के दौरान विदेशी मुद्रा व्यय वाले पुर्जों के उत्पादन की कमी से विदेशी मुद्रा की बचत इस प्रकार है।

वर्ष	**विदेशी मुद्रा व्यय वाले पुर्जों के उत्पादन का प्रतिशत**	**विदेशी मुद्रा व्यय वाले पुर्जों में कमी से विदेशी मुद्रा की बचत**
1969	8·3	10·4
1970	8·2	12·3
1971	7·43	24·2

Newsprint Advisory Committee Report

1441. Shri Jagannathrao Joshi :
Shri Jhaskhande Rai :
Will the Minister of **Information & Broadcasting** be pleased to state

(a) Whether Government have taken any decisions with regard to restriction of newspapers to 10-page and other matters that were raised in the Report of the Newsprint advisory committee; and

(b) The reaction and the impact of this decision on the newspaper industry, its employees and the subscribers ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information & Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) On the recommendation of the Newsprint Advisory committee it was decided to allocate newsprint during the quarter January-March, 1972 on the basis of the number of pages a newspaper is entitled to, subject to a maximum of 10 pages. This decision did not require the newspapers not to publish more than 10 pages. The other suggestions of the committee were taken up for examination and needful action in due course.

(b) When the 10 page restriction was imposed, newspapers which were publishing more than 10 pages reduced the number of pages but not uniformly. The actual reduction has varied from newspaper to newspaper. There has been no change in the prices of the newspapers concerned. The variation in the proportion of space devoted to news has not been significant. As far as Govenment are aware, there has been no particular reaction to this dicision from the subscribers. Various groups of employees of the newspaper industry have, however, expressed their reactions in various ways. Generally, they express concern with the view expressed by some of the big newspapers that page restriction might lead to retrenchment of staff.

बंगला देश में पाकिस्तानी अत्याचार पर रूपक चित्र

1415. **श्री बी० वी० नायक** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बंगला देश में पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा मार्च-दिसम्बर, 1971 में किये गए अत्याचारों का प्रदर्शन करने वाले किसी चित्र का निर्माण कर रही है अथवा निर्माण में सहायता कर रही है;

(ख) यदि हां, तो फिल्म की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस पर कितना धन व्यय किया जायेगा तथा इस समय फिल्म किस स्थिति में है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) (क) : पूरी लम्बाई के सात वृत्त चित्र, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, बंगला देश में पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा मार्च-दिसम्बर, 1971 के दौरान किए गए अत्याचारों का चित्रण है, फिल्म प्रभाग द्वारा अथवा उसकी सहायता से तैयार किए गए हैं । ये वृत्त चित्र हैं :

(1) सोनार बंगला

(2) डेट लाइन बंगला देश

(3) इंडियन न्यूज रिव्यू—डायरी आन से बंगला देश—भाग 1—5

(7)

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

भूतपूर्व केन्द्रीय विधि मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

1416. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने एक भूतपूर्व केन्द्रीय विधि मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच कब प्रारम्भ की थी और क्या सरकार को कोई अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रतिवेदन पर यदि कोई कार्रवाई की गई है तो वह क्या है; और

(ग) क्या अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है, यदि हां, तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं और अन्तिम प्रतिवेदन पर क्या कार्रवाई की गई ?

प्रधान मंत्री परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : **(क) से (ग)** : केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 7 मई, 1968 को 'बसुमति, वाद में एक भूतपूर्व विधि मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कुछ आरोपों की जांच का मामला दर्ज किया था। जांच अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। समय-समय पर, सरकार को इस जाँच में हुई प्रगति के बारे में सूचित किया जाता रहा है।

1969—70 में देश में प्रति व्यक्ति आय

1417. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1969-70 में प्रति व्यक्ति आय क्या थी तथा इसमें 1968—69 की तुलना में कितनी वृद्धि हुई ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : 1969–70 में भारत की प्रति व्यक्ति आय का अन्तिम अनुमान, जैसा कि केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा तैयार किया गया, प्रचलित भावों के आधार पर 589·3 रु० और स्थिर (1960—61) भावों के आधार पर 339·4 रु० था। स्थिर (1960—61) भावों के आधार पर प्रति व्यक्ति आय का उक्त अनुमान 1968–69 के लिए तैयार किए गए 329·9 रु० के तदनुरूप अनुमान की तुलना में 2·9 प्रतिशत की वृद्धि बतलाता है।

पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए धन

1418. **श्री भोला मांझी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल की कार्यकारिणी की हाल ही की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि पश्चिम बंगाल समेत भारत के पूर्वी क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाये,

(ख) क्या भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल ने यह निर्णय बंगला देश में निवेशों की सम्भावनाओं को देखते हुए लिया है, और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : **(क) से (ग)** : भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल से अभी सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है।

विदेशी मुद्रा के अनधिकृत लेन-देन से हुई हानि

1419. **श्री नरेन्द्र कुमारी सांघी :**

श्री विश्वनाथ झूंझुनवाला :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनधिकृत विनिमय के कारण विदेशी मुद्रा की हुई हानि का कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान 16 फरवरी, 1972 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें राजधानी के कनाट प्लेस में प्रतिदिन बहुत बड़ी संख्या में अमरीकी डालरों का सुनियोजित ढंग से विनिमय करने वाले एक गिरोह का उल्लेख किया गया है;, और

(ग) इस बुराई को रोकने के लिये क्या ठोस कार्यवाही की जा रही है और अब तक इस के क्या परिणाम निकले ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) अवैध लेन देन के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा में हुई हानि का कोई मूल्यांकन कर सकना कठिन है।

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) प्रवर्तन निदेशालय, उल्लंघन विशिष्ट मामलों में जिनका उसे पता चलता है, विधि के अनुसार कार्रवाई करता है। विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लघनों को रोकने के लिए समय-२ पर यथोचित विधायी तथा प्रशासनिक उपाय किये जाते हैं।

ट्यूबों पर टूथपेस्ट की मात्रा का उल्लेख

1420. **श्री जी० पी० जदेजा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टूथपेस्ट निर्माताओं को ट्यूब पर टूथपेस्ट की मात्रा का उल्लेख न करने की छूट हैं;

(ख) यदि नहीं, तो उन निर्माताओं के नाम क्या हैं जो ट्यूब पर टूथपेस्ट की मात्रा उल्लेख का नहीं करते;

(ग) क्या इस कारण किसी निर्माता पर मुकदमा चलाया गया; और

(घ) यदि हां, तो उन निर्माताओं के नाम क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) औषधि और अंगराग नियमों के अधीन शुद्ध मात्रा का भार (वजन) बाहरी लेबल पर बताना पड़ता है, बशर्ते कि ठोस या अर्ध ठोस अंगराग की शुद्ध मात्रा 30 ग्राम से अधिक न हो।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राज्यों और पूरे देश में प्रति व्यक्ति आय

1421. **श्री जगन्नाथ राव जोशी** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में प्रत्येक राज्य और देश भर में औसत प्रति व्यक्ति आय क्या थी ?

प्रधान मंत्री, परमाणु, ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री मती इन्दिरा गाँधी) : संबद्ध राज्य सांख्यिकीय कार्यालयों द्वारा तैयार किए गए विभिन्न राज्यों की प्रति व्यक्ति आय के उपलब्ध अनुमान, और केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा तैयार किए गये देश भर में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के अनुमान संलग्न विवरण में दिए गए हैं। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी-1571/72**] संकलपनाओं, प्रयोग में लाई गई स्रोत-सामग्री, रीति विधान और आधार-वर्षों में विभिन्नताओं के कारण राज्यों की प्रति व्यक्ति आय के अनुमान राज्यों में परस्पर अथवा उक्त अखिल भारतीय अनुमान के साथ तुलना के लिए अनुरूप नहीं हैं ।

अमरीकी फर्म द्वारा हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की मशीनों के लिये क्रयादेश दिया जाना

1423. **श्री कमल मिश्र मधुकर** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अमरीकी फर्म ने हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की मशीनों के लिये एक बड़ा क्रयादेश दिया; और

(ख) यदि हां, तो क्रयादेश का ब्यौरा क्या है तथा उसकी शर्तें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) **और** (ख) : हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की अमरीका की एक फर्म से अनुमानतः 36 लाख रु० के मूल्य की 90 मशीनों के क्रयादेश मिले हैं। यह अमरीका की फर्म से लगभग 1 करोड़ रु० के मूल्य की 304 मशीनों के लिये उन्हें मिले आशय-पत्र का एक भाग है। इस आशय-पत्र के अगले क्रयादेश अमरीका के पण्यावर्त के आधार पर प्रतिमास प्राप्त होंगे ।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की अपने राज्यों से बाहर नियुक्ति

1424. **श्री शशि भूषण** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह प्रथा है कि नियुक्त सिविल सर्विस भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय रेल सेवा के अधिकारियों को समान्यतया उनके अपने राज्यों से बाहर नियुक्त किया जाता है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) : जी नहीं, श्रीमान् । जहां तक भारतीय प्रशासनिक सेवा का सम्बन्ध है, आबंटन के सिद्धांतों

में अन्य बातों के साथ साथ यह व्यवस्था है, कि उम्मीदवारों को किसी विशेष वर्ष में अपने राज्यों में रिक्तियों के केवल 50 प्रतिशत तक ही आबंटित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों के विकास के लिए दी गई धनराशि

1425. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्वतीय क्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों की विकास सम्बन्धी गतिविधियों के लिए दिया गया धन भारत सरकार द्वारा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मेघालय. नागालैंड. अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, तथा देश के अन्य पर्वतीय क्षेत्रों पर व्यय किए जा रहे धन की तुलना में बहुत ही कम है; और

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में देश के अन्य पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में प्रतिव्यक्ति कितना धन व्यय किया जा रहा है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) : किसी राज्य के विशेष जिलों के परिव्ययों तथा समग्ररूप से राज्य सरकारों के परिव्ययों अथवा संघ शासित क्षेत्रों के परिव्ययों की प्रत्यक्ष तुलना नहीं की जा सकती। योजना आयोग केवल प्रत्येक राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र की योजनाओं के लिए परिव्ययों और स्थूल क्षेत्रीय संरचना का निर्धारण करता है न कि उनके विशेष क्षेत्रों अथवा जिलों के लिए। बहरहाल, कई पहाड़ी क्षेत्रों के अपर्याप्त विकास की समस्या योजना आयोग का ध्यान आकर्षित करती रही है। इस समस्या का गहराई से अध्ययन करने के लिए विशेष दल गठित किया गया है। इस दल के निष्कर्षों के आधार पर आशा है न केवल उत्तर प्रदेश में अपितु देश के अन्य भागों में भी मैदानी तथा पहाड़ी क्षेत्रों के अधिक संतुलित विकास के लिए कार्य किया जा सकेगा।

Bills sent by Delhi Metropolitan Council to the Central Government For Approval

1426, **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Bills sent by the Delhi Metropolitan Council to the Central Government for approval during the last three years ; and

(b) the number of the Bills accorded approval by the Central Government ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) : (a) & (b) Out of the six Bills recommended by the Metropolitan Council during the last three years, one bill has been enacted into law. The remaining Bills are at various stages of processing by the Mir istry or Department concerned.

Causes of Increase in Cases of Sui ide

1427. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Wil| the Minister of **Home Affairs** be pleased te state :

(a) whether the Investigation Department of the Indian Police have conducted any survey in the country to find out the causes of increasing number of suicides ;

(b) if so, the outcome thereof ; and

(c) the number of suicide cases which have come to light in the country during the years 1970 and 1971 ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) : (a) & (b) : Figures regarding incidence and causes of suicide in the country are compiled annually by the Bureau of Police, Research and Development on the basis of the information obtained

from the State Governments and Union Territories. In the five years period 1966 to 1970, the volume of suicides increased from 7·6 to 8·8 per 100,000 of the population. There were 37,848 cases of suicide in 1966 as against 48,428 cases in 1970. The main causes of suicide are failure in examination, domestic quarrels, disputes over property, love affairs, poverty, insanity and despair in cases of incurable diseases.

(c) 48428 suicides were committed in 1970. The data for 1971 is under compilation.

Alleged Sale of Newsprint in Black-market by "AVANTIKA"

1428. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government have received any complaint from some Members of Parliament that the Hindi Daily "Avantika", published from Ujjain has sold the newsprint, allotted to them, in the blackmarket; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) A complaint was received from the Hon'ble Member himself that the daily had been claiming newsprint on exaggerated basis and utilising the excess quantity for the work of others and charging them higher rates.

(b) The circulation claim of the Daily had been investigated earlier. It was found to be much higher than that mentioned by the Hon'ble Member. The excess quantity of newsprint allocated to the Daily in 1969-70 and 1970-71 has been adjusted during 1971-72. The Hon'able Member was apprised of the position. The points raised by him in a recent communication, on the subject, are under examination.

राजस्थान में डाक सेवा

1429. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में एक डाक घर द्वारा जितने व्यक्तियों की सेवा की जाती है वह सेवा अखिल भारतीय औसत से बहुत कम है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और डाक सेवा को अखिल भारतीय औसत स्तर पर लाने के लिये राजस्थान में डाक सुविधाओं के विस्तार के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां। राजस्थान में एक डाकघर औसतन 2769 व्यक्तियों की सेवा करता है, जबकि देश भर में प्रति डाकघर जनसंख्या का यह औसत 4017 है।

(ख) एक डाकघर कितने व्यक्तियों की सेवा करता है, यह किसी क्षेत्र में डाक सेवाओं के विकास का मानदण्ड नहीं हो सकता। तथापि डाक सेवाएं प्रदान करने के लिये पूरे बाड़मेर और जैसलमेर जिलों और बांसवाड़ा, चुरू तथा उदयपुर जिलों के कुछ हिस्सों को पिछड़े क्षेत्र घोषित किया गया है, ताकि वहां घाटे की सीमा बढ़ा कर भी डाक सुविधायें दी जा सकें।

विदेशी सहयोग करारों का अनुमोदन

1430. **श्री एस० आर० दामाणी :**
श्री रामकंवर :

क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 के दौरान कितने विदेशी सहयोग प्रस्ताव अनुमोदित किये गये;

(ख) इसके परिणामस्वरूप, अनुमानतः कितनी विदेशी पूंजी किन-किन देशों से प्राप्त हुई और किन-किन मदों के निर्माण के लिये; और

(ग) कारखानों के स्थापित होने तक अनुमानतः कितनी विदेशी मुद्रा बाहर के देशों में चली जायेगी और यह लगी पूंजी का कितने प्रतिशत होगी ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) वर्ष 1971 की अवधि में अनुमोदित विदेशी सहयोग के मामलों की कुल संख्या 245 थी। इनमें से वित्तीय साझेदारी वाले मामलों की संख्या 46 थी।

(ख) उपर्युक्त 46 मामलों में अनुमानित विदेशी निवेश और निर्माण की जाने वाली वस्तुयें निम्न प्रकार हैं—

क्र० सं०	देश का नाम	(रु० लाखों में) विदेशी निवेश की अनुमानित राशि	निर्माण की जाने वाली वस्तु
1.	फ्रांस	1·20	विशिष्ट औषधियां।
2.	हालैंड/नीदरलैंड	12·40	घूमने वाले पर्दे बनाने की मशीनें परामर्शदायी इन्जीनियरी इत्यादि।
3.	इटली	67·50	नायलोन वस्त्रो का धागा।
4.	जापान	37·20	शक्ति चालित हल, ट्यूनिंग इंडिकेटर, सूखे सेल, परामर्शदायी इन्जीनियरी ओसिन (जिलेटिन) और कैलशियम फॉसफेट, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर।
5.	स्वीडन	1·87	पोलिएस्टर कैपेसिटर।
6.	स्विटजरलैंड	33·00	क्लोरऐम्फेनिकॉल, विशिष्ट प्रकार के हाई प्रेशर, ऐस्बेस्टस ज्वाटिंग।
7.	ब्रिटेन	165·76	कांच से लेकर धातु तक की मोहरें, ट्रैक्टर अन्न गोदाम, हाइड्रोजन पैरीआक्साइड, ट्रैक्टर, माउंटेड रोटावेटर्स, वल्क मीटर कपलिंग, न्यूमेटिक कन्ट्रोल

			उपकरण, कागज एवं लुगदी बनाने के संयंत्र, वास्तु कला सम्बन्धी और प्रदर्शन में काम आने वाला प्रकाश ।
8.	यू० एस० ए०	150·70	एलकायल फिनौल, पोलीथियर पोलियाल्स, सोरवीटॉल मेनीटॉल रबड़ परिष्करण की मशीनें चमड़े के जूते, ओसीन एवं डाईकेल्शियम फासफेट, जान डीरी, ट्रैक्टर, सेन्टरी फ्यूगली कास्ट एलाय स्टील ट्यूबें ऐण्ड हाई एलाय स्टील कास्टिंगस्, सिरेमिक पैकेज तथा सब्सट्रेस् हर्बीसाइडस, अभ्रक के कैपेसिटर, इलेक्ट्रोनिक्स में अनुसंधान तथा परामर्श हार्वेस्टरस, पुस्तकों का प्रकाशन ।
9.	पश्चिमी जर्मनी	114·18	स्ट्रिप पैकिंग तथा बैकुअम पम्पिंग मशीनें, ए-आइम्स पर आधारित चमड़ा कमाने की सहायक वस्तुएं, तकनीकी एवम् पाठ्य पुस्तकों आदि का प्रकाशन, लुगदी संयन्त्र लगाना, शक्ति चालित हल, अग्नि जल सह बोर्ड ।
	योग	583·81	

(ग) विदेशी मुद्रा के संभावित निगर्मन को तब तक बता सकना कठिन है जब तक औद्योगिक एकक वास्तव में विदेशी सहयोग से स्थापित किये जाते हैं क्योंकि भुगतान सामान्यतः करार की पूरी अवधि के लिए होता है । और वह वास्तविक उत्पादन से सम्बद्ध होता है ।

व्यापारिक मोटरगाड़ियों का उत्पादन

1431. **श्री० एस० आर० दामाणी** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि व्यापारिक मोटरगाड़ियों की वर्तमान क्षमता उत्पादन उनका वास्तविक उत्पादन और चौथी योजना के लिये उत्पादन लक्ष्य क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : आवश्यक जानकारी निम्न प्रकार है —

क्षमता लक्ष्य	वर्तमान लाइसेंस प्राप्त क्षमता	वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता	उत्पादन 1970	1971
90,000 संख्या प्रति वर्ष	73,400 संख्या प्रति वर्ष	62,500 संख्या प्रति वर्ष	39 969 संख्या	40,865 संख्या

पंचवर्षीय ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम

1432. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग को एक पंचवर्षीय ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना में और वार्षिक योजना में इस कार्यक्रम को शामिल करने के लिये योजना आयोग का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) : योजना आयोग को हाल में कहीं से भी पंचवर्षीय ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम प्राप्त नहीं हुआ है। परन्तु पांचवीं योजना के लिये अग्रिम कार्रवाई के अंश के रूप में, आयोग इस कार्यक्रम को बढ़ाने पर विचार कर रहा है।

2. ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम पहले ही पंचवर्षीय योजनाओं का एक अंग है। चौथी पंचवर्षीय योजना में राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के लिए 125·00 करोड़ रुपये के परिव्यय की कल्पना की गई है। पंचवर्षीय योजना में इस बात पर बल दिया गया है कि अधिकांश प्रावधान का अत्यधिक अभावग्रस्त क्षेत्रों में उपयोग किया गया है। पंचवर्षीय योजना (1969—72) के प्रथम तीन वर्षों में राज्यों ने ग्रामीण जल सप्लाई के लिए स्वीकृत परिव्यय से अधिक खर्चा किया है, और इस प्रकार ग्रामीण जल सप्लाई पर 150 करोड़ रुपये तक खर्च होने की संभावना है। यह राशि पिछले अठारह वर्षों के खर्चे से ज्यादा है। कतिपय राज्यों सरकारें जीवन बीमा निगम से ऋण लेकर अपने योजना साधनों को बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

3. राज्य इन कार्यक्रमों को अधिक कारगर और सुनियोजित ढंग से चला सकें, उन्हें केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के माध्यम से विशेष अन्वेषण प्रभाग, ग्रामीण जल सप्लाई और एक केन्द्रीय स्कीम जिसके अन्तर्गत सख्त चट्टानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त 100 हाई स्पीड ड्रिलिंग रिंग्स के रूप में 'यूनीसेफ' से सहायता प्राप्त की जाती है तथा केन्द्रीय सहायता दी जाती है। शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए 1971 72 में एक नई केन्द्रीय योजना शुरू की गई है, जिस के अन्तर्गत ग्रामीण जल सप्लाई स्कीमों के लिए विस्तृत योजनाएं और अनुमान तैयार करने के लिए विभिन्न राज्यों में आयोजन तथा डिजाइन एकक स्थापित किए जा रहे हैं।

4. विशेष कल्याण स्कीमों के लिए रखे गये समस्त बजट प्रावधान के अन्तर्गत, 1972-73 में ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए एक अन्य नई स्कीम बनाई जा रही है। इस विशेष कार्यक्रम के अन्तर्ग राज्य 1972 – 73 में जो स्कीमें शुरू करेंगे उनके लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। राज्यों को आवश्यकता के अनुसार धन दिया जाता है और आवश्यकता का निर्धारण अभावग्रस्त क्षेत्रों के कई गांवों को एक साथ लेकर तथा हैजा नहरुआ या अन्य विशेष समस्याओं से ग्रसित गांवों के अनुसार किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में पानी की पूर्ति करने पर जो सापेक्ष लागत आती है उसे भी ध्यान में रखा जाता है। राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि जहां तक संभव हो सके सघन क्षेत्रीय आधार पर स्कीमें तैयार करें। आदिम जाति,

हरिजन और अन्य पिछड़े वर्गों जैसे कमजोर वर्गों को जल सप्लाई करने के काम को तरजीह दी जायेगी ।

Disturbances during Assembly Elections in States

1433. **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Prasannbhai Mehta :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the names of places where violent clashes took place during the Assembly elections held recently alongwith the causes thereof;

(b) the number of persons killed and injured separately; and

(c) the steps proposed by Government to minimise such incidents in future ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) : (a) Information is being collected from the State Governments.

(b) A statement, based on the information available with the Central Government is attached.

(c) To prevent the occurrence of violent incidents in the course of elections the State Governments and their authorities concerned will have to remain fully vigilant. The Central Government will provide all reasonable assistance, by deputing the Central armed forces to help the State authorities in the maintenance of law and order. The Joint Committee on Amendments to Election Law, consisting of Members from the two Houses of the Parliament, has, in its report, considered **inter alia** certain proposals to amend the existing provisions with a view to enabling the authorities to deal more firmly with elements seeking to disturb election meetings or coerce voters by intimidatory tactics. The report is now under examination by the Government,

Statement

Number of persons killed and injured in incidents of violence in the course of the Elections to State Legislative Assemblies in March, 1972.

Name of State/ Union Territory	No. of persons killed	No. of persons injured
1. Andhra Pradesh	13	288
2. Assam	—	19
3. Bihar	10	122
4. Gujarat	—	39
5. Haryana	—	20
6. Himachal Pradesh	—	—
7. Jammu & Kashmir	1	173
8. Madhya Pradesh	—	97
9. Maharashtra	2	129
10. Meghalaya	—	—
11. Manipur	—	11
12. Mysore	—	116
13. Punjab	1	23
14. Rajasthan	—	29

15. Tripura	—	8
16. West Bengal	30	177
17. Delhi	—	32
18. Goa, Daman & Diu	1	64
Total	58	1,347

Political Murders Committed in Recent Elections

1434. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of political murders committed in the recent Assembly elections, which have come to the notice of Government ;

(b) whether Government propose to set up a Tribunal to institute an impartial enquiry about the aforesaid murders on all-India bases ; and

(c) if so, when ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri. K.C. Pant) : (a) According to the infor- mation available with the Central Government 49 persons were killed in incidents of violence in the course of the recent elections. The State-wise break up is furnished in the statement attached.

(b) & (c) The cases relating to the murders are being investigated according to law. Government have no proposal to set up a Tribunal to inquire into these murders.

Statement

Number of persons killed in incidents of violence in the course of the Elections to State Legislative Assemblies in March, 1972,

Name of State/ Union Territory	Number of persons killed
1. Andhra Pradesh	10
2. Assam	—
3. Bihar	7
4. Gujarat	—
5. Haryana	—
6. Himachal Pradesh	—
7. Jammu & Kashmir	1
8. Madhya Pradesh	—
9. Maharashtra	1
10. Meghalaya	—
11. Manipur	—
12. Mysore	—
13. Punjab	1
14. Rajasthan	—
15. Tripura	—
16. West Bengal	28
17. Delhi	—
18. Goa, Daman & Diu	1
Total	49

समाचारपत्र के विज्ञापनों पर कर लगाना

1435. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचारपत्र के विज्ञापनों पर कर लगाने के प्रस्ताव पर सरकार जांच कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) : किसी ऐसे कर प्रस्ताव जो सरकार के विचाराधीन हों, का कोई संकेत देना जनहित में नहीं होगा ।

केरल में परमाणु खनिज निक्षेप

1436. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में परमाणु खनिज निक्षेपों का सर्वेक्षण कराने का निर्णय किया है,

(ख) यदि हां, तो उस निर्णय को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस कार्य के कब तक पूरे होने की सम्भावना है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : (क) तथा (ख) परमाणु ऊर्जा विभाग का परमाणु खनिज प्रभाग केरल के समुद्र तट की मोनाजाइटयुक्त रेत में मोनाजाइट तथा उसके साथ मिलने वाले अन्य व्यावसायिक खनिजों का पता लगाने के उद्देश्य से वर्ष 1953–54 से सर्वेक्षण करता रहा है । यह कार्य एक लगातार चलने वाला कार्य है तथा परमाणु खनिज प्रभाग के क्षेत्र-सर्वेक्षण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में वर्ष प्रतिवर्ष के आधार पर जारी रखा जा रहा है । ऐसा करने का कारण यह है कि समुद्रतट पर पायी जाने वाली रेत प्राकृतिक रूप से स्थायी नहीं होती तथा इस कारण उसमें मिश्रित खनिज की मात्रा का अनुमान समय-समय पर लगाना आवश्यक होता है ।

(ग) वर्तमान सर्वेक्षण, जो कि समुद्रतट के एक भाग पर किया जा रहा है, सम्भवत: मार्च 1973 के अन्त तक पूरा हो जायेगा ।

ट्रैक्टरों के मूल्य निर्धारित करना

1437. **श्री पी० के० देव** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रैक्टरों का मूल्य निर्धारित करने के संबंध में सरकार का एक नई पद्धति अपनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, उसकी मुख्य रूप-रेखा क्या हैं; और

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता को ट्रैक्टर के लिये अधिक मूल्य देना पड़ेगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) तथा (ख) : देश में

निर्मित अधिकतर ट्रैक्टरों के नमूनों में 80 से 85 प्रतिशत तक देशी वस्तुएं लगाई जाती हैं। इसलिए विभिन्न नमूनों का विक्रय मूल्य निर्धारित करते समय, सरकार का विचार है कि क ही अश्व शक्ति की क्षमता वाले विभिन्न प्रकार के ट्रैक्टरों को तुलनात्मक मूल्यों पर बेचना चाहिए।

(ग) जी, नहीं। अपितु इसके विपरीत उपभोक्ता को आसपास की अश्व शक्ति क्षमता वाले ट्रैक्टरों के बीच प्रतियोगी चुनाव का लाभ प्राप्त होगा।

निर्यात पर औद्योगिक लाइसेंस संबंधी नीति का विपरीत प्रभाव

1438. **श्री पी० के० देव** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 फरवरी, 1972 के स्टेट्समैन में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि सरकार की औद्योगिक लाइसेंस संबंधी नीति और नौकरशाही विलम्ब के कारण देश के निर्यात में प्रतिवर्ष कम से कम 150 करोड़ रुपये की वृद्धि करने में बाधा पड़ रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां। 10 फरवरी, 1972 को "स्टेट्समैन" में प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है।

(ख) सरकार देश के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के निर्यात की दृढ़ता के लिये अपने अन्य सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों के अनुरूप तथा संविधान में वर्णित राज्य की नीति के निर्धारक सिद्धान्तों के अनुसार सम्मिलित प्रयास कर रही है। अन्य बातों के साथ यह भी ध्यान में रखा जाता है कि आर्थिक शक्ति कुछ थोड़े व्यापारिक ग्रुपों के हाथों में केन्द्रित न हो जाये तथा नये लघु उद्यमियों को उद्यमिता क्षेत्र के आधार को विस्तृत बनाने के लिये उत्साहित किया जा सके। इस बात का सुनिश्चय करने में कि देश की मशीनरी उत्पादन की क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग किया जा रहा है तथा उत्पादन के विशिष्ट क्षेत्र में प्रार्थी उपक्रम के आधिपत्य का ध्यान रखा जाता है। यह सम्भव है कि कभी-कभी विभिन्न पार्टियों से मशीनों के आयात अथवा औद्योगिक लाइसेंस के लिये प्राप्त आवेदनों पर अन्तिम निर्णय लेने में कुछ समय लग जाता हो पर ऐसे मौके बहुत कम ही होते हैं सरकार देश के निर्यात में दृढ़ता लाने के लिये प्रयत्नशील है। वस्तुत: उपकरणों के आयात सम्बन्धी निर्यातान्मुख योजनाओं पर पूंजीगत सामान समिति द्वारा अलग से विचार किया जाता है ताकि परियोजना के निर्यात सम्बन्धित पहलू पर प्रकाश पड़ सके तथा इनके बारे में निर्णय लेने में होने वाले विलम्ब को कम किया जा सके। इसी प्रकार लाइसेंसिंग समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले औद्योगिक लाइसेंस प्राप्ति के मामलों परियोजना की निर्यात क्षमता पर समिति द्वारा व्यापक रूप से विचार किया जाता है। सामान्यतया, संशोधित लाइसेंस नीति के अनुसार, बड़े औद्योगिक गृहों से और अधिक विदेशी हिस्सेदारी की कम्पनिओं से कोर' और हेवीइन्वेस्मेंट' क्षेत्रों में पूंजी लगाने या भागीदार बनने की आशा की जाती है ताकि बचे हुये क्षेत्रों में अन्य उद्यमियों को अवसर उपलब्ध हो सके। किन्तु पर्याप्त निर्यात दायित्व लेने की दशा में निर्यात सम्वर्द्धन के हित में बड़े औद्योगिक गृहों और विदेशी कम्पनियों को मध्यम' और 'लघु क्षेत्रों' में भी विनियोजन की अनुमति दी जाती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सरकार द्वारा देश के निर्यात सम्वर्द्धन के लिये सुविचारित प्रयास किए जा रहे हैं।

राज्यों की 1972-73 की वार्षिक योजना

1439. **श्री चित्तामणि पाणिग्रही :**
श्री एस० एम० बनर्जी :

क्या **योजना** मंत्री 1972-73 की वार्षिक योजना को अन्तिम रूप दिए जाने के बारे में 15 मार्च, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 271 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य के लिए परिव्यय कितना है; और

(ख) क्या 1972-73 के लिए निर्धारित उड़ीसा के योजना परिव्यय में 1971-72 की तुलना में वृद्धि की गई है; यदि हां, तो वह राशि क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

(ख) 1971-72 की तुलना में 1972-73 के लिए अनुमोदित परिव्यय 9·09 करोड़ रुपये अधिक है ।

विवरण

वार्षिक योजना 1972-73 राज्य

	(करोड़ रुपये) अनुमानित परिव्यय
1. आन्ध्र प्रदेश	105·00
2. असम	40·25
3. बिहार	100·00
4. गुजरात	106·00
5. हरियाणा	82·00
6. जम्मू और कश्मीर	36·00
7. केरल	64·00
8. मध्य प्रदेश	109·00
9. महाराष्ट्र	205·59
10. मेघालय	8·25
11, मैसूर	72·30
12, नागालैंड	9·00
13. उड़ीसा	57·42

14. पंजाब	85·00
15. राजस्थान	65 00
16. तमिल नाडु	116·35
17. उत्तर प्रदेश	225·00
18. पश्चिम बंगाल	73·52
19. हिमाचल प्रदेश	26·57
20. मणिपुर	7·50
21. त्रिपुरा	8·00
जोड़	1601·75

मोटर कार किस्म जांच समिति के निष्कर्ष

1440. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी तकनीकी समिति ने सभी कार निर्माण कारखानों का, यह जांच करने के लिये, कि मोटर कार किस्म जांच समिति की सिफारिशों के बाद उनके मंत्रालय द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुसरण किया जा रहा है, दौरा किया था

(ख यदि हां, तो उसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) समिति ने अब तक केवल मे० हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। समिति के मुख्य निष्कर्ष ये हैं कि मोटरकार किस्म जाँच समिति की सिफारिशो के पश्चात कार निर्माताओं को जारी किये गये 15 कानूनी निदेशों में से मे० हिन्दुस्तान मोटर्स ने 7 निदेशों को पूर्णरूप से और 6 को आँशिकरूप से कार्यान्वित किया है। दो निदेशों को उन्होंने बिल्कुल ही कार्यान्वित नहीं किया है समिति ने यह भी निर्णय दिया कि अम्बसडर कारों के सम्बन्ध में निर्माताओं द्वारा स्वयं निर्मित वस्तुओं के मामले में अनेक शिकायतें की गई हैं जैसे डिफरेंशियलों से आवाज होना, खराब स्टियरिंग, पेंट का क्रैक हो जाना तेल की अत्यधिक खपत आदि समिति के अनुसार सहायक क्षेत्र से खरीदी गई अनेक वस्तुओं, विशेष रूप से मोटर गाड़ियों के बल्व, विद्युत स्विच, शाक एबाजार्बर, टाई-राड़ एन्ड्स, इंजन वाल्व सिलेन्डर हैड़ गास्केट और ब्रैक लाइनिंग, के बारे में भी लगातार शिकायतें मिली हैं। समिति ने सिफारिश की है कि सम्पूर्ण रूप से प्रबन्धकों को किस्म के बारे में सचेत रहना चाहिए और प्रत्येक अवस्था में किस्म नियंत्रणों पर सख्ती से अमल किया जाना चाहिए। समिति ने यह सिफारिश भी की है कि खरीदे गये पुर्जो की निरीक्षण और उनकी स्वीकृति होनी चाहिये इससे भी ज्यादा और कड़ाई से किया जाना चाहिए। समिति ने यह सिफारिश भी की है कि आई० एस० आई० द्वारा प्रमाणी-

करण को खरीदे गये और अधिक पुर्जों में लागू किया जाना चाहिए और आई० एस० आई० द्वारा एक प्रावस्थाबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए तथा कार निर्माताओं को इस कार्यक्रम को अमल में लाने के लिये पूरी तरह से सहयोग देना चाहिए।

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशें बताने वाला एक विवरण संलग्न है।
[**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1572/72**

(ग) समिति की रिपोर्ट की एक प्रति मे० हिन्दुस्तान मोटर्स को भेज दी गई है और रिपोर्ट में उनसे संबंध रखने वाली विभिन्न सिफारिशों सुझावों को तत्काल कार्यान्वित करने के लिए कहा गया है। जहां तक सरकार द्वारा कार्यवाई करने के लिए सुझाव का प्रश्न है, उनकी जांच की जा रही है।

आयात किये गये अखबारी कागज की चोरबाजारी

1441. **श्री चिन्तामणि पणिग्राही** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आयात किये गये अखबारी कागज में चोरबाजारी के सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) शिकायतें सामान्यतया समाचार पत्र द्वारा परिचालन संख्या का बढ़ा चढ़ा कर दावा करने, उसके आधार पर अखबारी कागज का कोटा प्राप्त करने और फालतू अखबारी कागज को चोरबाजारी में बेचने के बारे में होती है। कुछ मामलों में, प्रकाशक पर यह आरोप लगाया जाता है कि वह प्रस्तावित प्रकाशन के लिए अखबारी कागज प्राप्त करता है किन्तु समाचारपत्र या तो बिल्कुल शुरू ही नहीं करता या कुछेक संस्करण निकालने के बाद उसे बन्द कर देता है।

(ग) अखबारी कागज की चोरबाजारी या बढ़ा चढ़ा कर बताई गई परिचालन संख्या से सम्बन्धित शिकायतों के सभी मामलों में, समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार का कार्यालय अपने परिचालन संख्या दल द्वारा समाचारपत्र की परिचालन संख्या की जांच करवाता है। प्रकाशक को परिचालन संख्या के अपने दावे को प्रमाणित करने का अवसर देने के पश्चात यदि यह सिद्ध हो जाता है कि परिचालन संख्या बढ़ी चढ़ी है, तो समाचारपत्र का अखबारी कागज का कोटा जाँची गई निम्नतम परिचालन संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है और आवंटित किए गए फालतू अखबारी कागज को उत्तरवर्ती लाइसेंस अवधि (यों) के उसके कोटे में समंजित किया जाता है। जहां उपयुक्त होता है, मामलों को आयात व निर्यात के मुख्य नियंत्रक के कार्यालय (एनफोर्समैंट ब्राँच) को आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के उपबन्धों तथा उनके अधीन जारी किए गए आदेशों के अन्तर्गत आगे जांच और कारवाई के लिए भेजा जाता है। विभागीय कार्यवाई,

जिसमें किसी निश्चित अवधि के लिए आयात लाइसेंस, सीमा शुल्क निष्कासन परमिट, आदि से वंचित किया जाना शामिल है, के अतिरिक्त, उपयुक्त मामलों में दोषी समाचारपत्रों के विरुद्ध मुकदमे भी चलाए जाते हैं।

इस बारे में स्थिति का बराबर पुनरीक्षण होता रहता है और ऐसे अन्य कदम जो आवश्यक समझे जाएंगे, उठाए जाएंगे।

फिल्म वित्त निगम के निदेशक बोर्ड का पुनर्गठन

1442. **श्री कमल मिश्र मधुकर :**
श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म वित्त निगम के निदेशक बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है :

(ख) यदि हाँ, तो उनके नाम, उनका जीवन वृत्त तथा उन सदस्यों के चयन की कसौटी क्या है; और

(ग) बोर्ड के वर्तमान सदस्यों के नाम क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) : एक विवरण, जिसमें बोर्ड के वर्तमान सदस्यों के नाम तथा उनका जीवन वृत्त दिया गया है, सदन की मेज पर रख दिया गया है। उनका चयन, उनकी व्यावसायिक पृष्ठभूमि तथा ललित कलाओं एवं फिल्मों के विकास में उनकी रुचि को देखते हुए किया गया है। दो सरकारी अधिकारियों को उनके पद के आधार पर निदेशक नामजद किया गया है।

विवरण

नाम	जीवन वृत्त
1. श्री एम० टी० वासुदेवन नय्यर	आप मलयालम के प्रसिद्ध लघु कहानी लेखक तथा उपन्यासकार हैं। आप मलयालम साप्ताहिक "मातृ भूमि" के सम्पादक हैं। आप थिएटर कलाओं के कलाकारों का निर्माण करने वाले संगठम कलाकेन्द्रम कालीकट के अध्यक्ष हैं।
2. श्रीमती तेजी बच्चन	आप एक सुप्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्ता हैं। आपने नाटक तैयार किए हैं और उनमें अभिनय किया है तथा "दि हिन्दी शेक्सपियर मंच" नामक थियेटर ग्रुप की स्थापना की है। आप प्रादेशिक तथा केन्द्रीय फिल्म पुरस्कार समितियों की भी सदस्या रही हैं।

नाम	जीवन वृत
3. श्री ऋषिकेश मुकर्जी	भारतीय फिल्म उद्योग के प्रसिद्ध व्यक्ति—पुरस्कार जीतने वाली अनेक फिल्मों के निदेशक।
4. डा० वी० के० नारायण मैनन	आकाशवाणी के भूतपूर्व महानिदेशक, अब नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ परफोर्मिग आर्टस, बम्बई के निदेशक। आप भारतीय तथा यूरोपीय संगीत के अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के विशेषज्ञ हैं।
5. श्री मोहन राकेश	आप एक प्रसिद्ध लेखक हैं। आपके बहुत से नाटक मंच पर खेले जा चुके हैं तथा उनकी फिल्में भी बनाई गई हैं।
6. श्री ए० पी० वी० कृष्णन्	वित्त मन्त्रालय में संयुक्त सचिव तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के वित्तीय सलाहकार।
7. श्री एम० ए० एस० राजन	सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में संयुक्त सचिव।

बोर्ड के अध्यक्ष श्री बी० के० करंजिया हैं। आप फिल्म पत्रिका 'फिल्म फेयर' के सम्पादक हैं।

दिल्ली और गाजियाबाद में टेलीविजन सेट

1443. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1972 तक दिल्ली और गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में टेलीविजन के कितने लाइसेंस, नवीकरण सहित, जारी किये गये हैं, और

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बहुत से मामलों में दिल्ली के ग्राहकों को जे० के० टेलीविजन सेटों की बिक्री गाजियाबाद में की जाती है और उन्हें ये टेलीविजन दिल्ली में ही दिये जाते हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) 31 जनवरी, 1972 तक दिल्ली में 34283 और गाजियाबाद में 1552 टेलीविजन लाइसेंस जारी किए गए। इनमें नये किए गए लाइसेंस भी शामिल हैं।

(ख) जी नहीं।

आकाशवाणी में समाचार भारती टेलीप्रिंटर का खराब पड़े रहना

1444. **श्री शिव चण्डिका** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या आकाशवाणी में अधिष्ठापित समाचार भारती न्यूज एजेंसी का टेलीप्रिंटर 1970—71 में सारा वर्ष ही प्रायः बिगड़ा रहा;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप आकाशवाणी को समाचार प्राप्त नहीं हो रहे हैं लेकिन करार की शर्तों के अनुसार आकाशवाणी लगातार इस समाचार एजेंसी को इसके लिए भुगतान कर रहा है; और

(ग) क्या इस उद्देश्य के लिये धन का आवंटन इस वर्ष बढ़ा दिया गया है हालांकि टेलीप्रिंटर सेवा में कोई सुधार नहीं हुआ है; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) जी, नहीं।

(ख) आकाशवाणी को इस एजेंसी की सेवा नियमित रूप से प्राप्त होती है ।

(ग) आकाशवाणी द्वारा इस एजेंसी को किए जाने वाले भुगतान की राशि 1-2-1972 से 50,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपया प्रति वर्ष कर दी गई है । यह वृद्धि प्रादेशिक समाचार यूनिटों को समाचार भेजने और इसकी सेवा के स्तर को ध्यान में रखते हुए की गई है ।

बिहार में औद्योगिक लाइसेंस देने के लिये अनिर्णीत आवेदन-पत्र

1445. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) गत दो वर्षों के दौरान बिहार सरकार ने औद्योगिक लाइसेंस के लिऐ कितने आवेदन पत्र भेजे ।

(ख) स्वीकृत, अस्वीकृत और विचाराधीन आवेदन-पत्रों की संख्या और उनका व्योरा अलग-अलग क्या हैं, और

(ग) विभिन्न उद्योग कौन से हैं जिनके लिये लाइसेंस मांगे गये हैं और इनमें में से प्रत्येक में कितने पूंजी लगेगी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) औद्योगिक लाइसेंस की मंजूरी के लिये आवेदन पत्र सामान्य रूप से पार्टियों से सीधे ही प्राप्त होते हैं । बिहार से 1970 में औद्योगिक लाइसेंस के लिये 104 आवेदन पत्र तथा 1971 में 64 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे ।

(ख) और (ग) : 1970 में 17 लाइसेंस तथा 15 आशयपत्र जारी किये गये थे । 1971 में एक लाइसेंस तथा 4 आशयपत्र जारी किये गये थे । ये क्रमशः 1970 और 1971 में प्राप्त आवेदनों पर जारी किये गये थे । वर्ष 1970 के 27 आवेदन पत्र और 1971 के 46 आवेदन पत्र सरकार के विचाराधीन हैं । 1970 के 45 तथा 1971 के 13 शेष आवेदनों को क्रमशः 1970 और 1971 में (जैसे रद करने की सूचना जारी की गई, रद किये गये, वापस ले लिये गये, समाप्त किये गये और छूट दे दी गई) निपटारा कर दिया गया । आवेदनों का पूरा ब्यौरा, जिस पर आशयपत्र तथा लाइसेंस जारी किये गये हैं, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये "वीकली बुलेटिन आफ इण्डस्ट्रियल लाइसेंसेज, इम्पोर्ट लाइसेंसेज एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंसेज । वीकली इण्डियन ट्रेड जर्नल । एण्ड मंथली जर्नल आफ इण्डस्ट्री ऐण्ड ट्रेड, में प्रकाशित किया जाता है । इनकी प्रतियाँ संसद के पुस्तकालय भेज दी जाती हैं अनिर्णीत आवेदनों का विस्तृत ब्यौरा सामान्य रूप से बताया नहीं जाता है ।

साहू जैन, टाटा, बिड़ला और डालमिया के कारखानों का बन्द किया जाना

1446. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान साहू-जैन, टाटा, बिड़ला और डालमिया के कितने कारखानों को बन्द किया गया है;

(ख) इसके क्या कारण हैं, और

(ग) क्या कारखानों के बन्द किये जाने के वास्तविक कारणों का पता लगाने हेतु केन्द्रीय सरकार के पास कोई एजेंसी है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर गत छः महीनो के दौरान साहू-जैन, टाटा, बिड़ला और डालमिया का कोई कारखाना बन्द नहीं है । तमिलनाडु और त्रिपुरा से अपेक्षित सूचना अभी प्राप्त होती है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) औद्योगिक एकाकों की निरन्तर संवीक्षा करने के के लिए सरकार ने औद्योगिक विकास मंत्रालय में बंद/संकटग्रस्त एककों का प्रकोष्ठ सरकार के संबंधित विभागों में परामर्श द्वारा स्थापित किया है । इस संबंध में उठाये जाने वाले अन्य कदम अभी विचाराधीन हैं ।

भारत के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में उच्च शक्ति प्राप्त बोर्ड

1447. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत के प्राकृतिक संसाधनों का विकास तथा समन्वय करने के लिए राष्ट्रीय उच्च शक्ति प्राप्त बोर्ड की स्थापना की है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) : प्राकृतिक संसाधनों का विकास तथा समन्वय करने के लिए एक राष्ट्रीय उच्च शक्ति प्राप्त बोर्ड की स्थापना करने का प्रश्न विचाराधीन है । फिलहाल, योजना आयोग ने, प्राकृतिक ससाधनों के सर्वेक्षण से सम्बन्धी वर्तमान क्रिया-कलापों का जायजा लेने, कमियों का पता लगाने और प्राकृतिक संसाधनों के लिए उपाय सुझाने के उद्देश्य से योजना आयोग के सदस्य, श्री एम० एस० पाठक की अध्यक्षता में 25 सदस्यों का एक संचालन दल (स्टेयरिंग ग्रुप) पहले ही नियुक्त कर दिया है । प्राकृतिक संसाधनों की स्थिति की विस्तार से जांच करने और भावी विकास के कार्यक्रम तैयार करने के लिए संचालन दल के अाधीन विभिन्न संसाधनों के सम्बन्ध में बारह कार्यकारी दल (टास्कफोर्स) बनाए गये हैं । कार्यकारी दल (टास्कफोर्स) अपना काम कर रहे और अधिकांश काम पूरा करने वाले हैं । सरकार आगे क्या निर्णय लेगी यह कार्यकारी दलों और संचालन दल के निष्कर्षों पर निर्भर करता है ।

राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं द्वारा राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास परिषद् को भेजी गई—अनुसंधान योजनाएं

1448. **श्री ई० आर० कृष्णन्** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं ने राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास परिषद् को कितनी अनुसंधान योजनाएं भेजी हैं;

(ख) इन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए इस अवधि में कितने लाइसेंस लिये गये हैं; और

(ग) उक्त अवधि में राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास परिषद् को इन योजनाओं से स्वामित्व के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई है ?

योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) गत 3 वर्षों में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और अन्य संगठनों द्वारा राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम को 243 योजनाएं (जिनमें 5 व्यक्तिगत हैं) भेजो गयी हैं।

(ख) 201 प्रविधियों के लाइसेंस 249 पार्टियों को प्रदान किए गए हैं।

(ग) निर्दिष्ट समय के दौरान निगम द्वारा प्राप्त स्वामित्व की राशि इस प्रकार है—

	1968–69	**1969–70**	**1970–71**
स्वामित्व–	रु० 10,43,863	रु० 9,04,168	रु० 13,63,689
प्रीमिया –	रु० 6,43,600	रु० 3,59,500	रु० 7,73,001

जांच ब्यूरो द्वारा सरकारी कर्मचारियों पर चलाये गये मुकदमे

1449. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने घूसखोरी, आपराधिक कदाचार और धोखाधड़ी के आरोप में राज्यवार कितने सरकारी कर्मचारियों पर मुकदमे चलाये;

(ख) क्या सभी मामलों में अन्तिम कार्यवाही की जा चुकी है और यदि हां; तो उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) कितने मामले अभी भी विचाराधीन है और उनमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) वर्ष 1971 के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 338 मामलों में 453 सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमे चलाये। राज्यवार ब्यूरो बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्। अभी तक 51 मामले दोष-सिद्ध हुए हैं तथा 3 मामले अपराध-मुक्त सिद्ध हुए हैं।

(ग) 284 मामले न्यायालय के विचाराधीन हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो के मामले जटिल होते हैं और उनके सम्बन्ध में न्यायालयों में विस्तृत जांच की जानी होती है।

विवरण

उन न्यायालयों की स्थिति का निर्धारण जिनमें इन मामलों में दोषारोपण लगाये गये थे, से सम्बन्धित 453 सरकारी कर्मचारियों का राज्यवार ब्यौरा निम्न प्रकार है :–

1. आन्ध्र प्रदेश	56
2. असम	4
3. बिहार	48
4. चण्डीगढ़	1
5. दिल्ली	38
6. गुजरात	6
7. गोवा	2
8. हरियाणा	11
9. हिमाचल प्रदेश	7
10. जम्मू तथा कश्मीर	4
11. केरल	4
12. मध्य प्रदेश	18
13. मणिपुर	2
14. महाराष्ट्र	26
15. मेघालय	3
16. मैसूर	10
17. नागालैण्ड	22
18. उड़ीसा	13
19. पंजाब	16
20. राजस्थान	15
21. तमिल नाडु	69
22. उत्तर प्रदेश	35
23. पश्चिम बंगाल	43
योग :	453

बेरोजगार वैज्ञानिक

1450. श्री धर्मराव अफजलपुरकर : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा एकत्र किये गये आंकड़ों के अनुसार बेरोजगार वैज्ञानिकों की संख्या के बारे में सरकार ने कोई मूल्यांकन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं और उन बेरोजगार व्यक्तियों को नौकरी देने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) :

(क) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा बेरोजगार वैज्ञानिकों के कोई आंकड़े एकत्र नहीं किये गये हैं । फिर भी, 1961 की जन-गणना, राष्ट्रीय रजिस्टर के 1968 के सर्वेक्षण, रोजगार कार्यालयों से प्राप्त (दिनांक 31 दिसम्बर, 1969 से 31 दिसम्बर, 1970) के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि 1971 के आरम्भ में 75,000 वैज्ञानिक बेरोजगार थे ।

(ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति ने वैज्ञानिक और तकनीकी जनशक्ति को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक पैनल स्थापित किया है जो, आशा है, योजना आयोग के साथ परामर्श कर इस सम्बन्ध में ठोस सुझाव तैयार करेगा । भारत सरकार का यह भी प्रस्ताव है कि विशिष्ट इंजीनियरों और वैज्ञानिकों आदि को भारत में ही रखने के लिये अधिसंख्यक पद बनाये जायें ताकि उनको रोजगार के अभाव में विदेशों में न जाना पड़े 12 विदेशों से भारत में रोजगार मिलने का आश्वासन प्राप्त किये बिना वापस आने वालों तथा भारत में.उपलब्ध विशिष्ट योग्यता प्राप्त बेरोजगार इंजीनियरों को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का वैज्ञानिक पूल अस्थाई नियुक्ति प्रदान करता है ।

रोजगार के आवसरों को उन्नत करने के लिए जो उपाय किये जा चुके हैं, उनका विवरण संलग्न है ।

विवरण

वैज्ञानिकों के लिए रोजगार की सुविधाओं में सुधार लाने के लिए जो उपाय किये गये हैं, वे निम्नलिखित हैं :–

(1) रोजगार के लिए उपलब्ध व्यक्तियों का विवरण देते हुए जनशक्ति बुलेटिन प्रकाशित किया जाता है । इस बुलेटिन की लगभग 3,000 प्रतियां रोजगार प्रदान करने वाले विभिन्न संगठनों को निःशुल्क वितरित की जाती हैं ताकि उनको ऐसे व्यक्तियों का उपयोग करने में सुविधा हो ।

(2) भर्ती करने वाले निकायों तथा रोजगार देने वालों की वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् को प्रेषित अधिसूचनाओं के प्रत्युत्तर में योग्य उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश की जाती है ।

(3) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों की जांच भी करती है और उन विज्ञापनों के मुताबिक उपयुक्त योग्यता वाले पंजीकृतों की विचारार्थ सिफारिश भी करती है ।

(4) विशेषकर विदेशों से वापस लौटने पर सुयोग्य भारतीय वैज्ञानिकों, टैक्नोलोजिस्टी, इंजीनियरों और डाक्टरों को वैज्ञानिक पूल में अस्थाई नौकरी दिलाना ।

(5) देश में वैज्ञानिक प्रतिभा को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों और अनुसंधान केन्द्रों तथा विश्व-विद्यालयों के बाहर भी शिक्षा-वृत्तियां दी जाती हैं ।

(6) वैज्ञानिकों को अनुसंधान के लिए सहायता अनुदान प्रदान करना ।

(7) सरकार ने स्वीकृत वैज्ञानिक संस्थानों को भी अधिसंख्यक पदों के निर्माण का अधिकार दे दिया है ताकि उनमें विदेशों में कार्यरत और अध्ययनरत वैज्ञानिकों को तुरन्त अस्थाई नौकरी प्रदान की जा सके ।

(8) बेरोजगार उद्योगी व्यक्तियों (वैज्ञानिकों सहित) को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है ।

(9) वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और अन्य बेरोजगार व्यक्तियों को अपने आप रोजगार करने के लिए सरकार ने 50 करोड़ रुपये की धनराशि आबटित की है ।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसँधान परिषद् द्वारा प्रयोगशालाओं और अनुसँधान संघों का वर्गीकरण

1451. **श्री पम्पन गौड़ा** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने अपने अधीन प्रयोगशालाओं और अनुसंधान संघों का विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकरण किया है और उनके लिए समन्वय परिषदों की नियुक्ति की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार समिति के प्रतिवेदन के खण्ड-11 में दी गई एक सिफारिश के अनुसरण में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों और औद्योगिक अनुसंधान संस्थानों का 6 समूहों में गठन कर दिया गया है । इस व्यवस्था का औचित्य प्रयोगशालाओं में आपस में अधिक से अधिक सहयोग स्थापित करना है । जनवरी, 1972 से निम्नलिखित समूहों के लिए उनसे सम्बन्धित प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशकों/प्रधानों की समन्वय परिषदें गठित की गयी हैं :--

(क) रसायन विज्ञान समूह :

1. राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पूना
2. केन्द्रीय विद्युत-रसायन अनुसंधान संस्थान, कराई—कुड़ी
3. केन्द्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, भावनगर

4. क्षेत्रीय अनुसधान प्रयोगशाला, हैदराबाद
5. भारतीय पैट्रोलियम संस्थान, देहरादून
6. क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट

(ख) भौति और भू-विज्ञान समूह :

1. राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली
2. केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, चण्डीगढ़
3. राष्ट्रीय भू-भौतिकी अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद
4. राष्ट्रीय महासागर संस्थान, पंजिम (गोआ)
5. क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, भुवनेश्वर
6. राष्ट्रीय इलैक्ट्रानिक इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, पिलानी

(ग) इंजीनियरी समूह :

1. केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की
2. केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली
3. संरचना इंजीनियरी अनुसंधान केन्द्र, रुड़की
4. राष्ट्रीय वैमानिक प्रयोगशाला, बंगलौर
5. केन्द्रीय यांत्रिक इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुर
6. केन्द्रीय खनन अनुसंधान केन्द्र, धनबाद
7. राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, जमशेदपुर
8. केन्द्रीय कांच और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान, कलकत्ता
9. केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, जिएलगोरा
10. भारतीय प्लाइवुड उद्योग अनुसंधान संस्थान, बंगलौर
11. भारतीय आटोमोटिव अनुसंधान संस्था, पूना
12. भारतीय सीमेंट अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली

(घ) जीव विज्ञान समूह :

1. केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, लखनऊ
2. भारतीय प्रयोगात्मक औषधि संस्थान, कलकत्ता
3. औद्योगिक विष-विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ
4. क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जम्मू
5. राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान, लखनऊ
6. केन्द्रीय भारतीय औषधि पौधा संगठन, लखनऊ
7. केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर

8. केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, मद्रास

9. केन्द्रीय जन-स्वास्थ्य इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, नागपुर

10. चाय अनुसंधान संस्थान (टौकलाय एक्सपैरिमैंटल स्टेशन) जोरहाट

(ङ) रेशा समूह :

1. रेशम और कृत्रिम रेशम मिल अनुसंधान संस्था, बम्बई

2. अहमदाबाद कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्था, अहमदाबाद

3. बम्बई कपड़ा अनुसंधान संस्था, बम्बई

4. दक्षिण भारत कपड़ा अनुसंधान संस्था, कोयम्बत्तूर

5. भारतीय जूट उद्योग अनुसंधान संस्था, कलकत्ता

6. ऊन अनुसंधान संस्था, बम्बई

(च) सूचना विज्ञान समूह :

1. विश्वेश्वरय्या औद्योगिक एवं तकनीकी सग्रहालय, बंगलौर

2. बिड़ला औद्योगिक एवं प्रौद्योगिक संग्रहालय, कलकत्ता

3. केन्द्रीय वैज्ञानिक सूचना एवं प्रकाशन संस्थान (इन्सडाक तथा पी० आई० डी०), नई दिल्ली

समन्वय परिषदों के कार्य होंगे :–

'अन्तर्प्रयोगशालीय परियोजनाओं की प्रगति, प्राथमिकता निर्धारण और उनकी प्रगति का मूल्यांकन, और इस संदर्भ में कार्यकारी दलों का नियोजन करना। इसमें कर्मचारियों का, जहां आवश्यक हो, विनिमय/आबंटन शामिल होगा ताकि निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त प्रतिभा और सुविधाओं का अधिकतम उपयोग हो सके।

समन्वय परिषदों के अध्यक्ष, सम्बन्धित प्रयोगशाला-समूहों और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के सम्पूर्ण कार्यक्रमों, नीतियों और लक्ष्यों के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करेंगे।

मनीआर्डर फार्मों का क्षेत्रीय भाषाओं में छापा जाना

1452. **श्री पम्पन गौड़ा :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीआर्डर फार्मों को क्षेत्रीय भाषाओं में छापे जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) : मनीआर्डर फार्म क्षत्रीय, भाषाओं में छापने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि ऐसे फार्म एक-साथ तीन भाषाओं हिन्दीं,

अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा में छापने का प्रस्ताव है। मुख्य नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन-सामग्री को तद्नुसार सूचित कर दिया गया है।

केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बारे में राजामन्नार समिति

1453. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को राजामन्नार समिति के प्रतिवेदन के बारे में तमिल-नाडु सरकार के विचार प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री : (श्री राम निवास मिर्धा) (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हाल के चुनावों के दौरान राज्यों में साम्प्रदायिक दंगे

1454. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के चुनावों के दौरान विभिन्न राज्यों में साम्प्रदायिक दंगे हुए थे; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की है और देश में साम्प्रदायिक दंगों को रोकने के लिए क्या स्थायी उपाय करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा): (क) तथा (ख) राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त सूचना के अनुसार हाल के चुनावों के दौरान गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, दिल्ली, गोवा, दमन व दीव और पांडिचेरी में कोई साम्प्रदायिक घटना नहीं हुई। ऐसी तीन घटनाएं मैसूर में और दो राजस्थान में हुई। विशिष्ट घटनाओं से सम्बन्धित मामलों की कानून के अनुसार छानबीन की जा रही है। आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू व कश्मीर, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और मेघालय के सम्बन्ध में सूचना अभी राज्य सरकारों से आनी है।

साम्प्रदायिक हिंसा की समस्या से निपटने के उपायों का जहां तक सम्बन्ध है, सदन में समय-समय पर विस्तृत सूचना दी गई है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय एकता परिषद द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए विधायी तथा प्रशासनिक उपाय किये हैं। प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा सतर्कता सुनिश्चित करने के लिए विशेषत: उन क्षेत्रों में जिन्हें दंगे की ओर प्रवृत समझा जाता है, कदम उठाये गये हैं।

राष्ट्रीय एकता सम्बन्धी कार्य करने वाले संगठनों का अनुदान

1455. **श्री अम्बेश** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय एकता सम्बन्धी कार्य करने वाले स्वेच्छिक संगठनों को तदर्थ अनुदान देने की योजना के अन्तर्गत किन-२ स्वेच्छिक संगठनों को पहले ही तदर्थ अनुदान मंजूर किए जा चुके हैं ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री : (श्री राम निवास मिर्धा) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1573/72]।**

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में रूस के सहयोग से घड़ियों का निर्माण

1457. **श्री पी० वेकंटासुब्बया :** क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में रूस के सहयोग से घडियां बनाये जाने का प्रस्ताव है : और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमन्त्री) श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

घड़ियों की मांग

1458. **श्री पी० वेकंटासुब्बया :** क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में घड़ियों की मांग का कोई सही अनुमान लगाया गया है । और

(ख) यदि हां, तो प्रति वर्ष कितनी घड़ियों की मांग रहती है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : यद्यपि कलाई घड़ियों जैसी उपभोक्ता वस्तुओं की मांग का सही सही अनुमान लगा सकना कठिन है फिर भी चौथी पंचवर्षीय योजनावधि के अन्त तक (1973-74) प्रतिवर्ष 45 लाख कलाई घड़ियों की मांग होने का अनुमान है ।

दिल्ली में विभिन्न व्यक्तियों को लिखे गये 132 पत्रों का एक ही पते पर वितरण करने के सम्बन्ध में जांच

1459. **श्री बक्शी नायक** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 फरवरी, 1972 के टाइम्स आफ इण्डिया में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि राजधानी में विभिन्न व्यक्तियों को लिखे गये 132 पत्रों का एक बंडल एक ही पते पर जनरल पोस्ट आफिस दिल्ली ने वितरित किया है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है; और

(ग) निष्कर्ष से क्या परिणाम निकले हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मन्त्री,(श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हाँ : 15 फरवरी, 1972 के टाइम्स ऑफ इण्डिया में प्रकाशित समाचार डाक-तार विभाग के देखने में आया है ।

(ख) जी हाँ : 15 फरवरी, 1972 को समाचार पत्र में इस समाचार के छपने से पहले ही 14 फरवरी, 1972 को इस मामले की जांच शुरु कर दी गई थी।

(ग) जांच से पता चला है कि रोजगार दफ्तर, दरियागंज, दिल्ली से डाक से भेजे गए 59 काल लेटर (न कि इन्टरव्यू लेटर) और 73 बचत बैंक पावतियां जिनको दिल्ली जी० पी० ओ० और निकटवर्ती डाकघरों के जरिये बाँटा जाना था, एक ही बन्डल में बांध दिए गये और आर० एम० एस० भवन सार्टिग आफिस, दिल्ली ने उन पर जाँच पर्ची लगाए बिना ही उन्हें दिल्ली जी० पी० ओ० को भेज दिया। काल लेटर लिफाफा में बन्द नहीं थे बल्कि ये एक पृष्ठ के साइ-क्लोस्टाइल कागज थे जो दोनों किनारों पर डाक-टिकट चिपका कर बन्द किये गये थे। जब बंडल बांधा गया तो यह गोल हो गया और उसमें जो बचत बैंक की पावतियां थीं, उन्हें बाहर से नहीं देखा जा सकता था। बंडल में सबसे ऊपर का पत्र दिल्ली विश्वविद्यालय के पत्राचार पाठ्यक्रम के एक विद्यार्थी के नाम था और एक विद्यार्थी के तौर पर उसे ऐसे पैकेट अकसर मिलते थे। दिल्ली जी० पी० ओ० ने गलती से इस बण्डल को भी उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किया जाने वाला एक भारी पैकेट ही समझा।

14 फरवरी, 1972 को शाम के 5 बजे टाइम्स ऑफ इण्डिया के रिपोर्टर से सूचना मिलने पर एक उप-पोस्टमास्टर ने फौरन वहां स्वयं जा कर ये पत्र लिए। उस बण्डल में 27 काल लेटर पाए गये जिनमें विद्यार्थियों को 15 फरवरी, 1972 को रोजगार दफ्तर आने के लिए लिखा गया था। ये विशेष संदेशवाहकों के जरिये पाने वालों को उसी दिन बांटे गए और शेष अगले दिन बांटे गये। इनमें से केवल एक काल लेटर ही नहीं बाँटा जा सका जोकि 14 फरवरी, 1972 के लिए था।

इस चूक के लिए जो कर्मचारी जिम्मेदार पाए गए हैं उनके विरुद्ध समुचित कार्रवाही की जा रही।

भू-उपग्रह केन्द्र, आरवी के माध्यम से भारत-कनाडा टेलीफोन सेवा

1460. **श्री सी० टी० दंडपाणि :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा कनाडा के बीच पूना के निकट स्थित भारत के भू-उपग्रह केन्द्र, आरवी के माध्यम से एक नई टेलीफोन सेवा द्वारा सीधा सम्बन्ध था;

(ख) यदि हां, तो अन्य किन-किन देशों के साथ सीधे सम्बन्ध स्थापित किये गये ; और

(ग) शेष देशों के साथ टेलीफोन सम्बन्ध कब तक स्थापित हो जाने की आशा है ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां)।

(ख) निम्नलिखित देशों से उपग्रह-टेलीफोन के सीधे सम्पर्क स्थापित किये जा चुके हैं :—

1. आस्ट्रेलिया
2. बहरीन
3, कनाड़ा
4. पूर्वी अफ्रीका

5 फ्रांस

6. पश्चिमी जर्मनी

7. हांग-कांग

8. इटली

9. जापान

10. कुवैत

11. मलेशिया

12. सिंगापुर

13. स्विट्जरलैंड

14. ब्रिटेन

15. अमरीका

(ग) उपर्युक्त 15 देशों के अलावा 1972 के दौरान कुछ और देशों को सीधे उपग्रह-टेलीफ़ोन सम्पर्कों से जोड़े जाने की संभावना है।

AIR Running Commentary on Congress Party Procession on 9. 8. 71, in Delhi

1461. **Shri Jagannath Rao Joshi** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether a running commentary of the procession taken out by Congress Party in Delhi on the 9th August, 1971 last was broadcast by All India Radio ;

(b) the names of the Stations of All India Radio which broadcast this commentary or portions thereof and the timings and the duration of the said broadcasts ; and

(c) the policy adopted in regard to other parties and whether broadcasts were made in regard to twelve-day Satyagraha, demonstration and procession organised by Jan Sangh in August last in connection with according recognition to Bangla Desh ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting (Shrimati Nandini Satpathy) : (a) & (b) No running Commentary on the procession was broadcast. But the Prime Minister's speech at the rally was recorded and later broadcast from Delhi Station. This was made available to other Stations for relay. The names of Stations which relayed Prime Minister's speech are given in the attached statement.

(c) These broadcasts were undertaken having regard to the nature and character of the event. Activities of Jan Sangh or for that matter of other political parties were noticed by AIR in its news and other programmes depending on their news value.

Statement showing names of stations which relayed Prime Ministers speech at Public Rally on 9. 8. 71 in New Delhi between 3.45 p.m. and 4.25 p.m.

Station	Duration Mts.
(1) Pondicherry	40
(2) Trivandrum	40
(3) Jullundur	40
(4) Jaipur	40
(5) Jodhpur	40
(6) Nagpur	40
(7) Ajmer	40
(8) Bombay	40
(9) Hyderabad	40
(10) Kohima	40

(11) Simla	40
(12) Dharwar	40
(13) Tiruchirapalli	40
(14) Port Blair	40
(15) Srinagar	40
(16) Rajkot	40
(17) Poona	40
(18) Panaji	40
(19) Vijayawada	40
(20) Indore	40
(21) Trichur	40
(22) Jammu	40
(23) Madras	40
(24) Bikaner	40
(25) Calcutta	40
(26) Delhi	40
(27) Bangalore	40
(28) Ranchi	40
(29) Ahmedabad	40

Raj Bhavans in the Country

1462. **Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Chandra Shekhar Singh :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the total number of Raj Bhavans in the country and the area and present market value of each; and

(b) the expenditure incurred on each Bhavan during the last three years, year-wise, on account of white-washing, maintenance of gardens, electricity, water and sanitation, separately and the expenditure likely to be incurred on this account during the next year ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) : (a) & (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House to the extent available.

अमृतसर में टेलीविजन केन्द्र

1463. **श्री भोला माझी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री 15 मार्च, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 233 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अमृतसर में टेलीविजन रिले केन्द्र की स्थापना के लिए किस देश से मशीनरी का आयात किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सतपथी) : अमृतसर में टेलीविजन केन्द्र के लिये उपकरण आयात करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

† Information regarding eight stations is not available at the moment.

Permission To B.S.F. Personnel To Get their Lives Insured

1464. **Dr. Shankata Prasad** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the employees of the Border Security Force are not being permitted to get their lives insured; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) : (a) No, Sir. It is not correct that the BSF personnel are not being permitted to get their lives insured.

(b) Does not arise.

T. V. And Radio Sets donated To Military Hospital without Licence Fee

*1465. **Dr. Shankata Prasad** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether no fee is charged for issuing licences for radio and television sets donated to Military Hospitals ; and

(b) if so, the number of such licences issued during the last three years ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) Yes, Radio and T. V. Sets donated to Defence Services during the period of the present Emergency for use in Military Hospitals for the benefit of patients have been exempted from the payment of licence fee.

(b) The required information is being collected and will be placed on the table of the Lok Sabha.

बड़े औद्योगिक गृहों को औद्योगिक लाइसेंसों का जारी किया जाना

1466. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1969 से आज तक उद्योग वार तथा वर्ग-वार 75 बड़े औद्योगिक गृहों में से प्रत्येक को, एन० वी०, एस० ई०, एन ई० सी० ओ० बी० और शिफ्टिग संबंधी कितने कितने औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : पांच विवरण संलग्न है । [**ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०** 1574/72]

रूसी सहयोग से पश्चिम बंगाल में घड़ी के कारखाने की स्थापना

1467. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस के सहयोग से पश्चिमी बंगाल में घड़ी बनाने वाली एक नई परियोजना इस वर्ष आरम्भ की जा रही है । और

(ख) यदि हां, तो परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : **(क) और (ख)** : गत अगस्त में सोवियत पार्टी के तकनीकी सहयोग से भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल में लघु उद्योग क्षेत्र में कलाई घड़ी निर्माण हेतु एक भारतीय कम्पनी को मंजूरी दे दी है । फर्म का प्रस्ताव प्रथम

वर्ष में 20,000 घड़ियां तथा पाँचवे वर्ष और उसके उपरान्त प्रतिवर्ष 80,000 घड़ियां बनाने का है।

जनसंख्या के हिसाब से डाकघर

1468. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में 960, 1965 और 1970 में कितनी जनसंख्या के लिए एक डाकघर की व्यवस्था थी: और

(ख) पश्चिम बंगाल के प्रत्येक जिले और प्रत्येक सब-डिवीजन में 1960, 1965 और 1970 में कितनी जन संख्या के लिये एक डाकघर की व्यवस्था थी ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रखा जा रहा है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1575/72**] मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश सम्बन्धी सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) एक अन्य विवरण-पत्र सभा पटल पर रखा जा रहा है। जिसमें पश्चिमी बंगाल में जनसंख्या के अनुपात में डाकघरों की संख्या सम्बन्धी जिलावार सूचना दी गई है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1575/72**] सब डिवीजन के अनुसार कितनी जनसंख्या के लिये एक डाकघर की व्यवस्था है, इसकी सचना इकट्ठी की जा रही है और यथा-समय लोक-सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

धूम्रपान और मद्यपान सम्बन्धी विज्ञापनों पर रोक

1469. **श्री बेकारिया** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या धूम्रपान और मद्यपान का स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ने के कारण सरकारी पत्रिकाओं, सार्वजनिक स्थानों, रेलवे प्लेटफार्मों और हवाई अड्डों पर इस प्रकार के विज्ञापनों पर रोक लगाने का सरकार का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

गैर-सरकारी क्षेत्र में विदेशी सहयोग सम्बन्धी करार

1470. **श्री बेकारिया** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन गैर-सरकारी फर्मों/सरकारी उप-क्रमों के मदवार नाम क्या हैं जिन्हें वर्ष 1971 में विदेशी फर्मों/सरकारों से विदेशी सहयोग की अनुमति दी गई ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : एक सूची संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1576/72**]

हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा संकटग्रस्त कागज मिलों को अपने नियन्त्रण में लेना

1471. **श्री शशि भूषण** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड ने किन-किन संकटग्रस्त कागज मिलों को अपने नियन्त्रण में लिया है और उनकी संख्या कितनी है।

(ख) क्या कारपोरेशन ने देश में किसी नई कागज मिल की स्थापना की है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और

(ग) कारपोरेशन देश में कागज की कमी को दूर करने तथा सस्ते मूल्यों पर कागज की सप्लाई सुनिश्चित करने में कहां तक समर्थ हुई है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन ने अभा तक कोई सँकटग्रस्त पेपर मिल अपने नियन्त्रण में नहीं लिया है।

(ख) कारपोरेशन ने अभी तक कोई पेपर मिल पूरा नहीं किया है किंतु इस समय वे नागालैंड, आसाम तथा केरल में कागज, लुगदी और अखबारी कागज संयंत्र स्थापित करने में व्यस्त हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया के विरुद्ध जांच का परिणाम

1473. **श्री शशि भूषण :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री प्रेस ट्रस्ट ऑफ इण्डिया द्वारा भवन-निर्माण सम्बन्धी धन के अनधिकृत प्रयोग के बारे में शिकायतों के सम्बन्ध में 1 दिसम्बर, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2344 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जाँच का क्या परिणाम निकला ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : जांच रिपोर्ट अभी कम्पनी कार्य विभाग के विचाराधीन है।

सरकारी कर्मचारियों के लिए हिन्दी शिक्षण योजना

1474. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा समस्त देश के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये चलाई गई हिन्दी शिक्षण योजना का क्रियान्विति में कितनी प्रगति हुई है,

(ख) केन्द्रीय सरकार के कितने प्रतिशत कर्मचारियों को अभी यह शिक्षा दी जाती है ;

(ग) इस उद्देश्य के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा प्राप्त हिन्दी ज्ञान का वास्तव में कार्यालय के कामकाज में उपयोग हो और

(घ) यदि इस सम्बन्ध में कोई कठिनाइयां अनुभव की जा रही हैं तो वे क्या हैं ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) गृह मंत्रालय द्वारा हिन्दी शिक्षण योजना अक्तूबर, 1955 से आरम्भ की गई थी। अब तक उपलब्ध सूचना के अनुसार 2,71000 से भी अधिक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने एक या एक से अधिक निर्धारित हिन्दी परिक्षायें पास की हैं, 14,385 कर्मचारियों ने हिन्दी टाइपराइटिंग पास किया है और 2,798 कर्मचारियों ने हिंदी आशुलिपि परीक्षा पास की है।

(ख) : मोटे अनुमान के अनुसार लगभग 2 लाख केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी ऐसे हैं। जिनके लिए सेवा में हिंदी शिक्षण अनिवार्य है और जिन्हें अभी हिंदी में शिक्षित किया जाना है।

इनमें से बहुत बड़ी संख्या की एक श्रेणी उन परिचालन कर्मचारियों की है जिनके लिए कार्यालय के समय में उनके कर्तव्यों की प्रकृति के कारण नियमित कक्षाओं में सम्मिलित होना कठिन है। इसके अतिरिक्त समस्त देश में प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार की नौकरी में बहुत से कर्मचारी भरती किये जाते हैं और इसी प्रकार प्रतिवर्ष बहुत से कर्मचारी सेवानिवृत हो जाते हैं। इस प्रकार हिन्दी न जानने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत निकालना कठिन है। ऐसी सूचना एकत्र करने में जो श्रम व व्यय होगा, वह प्राप्त होने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होगा।

(ग) तथा (घ) : संशोधित राज भाषा अधिनियम, 1963 के उपबंधों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी अपने सरकारी काम काज के निष्पादन के लिए हिन्दी या अंग्रेजी का प्रयोग करने में स्वतन्त्र हैं किसी भी कर्मचारी को केवल हिन्दी या अंग्रेजी का प्रयोग करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किंतु जहाँ कहीं सम्भव होता है, कर्मचारियों को हिंदी का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

लघु तथा मध्यम दर्जे के उद्योगों को लाभ

1475. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उदार औद्योगिक नीति लागू होने के बाद से लघु तथा मध्यम दर्जे के उद्योगों को अधिक लाभ पहुंच रहा है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1971 में लघु, मध्यम और मूलभूत उद्योगों को जारी किये गये लाइसेंसों और आशय-पत्रों की संख्या कितनी है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) बड़े औद्योगिक गृहों, विदेशी कम्पनियों अथवा कुछ एक विशिष्ट उद्योगों में लगे हुए अथवा "प्रभुत्वशाली उपक्रमों" की श्रेणी में आने वाले एककों को छोड़कर लघु उद्योग के ऐसे एककों को, जिनमें संयंत्र और मशीनों पर 7·5 लाख रुपये से कम का विनियोजन है, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के लाइसेंस उपबन्धों से मुक्त रखा गया है। अतः साधारणतया लघु उद्योग एककों को औद्योगिक लाइसेंस अथवा आशय-पत्र जारी करने का प्रश्न पैदा ही नहीं होता। 1971 में जारी किये गये 626 औद्योगिक लाइसेंसों और 1015 आशय-पत्रों में से लघु और मध्यम उद्यमियों, अर्थात् 20 बड़े औद्योगिक गृहों और विदेशी कम्पनियों को छोड़कर अन्य उद्यमियों का हिस्सा क्रमशः 488 और 958 रहा। 'कोर' क्षेत्र के लिए जारी किये गये औद्योगिक लाइसेंसों और आशय-पत्रों की कुल संख्या क्रमशः 85 और 76 है।

'वाटर एण्ड दी लैंड' नामक पुरस्कार विजेता वृत्त-चित्र

1476. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री एस० एन० बनर्जी द्वारा निर्देशित और फिल्म डिवीजन आफ इण्डिया द्वारा निर्मित 'वाटर एण्ड दी लैंड" नामक वृत्त-चित्र को बर्लिन में हुई 7वीं अन्तर्राष्ट्रीय कृषि चित्र प्रतियोगिता में 'सिल्वर बियर' पुरस्कार मिला था;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त चित्र को देश के सिनेमाघ्रों में प्रदर्शन के लिए रिलीज कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त चित्र को रिलीज करने में कितना समय लगेगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां। इस वृत्त-चित्र का निर्देशन श्री निशित बनर्जी द्वारा किया गया था, न कि श्री एस० एन० बनर्जी द्वारा।

(ख) तथा (ग) : जी, नहीं। खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा प्रायोजित यह फिल्म अन्तराष्ट्रीय शिक्षण तथा प्रशिक्षण फिल्म के रूप में वर्गीकृत की गई है और यह विशेष ग्रामीण श्रोताओं के लिए बनाई गई है। अतः देश के सिनेमाघरों में प्रदर्शनार्थ इस फिल्म को रिलीज करने का प्रश्न नहीं उठता। तथापि, इसको चलती फिरती गाड़ियों आदि के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाए जाने के लिए रिलीज कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों का विकास

1477. **श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों अर्थात अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी-गढ़वाल, पिथौरागढ़, टिहरी-गढ़वाल, उत्तरकाशी के विकास के लिये एक "हिमालयन सैल" बनाने पर विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

योजना मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां।

(ख) सैल की स्थापना से सम्बन्धित प्रस्ताव के, विभिन्न पहलुओं की जांच की जा रही है और शीघ्र ही अन्तिम रूप मे निर्णय ले लिया जायेगा।

उत्तर प्रदेश में लघु उद्योग क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना

1478. **श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश की पहाड़ी जिलों में अर्थात् अलमोड़ा, चमोली, देहरादून, नैनीताल, पौडी-गढ़वाल, पिथोरागढ़, टिहरी-गढ़वाल और उत्तरकाशी में रोजगार की व्यवस्था करने के लिये लघु उद्योग क्षेत्र में कुछ उद्योग स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : उत्तर प्रदेश चतुर्थ योजना के अन्तर्गत ग्रामीण एव उद्योगों के विकास के लिये स्वीकृत पूंजी 201C-C0 लाख रुपये है। इसके अतिरिक्त, उत्तरा खण्ड डिवीजन में लघु

उद्योगों के विकास के लिये 54·00 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है। 1972-73 में राज्य के लिये ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के विकासार्थ स्वीकृत पूंजी 35·000 लाख रुपये है। इसके अतिरिक्त, उत्तरा-खण्ड डिवीजन के विकास के लिये योजना आयोग द्वारा स्वीकृत कुल 400·00 लाख रुपये के परिव्यय की राशि में से इन उद्योगों के लिये राज्य सरकार द्वारा 9·10 लाख रुपये का विशेष आवंटन किया गया है। केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक ग्रामीण उद्योग परियोजना अलमोड़ा के ताडीखेत नामक स्थान पर लगाई गई है। अलमोड़ा, चमोली, पौडी-गढ़वाल, पिथौरागढ़, टिहरी-गढ़वाल और उत्तरकाशी के उद्योग वित्तीय संस्थानों से रियायती आर्थिक सहायता ले सकते हैं। हाल ही में योजना आयोग ने उत्तर-प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों क औद्योगीकरण को सम्भाव्यता की जांच करने के लिये एक कार्य-दल की स्थापना की है।

आई० सी० एस० अधिकारियों की सेवावधि में वृद्धि

1479. **श्री अमरनाथ चावला** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार में इस समय सेवारत आई० सी० एस० अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) इस वर्ष अर्थात 31 दिसम्बर, 1972 तक आई० सी० एस० के कितने अधिकारियों के सेवानिवृत्त होने की सम्भावना है; और

(ग) क्या इन में से किसी की सेवावधि में पहले वृद्धि की गई है और यदि हां, तो कितनी और उनकी सेवावधि में वृद्धि करने के क्या विशिष्ट कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्यमन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 56 (इसमें भारतीय विदेश सेवा में स्थायी रूप से उपनियुक्त किये गये भी शामिल हैं)।

(ख) 14

(ग) इनमें से दो की लोकहित में सेवावधि में वृद्धि की गई है। इनमें से एक मामले में, लोकहित में चार मास की सेवानिवृत्ति-पूर्व छुट्टी अस्वीकृत कर दी गई थी और इसके फलस्वरूप सेवावधि में चार मास की वृद्धि हो गई। दूसरे मामले में सेवावधि में एक वर्ष की वृद्धि की गई।

औद्योगिक लाइसेंस नीति का प्रभाव

1480. **श्री पीलू मोदी** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 फरवरी, 1972 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में न्यू लाइसेंसिंग पालिसी मेल्स टू फेक इम्पैक्ट" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : 12 फरवरी 1972 के

टाइम्स आफ इंडिया में "न्यू लाइसेंसिंग पालिसी फेल्स टू मेक इम्पेक्ट" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार को देख लिया है । निर्देश सरकार की हाल ही में की गई उस घोषणा के सम्बन्ध में है जिसमें 54 चुने हुए उद्योगों की अधिष्ठापित क्षमता के पूर्ण उपयोग करने का उल्लेख किया गया है । बड़े औद्योगिक गृह तथा विदेशी कम्पनियों जो एक या दो पाक्षी के आधार पर लाइसेंसिंग/पंजीयित की गई हैं, को छोड़कर अन्य उपक्रम पूर्ण क्षमता तक अपना उत्पादन बढ़ा सकेंगे । अन्य मामलों में कुछ शर्तों के अधीन वे 100 प्रतिशत तक अपने लाइसेंस प्राप्त/पंजीयित उत्पादन का विस्तार करने में समर्थ होंगे । इन उद्योगों में क्षमता के पूर्ण उपयोग के बड़े औद्योगिक गृहों तथा विदेशी कम्पनियों से प्राप्त हुए आवेदन पत्रों पर इस उद्देश्य के लिये गठित एक सक्रिय दल विचार करेगा । सरकार इस उद्देश्य के लिये एक सक्रिय दल का गठन कर चुकी है, उसके क्षेत्राधिकार में आने वाले आवेदनों पर विचारार्थ आवश्यक निर्देश दे चुकी है तथा उस पपत्र की घोषणा कर चुकी है जिसमें आवेदकों को अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हैं । इसके अतिरिक्त अन्य और किस्म के मामलों को निपटाने संबंधी अतिरिक्त अनुदेश भी जारी किये गये हैं । अनेक आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और सक्रिय दल द्वारा कुछ निपटा भी दिये गये हैं । इन उपायों का पूर्ण प्रभाव यथा समय विदित होगा ।

राज्यों की वार्षिक योजनाएं

1481. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1972–73 के लिए वार्षिक योजनाओं को अन्तिम रूप देते समय राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा कर दिया गया है; यदि नहीं, तो ये किस प्रकार कम की गई हैं ;

(ख) राज्य के मुख्य मंत्री के अनुसार उत्तर प्रदेश की क्या आवश्यकता थी; और

(ग) उन पर योजना आयोग ने क्या निर्णय लिया ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) वर्ष 1972–73 के राज्य के योजना प्रस्तावों पर योजना आयोग तथा राज्य मुख्य मन्त्रियों के मध्य बातचीत हुई और उस के बाद उपलब्ध वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक राज्य की वार्षिक योजना के आकार के बारे में परस्पर सम्बद्ध निर्णय लिए गये ।

(ख) और (ग) : उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने 235 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया था, पर योजना आयोग ने 1972–73 के लिए 225 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया ।

विदेशी राष्ट्रिकों को भारतीय राष्ट्रिकता का प्रदान किया जाना

1482. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में कितने विदेशी राष्ट्रिकों को भारतीय राष्ट्रिकता दी गई है; और

(ख) विदेशी राष्ट्रिकों को भारतीय राष्ट्रिकता दिये जाने सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धांत क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1970 और 1971 वर्षों के दौरान 6672 विदेशी राष्ट्रिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई थी।

(ख) नागरिकता अधिनियम, 1955 के उपबन्धों तथा इसके अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार विदेशी राष्ट्रिकों को नागरिकता प्रदान की जाती है।

मध्य प्रदेश का औद्योगिक विकास

1483. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मध्य प्रदेश के बहुत ही पिछड़े जिलों अथवा ब्लाकों में स्थापित किये जाने वाले नये औद्योगिक कारखानों में लगाई जाने वाली निर्धारित पूंजी के 10% तक केन्द्रीय राजसहायता देकर उन जिलों अथवा ब्लाकों का गहन विकास करने का कोई निर्णय किया गया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : मध्य प्रदेश उन राज्यों में से एक है जिसे पिछड़े हुए क्षेत्रों का निर्धारण करने के लिए योजना आयोग द्वारा स्थापित किये गये कार्यकारी दल ने पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोषित किया है। जहां तक मध्य प्रदेश का संबंध है निम्नलिखित क्षेत्र इस सहायता के पात्र हैं :

1. पूर्वी क्षेत्र जिसमें ये खण्ड हैं :

1. कोरवा 2. बलोदा 3. चम्पा 4. कोटा 5. मस्तमरी 6. विलहा (विलासपुर)	बिलासपुर जिले में
7. माटापाड़ा 8. सिम्गा 9. टिल्डा 10. उमारपुर घासिवा (रायपुर) 11. अमारपुर 12. अजीम	रायपुर जिले में

2. **पश्चिमी क्षेत्र जिसमें ये खण्ड हैं** :

1. देवास 2. टौंक खुर्द	देवास जिले से
3. गुलना 4. शुजालपुर 5. शाजपुर	शाजपुर जिले से
6. पछोर (सारंगपुर) 7. व्यावोरा	राजगढ़ जिले से

8. छछोरा
9. राधोगढ़ } गूना जिले से
10. गूना

उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य अभिकरण से प्रत्याशित है कि वह अवस्थापना सुविधाएं देने तथा इन क्षेत्रों में उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए दी जाने वाली सहायता आदि सुविधाएं प्रदान करें।

सरकारी कर्मचारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में भाग लेने की अनुमति देना

1484. **श्री कमल मिश्र मधुकर :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की नियमित परीक्षा में भाग लेने के लिए 35 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को एक अवसर प्रदान करने हेतु एक अनिवार्य सिद्धांत के रूप में तीन वर्ष की सेवा नियत करने का निर्णय किया है जबकि प्रशासनिक सुधार आयोग ने इस प्रयोजन के लिए 6 वर्ष की सेवा होने की सिफारिश की थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सिफारिश को इस वर्ष में क्रियान्वित करने का भी निर्णय किया है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पांचवी पंचवर्षीय योजना का बनाया जाना

1435. **श्रीमती सावित्री श्याम :**
श्री बी० वी० नायक :
श्री बालाकृष्णा :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-79) के लिए प्रस्ताव तैयार करने आरम्भ कर दिए हैं;

(ख) क्या सरकार गत योजनाओं की सफलताओं और असफलताओं को ध्यान में रखेगी;

(ग) योजना के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कितनी विदेशी सहायता प्राप्त होने की आशा है; और

(घ) सरकार द्वारा संसदीय प्रतिवेदन कब तक जारी किए जाने की आशा है ?

योजना मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां। पाँचवीं योजना को तैयार करने के सम्बन्ध में, योजना आयोग ने पहले ही काम शुरू कर दिया है।

(ख) जी, हां।

(ग) पांचवा योजना के प्रस्ताव तैयार करते समय, जिन उद्देश्यों की प्राप्ति को ध्यान में रखा गया है उनमें एक स्वावलम्बन है। निस्सन्देह, योजना आयोग आन्तरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार के संसाधनों की उपलब्धि को ध्यान में रखेगा। बहरहाल, इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि पांचवीं योजना के लिए कितनी मात्रा में विदेशी सहायता उपलब्ध होगी।

(घ) इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि किस निश्चित तिथि तक प्रारम्भिक रिपोर्ट पूरी हो जायेगी। परन्तु 1973 के अन्त तक प्रारम्भिक रूपरेखा का प्रारूप तैयार होने की सम्भावना है।

केन्द्रीय सेवा में अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जन-जातियां

1486. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 में केन्द्रीय सरकार ने, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के वर्गवार कितने उम्मीदवार भर्ती किये; और

(ख) उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित कितने प्रतिशत रिक्त पदों को रद्द कर दिया गया है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्यमन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) : मंत्रालयों/विभागों से वर्ष 1971 के सम्बन्ध में सूचना (1-1-1971 से 31-12-1971 तक) एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सदन के पटल पर रख दी जायेगी। वर्ष 1972 के सम्बन्ध में सूचना अभी प्राप्त नहीं है।

केरल में अदूर निर्वाचन क्षेत्र के लिए विशेष कार्यक्रम

1487. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के अधिकारियों ने केरल राज्य के अपने हाल ही के दौरे के दौरान अदूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की उपेक्षा की है; और

(ख) उक्त क्षेत्र के लिए क्या विशेष कार्यक्रम तैयार किये गये हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) योजना आयोग किसी खास निर्वाचन क्षेत्र के बारे में इस प्रकार के विशेष कार्यक्रम तैयार नहीं करता। अतः इस सम्बन्ध में योजना आयोग का कोई भी अधिकारी केरल के दौरे पर नहीं गया। केरल सरकार पंचवर्षीय और वार्षिक योजनाओं के ढांचे के अन्तर्गत, जहां कहीं आवश्यक समझा जाता है योजना आयोग से सलाह-मशवरा कर, राज्य के सभी क्षेत्रों के लिए विकास कार्यक्रम तैयार करता है।

(ख) निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार विकास कार्यक्रमों का ब्यौरा योजना आयोग के पास उपलब्ध नहीं है।

केरल के पिछड़े क्षेत्र

1488. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकारियों द्वारा तैयार की गई योजना आयोग की पिछड़े क्षेत्रों की सूची में सम्मिलित केरल राज्य के बहुत से गांव और ताल्लुक सही स्थिति का सही द्योतक है;

(ख) क्या उक्त सूची में ऐसे अधिकांश क्षेत्र सम्मिलित नहीं किये गये हैं जहां बाढ़ आती रहती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार केरल के सम्बन्धित संसद सदस्यों के साथ परामर्श करके इस स्थिति पर फिर से विचार करेंगे ?

योजना मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री मोहन धारीया : (क) राज्य सरकारें अपने पिछड़े क्षेत्रों का अभिनिर्धारण करने तथा उनके सुधार के लिए उपाय करने के लिए सक्षम हैं। इस कार्य के लिए उनके पास पर्याप्त प्रशासनिक व्यवस्था भी है। योजना आयोग ने केरल सहित विभिन्न राज्यों से उनके पिछड़े क्षेत्रों के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त की थी, अतः योजना आयोग को राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई सूचियों की सचाई की जांच करने की आवश्यकता नहीं थी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य सरकारें अपने पिछड़े क्षेत्रों के अभिनिर्धारण में सभी संगत तथ्यों का ध्यान रखें तथा इस सम्बन्ध में सारे देशभर में समान मानक अपनाए जायें, योजना आयोग ने राज्य सरकारों को पन्द्रह सूचकांकों का एक सेट जारी किया। अतः यह प्रश्न नहीं उठता कि क्या योजना आयोग की दृष्टि में राज्य सरकारों द्वारा पिछड़े क्षेत्रों का चुनाव ठीक किया गया है।

(ख) पिछड़े क्षेत्रों में कितना विकास हुआ है इस आधार पर पिछड़े क्षेत्रों के अभिनिर्धारण के लिए सूचकांकों का उपयोग कर, यह स्पष्ट हो जाता है कि विभिन्न मानवीय, आर्थिक और भू-भौतिकीय कारणों का देश के विभिन्न क्षेत्रों के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। निरन्तर बाढ़ ग्रस्तता या इसी प्रकार के दूसरे भू-भौतिकीय कारणों का प्रभाव आवश्यक रूप से ऊपर बताये गए सूचकांकों के आधार पर निर्दिष्ट विकास के स्तर से प्रतिबिम्बित होता है। इस कारण यदि केरल के कुछ क्षेत्र स्थायी रूप से बाढ़ से प्रभावित हैं और इस कारण पिछड़े हुए हैं तो आर्थिक सूचकांक स्थिति को स्पष्ट कर देंगे और उसको पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया जायेगा। अतः यह प्रश्न नहीं पैदा होता कि योजना आयोग द्वारा यह जांच की जाये कि जो क्षेत्र स्थाई रूप से बाढ़-पीढ़ित हैं उनको पिछड़े क्षेत्रों की सूची में शामिल कर लिया गया है या नहीं।

(ग) यदि केरल के माननीय संसद सदस्य इस संसद में सरकार की कुछ सहायता कर सकें तो राज्य सरकार निस्सन्देह उनकी आभारी होगी।

चौथी पंचवर्षीय योजना में केरल के लिए नियत राशि में कमी करना

1489. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में केरल राज्य के लिये नियत की गई राशि में कमी कर दी गई है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या केरल सरकार ने इस सम्बन्ध में एक विरोध-पत्र भेजा है; **और** इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) केरल सरकार ने इस प्रकार का कोई विरोध-पत्र नहीं भेजा है। प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, इस प्रकार का विरोध-पत्र भेजने का कोई कारण नहीं दिखाई देता।

केरल में लघु उद्योगों को लोहा तथा इस्पात की सप्लाई

1490. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल राज्य के लघु उद्योगों को लोहा और इस्पान नियंत्रित मूल्य पर सप्लाई करने का है;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में लघु उद्योगों से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) देश में उत्पादित लोहे एवं इस्पात के वितरण और मूल्य का नियन्त्रण संयुक्त संयंत्र समिति एवं इस्पात प्राथमिकता समिति द्वारा किया जाता है। इस्पात प्राथमिकता समिति द्वारा आवंटन के आधार पर लोहा एवं इस्पात की वस्तुओं का संभरण केरल सहित सारे देश में सभी लघु उद्योगों को किया जा रहा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत-बांगला देश के बीच डाक, टेलीफोन और तार सुविधाएं

1491. **श्री बी० वी० नायक** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बांगला देश के बीच सीधे डाक, टेलीफोन और तार भेजने की व्यवस्था की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में मुख्य बातें क्या हैं; **और**

(ग) इस व्यवस्था पर प्रतिवर्ष कितनी अतिरिक्त राशि खर्च की जायेगी ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) **डाक सेवाएं** --जी हां, पार्सलों, बीमा सेवाओं और मनीआर्डरों को छोड़ कर।

दूर-संचार सेवा—जी हां।

(ख) **डाक सेवाएं**—पश्चिमी बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा की सीमाओं पर सुविधा के स्थानों पर बंगला देश के साथ जल-थल मार्ग से जाने वाली डाक का आदान-प्रदान किया जा रहा है। हवाई डाक सीधी ढाका भेजी जा रही है। इस समय दोनों तरफ से यह व्यवस्था की गई है कि बंगला देश को भेजी जाने वाली डाक पर डाक-प्रभार की अन्तर्देशीय दरें लागू की जा रही हैं।

दूर-संचार सेवा—कलकत्ता का ढाका, कुश्तिया और चिटगांव से पर्याप्त टेलीफोन सर्किटों के जरिये सम्बन्ध स्थापित कर दिया गया है। दिल्ली और ढाका के बीच सीधी ट्रंक व्यवस्था कर दी गई है। जलपाईगुड़ी का सईदपुर से और अगरतला का अखौरा से संबंध जोड़ दिया गया है। कलकत्ता और ढाका के बीच एक तार सर्किट की भी व्यवस्था कर दी गई है। इंटेलेक्स सेवा भी स्थापित कर दी गई है।

(ग) **डाक सेवाएं**—अन्तर्देशीय डाक की तुलना में बंगला देश की डाक भेजने में हमें कोई अतिरिक्त व्यय नहीं करना पड़ेगा।

दूर-संचार सेवाएं—दूर-संचार सेवा स्थापित करने और फरवरी 1972 तक बंगला देश को उनको संचार संबंध बहाल करने में सहायता देने में अनुमानित व्यय 3·15 लाख रुपये हुआ है। भारतीय क्षेत्र में संचार सर्किटों के रख-रखाव पर वार्षिक आवर्ती व्यय नाममात्र का होगा और यह ट्रंक कालों और तारों से होने वाली आय से पूरा ही नहीं होगा बल्कि लाभ भी होगा।

निजी थैलियां समाप्त किये जाने के बाद भूतपूर्व शासकों को निजी थैलियों की अदायगी

1492. **श्री बी० बी० नायक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी थैलियां और विशेषाधिकार समाप्त किये जाने के बाद भी भारतीय राज्यों के कुछ भूतपूर्व शासकों / राजाओं को निजी थैलियों का भुगतान किया गया है;

(ख) भूतपूर्व शासकों / राजाओं को इस प्रकार कुल कितनी राशि दी गई है और इस प्रकार गलती से दी गई राशि को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) निजी थैलियों की ये अदायगियां किन परिस्थितियों में की गई थी ?

गृह मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) **से** (ग) : विभिन्न महा लेखाकारों से सूचना एकत्रित की जा रही है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्टेट सिविल सर्विस के अधिकारियों की पदोन्नति के कोटे में वृद्धि

1493. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने कार्मिक प्रशासन के बारे में अपने प्रतिवेदन में यह सिफारिश की थी कि स्टेट सिविल सर्विस के प्रतिभासम्पन्न और योग्य व्यक्तियों को आगे बढ़ने के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा सहित श्रेणी एक की सेवा में उनकी पदोन्नति का कोटा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सिफारिश के अनुसरण में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्यमन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) ; प्रशासनिक सुधार आयोग ने कार्मिक प्रशासन के बारे में अपने प्रतिवेदन में निम्नलिखित सिफारिश की है .

"प्रतिभावान अधिकारियों को, जो अभी तक श्रेणी–I में नहीं हैं, आगे बढ़ाने हेतु अधिक अवसरों की व्यवस्था करने के लिए श्रेणी–I में पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले कोटे में, जहां विद्यमान कोटा उस प्रतिशत से कम पड़ता है, 40 प्रतिशत तक की अधिकतम वृद्धि करने की सिफारिश की है ।"

उपरोक्त सिफारिश सरकार के विचाराधीन है ।

Setting up of Industrial Estate in Khandwa (Madhya Pradesh)

1494. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether government propose to set up an Industrial Estate in Khandwa Town of Madhya Pradesh with a view to solving the problem of unemployment there ; and

(b) if so, when and the number of persons likely to get employment thereby ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) & (b) : There is no proposal to set up any Industrial Estate at Khandwa Town. However, the State Government has acquired land for an industrial area in the Town where all amenities will be provided for establishment of new industries.

तमिलनाडु में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मारे गये छापे

1495. **श्री के० गोपाल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1971 से लेकर तमिलनाडु में मद्रास और अन्य स्थानों पर मंत्रियों और उनके सचिवों, विधायकों और संसद सदस्यों के निवास स्थानों पर प्रवर्तन निदेशालयों द्वारा कितने छापे मारे गये; और

(ख) इसके क्यापरिणाम निकले ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्यमन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 1 जून, 1971 से मार्च, 1972 तक की अवधि के दौरान प्रवर्तन निदेशालयों द्वारा विधान सभा के एक सदस्य के निवास स्थान में तलाशी ली गई ।

(ख) इसमें कुछ दस्तावेज पकड़े गये थे और मामले में आगे जाँच जारी है ।

नेपानगर (मध्य प्रदेश) में कागज मिल का विस्तार

1496. **श्री गंगाचरण दीक्षित** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपानगर (म० प्र०) स्थित कागज मिल ने विस्तार के लिए कोई योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हाँ, तो यह योजना कब से अनिर्णीत पड़ी है; और

(ग) इस सम्बन्ध में निर्णय लेने में विलम्ब किये जाने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) **और** (ग) : लागत अनुमानों और योजना में हुए संशोधनों, जून, 1966 के रुपये के अवमूल्यन तथा पौण्ड और स्टर्लिंग के अवमूल्यन जैसे विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों के फलस्वरूप पहले 1964 में तैयार की गई प्रारम्भिक रिपोर्ट में संशोधन करना पड़ा था। अब सरकार ने विस्तार योजना को स्वीकृति दे दी है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

भिक्षुणियां बनाने के लिये केरल से लड़कियों को यूरोप भेजने का धन्धा पुनः आरंभ किये जाने का समाचार

श्री आर० के० सिंह (फैजाबाद) : मैं विदेश मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"भिक्षुणियाँ बनाने के लिये केरल से लड़कियों को यूरोप भेजने का धन्धा पुन; आरम्भ किये जाने के बारे में बी० बी० सी० द्वारा रहस्योदघाटन के समाचार।"

विदेश मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : सरकार ने बी० बी० सी० टेलीविजन कार्यक्रम से सम्बन्धित अखबारी खबरें देखी हैं, जिनमें यह कहा गया है कि केरल से कुछ यूरोपीय कानवेंटों के लिए नर्मों का पलायन करना पुनः आरम्भ हो गया है। केरल के उन कैथोलिक पादरियो ने इन खबरों का खंडन किया है जिनके बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने ही इन लड़कियों को भेजा है। सरकार इस मामले की जांच कर रही है और तथ्य उपलब्ध होने पर सदन की मेज पर रख दिए जायेंगे।

इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को याद होगा कि कुछ समय पहले समाचार पत्रों में इसी प्रकार की खबरें छपी थीं और इस सदन में इस मामले पर विचार विमर्श हुआ था। उस समय सरकार ने यह वचन दिया था कि विदेशी चर्च संगठनों को लड़कियों की तथाकथित बिक्री, इस प्रकार की बिक्री से हुए मुनाफे इन लड़कियों के साथ कठोर व्यवहार तथा उनसे निम्न स्तर का काम लेने के सम्बन्ध में वह पूरी और व्यापक जांच करेगी। हमारी जाँच पूरी हो चुकी है और इससे इस बात का पता चलता है कि मोटे तौर पर ये आरोप न्याय संगत नहीं हैं।

मैं अपनी जांच की रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1561/72]

श्री आर० के० सिंह : समाचार पत्रों में समाचार छपे हैं कि इन लड़कियों को चक्करदार

मार्ग से कोचीन-कोचीन के बंगलौर तथा फिर बम्बई और बाद में अथन्ज ले जाया गया। इटली के पादरी गियवान्नी ने कहा है कि इन लड़कियों को दासियों के समान रखा गया है; क्या एक सामाजिक कार्य कर्त्ता ने बी० बी० सी० के संवाद में बताया है कि अपने घरवालों की बदनामी के डर से ये लड़कियां अब अपने घर भी नहीं लौट सकती। एक चर्च के प्रतिनिधि ने भी यह कहा हैं कि कुछ एजेन्सियों और कुछ लोग इन लड़कियों को बेचने का धन्धा कर रहे हैं तथा प्रत्येक लड़की पर 3000 से 5000 रुपये तक धन कमा रहे हैं।

इस सम्बन्ध में यदि मन्त्री महोदय की जाँच सही है तो बड़ी खुशी की बात है परन्तु फिर भी समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों की पूरी जांच की जानी चाहिये।

पिछली बार भी यह मामला उठा था और मन्त्री महोदय ने 26 अगस्त, 1970 को कुछ आश्वासन दिये थे। यदि ये लडकियां धार्मिक उद्देश्यों के लिए बाहर जाती हैं तो कोई बात नहीं है बल्कि यदि उनके साथ दासियों का व्यवहार होता है और उनकी गरीबी और अशिक्षितता का लाभ उठाकर उनको बेच कर धन कमाया जाता है, तो निश्चय ही यह बड़ी गम्भीर बात है।

मन्त्री महोदय ने अपनी रिपोर्ट सभा पटल पर रखी है। अब मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि यह हमारे लिये बड़े ही अपमान की बात है कि ब्रिटिश प्रसारण सेवा पर भारतीय चरित्र की परीक्षा हो। गरीबी के कारण भारतीय लड़कियों के इस प्रकार विक्रय के समाचारों से भारत की प्रतिष्ठा को बड़ा आघात पहुंचता है।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं उनके दुख को समझता तथा अनुभव भी करता हूं। परन्तु जांच से पता चला है कि ये समाचार सही नहीं हैं। हमारे मिशनों ने इसकी जांच की है और पता लगा है कि कुल 1700 नर्सें बाहर भेजी गई थी जिनमें से केवल 40 ही अपना प्रशिक्षण अधूरा छोड़कर वहां से आई। कुल 700 नर्सों में से लगभग 15 नर्सें भी वापस लौटी ये सभी लड़कियां जब चाहें, वापस स्वदेश आने को स्वतन्त्र हैं तथा उनमें से अधिकांश वहां खुश हैं और अपना कार्य करते रहना चाहती हैं। यहां मैं यह भी चेतावनी दे दूं कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर गिरिजाघरों में परस्पर मतभेद है और ऐसे समाचारों की यही भूमिका प्रतीत होती है।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : The hon. Minister has once again assured the House to investigate into the affairs of non-running, Similar assurance was given in 1970 also. Do the Govt, take two years to inquire into this matter, and we would have to wait for the report for next years?

सभा पटल पर रखी गई रिपोर्ट में एक जगह कहा गया है कि होली सी ने तब तक भारतीय लड़कियों के चुनाव और भर्ती पर प्रतिबन्ध लगाने की बात कही है जब तक कि उनके चयन और भर्ती सम्बन्धी तौर-तरिकों पर पूरा नियन्त्रण न स्थापित कर लिया जाये। मैं जानना चाहता हूं कि उक्त प्रतिबन्ध के बाद भी ये लड़कियां वहां कैसे भेजी गई।

Again when Holy see says that the services of the Indian girls can best be utilised in India itself, why these girls are there being sent. Why not a complete han he imposed on it. Also, such news are spoiling the image of our country abroad.

No body says that these girls are being sent for money making. But can't you inquire when a mention being made of for there Puttanpura and Nirimala Institute etc."

In 1970, the hon. Minister had assured of an inquiry by the cos I., if needed. May I know whether such an inquiry was held particularly in relation to Father Putstanpura, Nirmala Institute etc. and also about the reported money-making by them ? We feel much grieved when we find risk our national prestige, Our Prime Miniter is a lady and the girls from India get a very menrial treatment abroad. Is it not a curse ? I have received letters from abroad asking. Why India can't stop it. So, can't the hon. Minister take adequote measures to stop this evil for ever ? Let these giris offer their services in India itself.

श्री स्वर्ण सिंह : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठये हैं उन में से अधिकांश का उत्तर सभा पटल पर रखी गई रिपोर्ट में दिया गया है। जहाँ तक पैसा बनाने का सम्बन्ध है, जांच से पता चला है कि इस प्रकार की भर्ती से सम्बन्धित पादरियों ने जो धन यहां खर्च किया है, वह विदेशों से प्राप्त धन से कम है। परन्तु शेष बचे धन को धर्म के कार्य में लगाया गया है और भारत में इसका सन्तोषजनक ढंग से उपयोग हुआ है।

जहां तक लड़कियों को बाहर भेजने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने का प्रश्न है, सरकार इस सम्बन्ध में किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है क्योंकि जांच से पता लगा है कि ये लड़कियां खुश हैं, और वैसे भी यदि यदि अपने धर्म की सेवा के लिए कुछ करना चाहता है तो उस में कोई बुराई नहीं है। इस समूचे मामले की जांच में केन्द्रीय जांच ब्यूरों का भी हाथ है।

श्री सी० जनार्दनन (त्रिचूर) : मुझे खुशी है कि मन्त्री महोदय ने इस मामले के सम्बन्ध में एक विस्तृत वक्तव्य यहां दिया है। मैं श्री बाजपेयी के इस विचार से भी पूरी तरह सहमत हूं कि इस प्रकार की घटनाओं से देश की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचता है। परन्तु इस मामले के दो पहलू हैं। पहले तो केरल में शिक्षित बेरोजगारी बहुत है और दूसरे वहाँ ईसाई धर्म का बाहुल्य है। फिर किसी भी धार्मिक-दल को अपना मत प्रसारित करने के लिऐ विदेशों में जाने का अधिकार है। जब रामकृष्ण मिशन अपने प्रतिनिधियो को विदेशों में भेज सकते हैं तो फिर कैथोलिक चर्च नर्से क्यों नहीं भेज सकते। परन्तु यहाँ प्रश्न यह है कि क्या उन लड़कियों ने दुर्व्यवहार की शिकायत की है। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या ये लड़कियां अव्यस्क थी और अपनी इच्छा के विरूद्ध भेजी गई तथा क्या इनके अभिभावकों ने भी कोई शिकायत की ? अब देखेंगे कि सभी राज्यों में जहाँ कहीं भी नर्से हैं, वे केरल की हैं। अन्य राज्य तो इतनी हिम्मत भी नहीं रखते। अतः अब प्रश्न यह है कि यदि कोई शिकायत है, तो इसकी जाँच की जानी चाहिए।

मुझे याद है कि पादरी पुतुनपुरा तथा निर्मला संस्यान का नाम 1970 में भी आया था और मन्त्री महोदय ने कहा है कि अतिरिक्त धन को धर्मार्थ कार्यों में लगाया गया है। मेरा मत है कि इस की पुनः जाँच की जाय ताकि कोई सन्देह न रहने पाये। विदेशों में जाना उचित है, यह उनको स्वतन्त्रता है परन्तु यदि इसमें काला बाजार और मुनाफाखोरी ही निहित है, तो उसकी जांच की जाये और सरकार यह सुनिश्चय न करे कि इस प्रकार का धन धमार्थ के कार्यो से अन्य कार्यों में न लगे और न ही इसका उपयोग साम्प्रदायिक प्रचार में लगे। मन्त्री महोदय इस बारे में स्पष्टीकरण दें।

श्री स्वर्ण सिंह : पहली बात तो यह है कि कोई अव्यस्क लड़की बाहर नहीं भेजी गई है। प्रत्येक की आयु कम से कम 19 वर्ष अवश्य थी। इसकी जांच पार-पत्र देने से पूर्व भी की जाती है। इसके अतिरिक्त लड़कियों या उनके माता-पिता की ओर से कोई शिकायत भी नहीं

मिली है। जो लड़कियाँ वापस आई हैं वे प्रायः कार्य में अयोग्य पाई गई हैं और वहाँ कठोर कार्य करने में असमर्थ रही हैं। हमारे देश में ऐसे अनेक लोग हैं जो बीच में ही अपना व्यवसाय त्याग देते हैं।

जहां तक काला बाजार और मुनाफाखोरी का प्रश्न हैं। हमने उसकी पूरी जांच की है परन्तु उसके कोई प्रमाण हमें नहीं मिले हैं। यूरोप में इस कार्य को करने वाले संस्थान की धर्मार्थ संस्थान और धार्मिक निकाय हैं तथा वे खुले दिल से माल भेजते हैं क्योंकि वे भारतीय लोगों पर बहुत भरोसा करते हैं। जांच से पता लगा है कि खर्च से बचा हुआ धन भी धर्मार्थ कार्यों के लिए उपयोग में आता है।

कानपुर में स्वदेशी काटन मिल्स और जे० के० काटन एण्ड स्पिनिंग मिल्स में हड़ताल के बारे में

Re : Strike in Swadesh cotton Mills & J. K. Cotton and Spirning Mills in Kanpur

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : आप जानते हैं कि कानपुर में स्वदेशी कॉटन मिल्स, तथा जे० के० कॉटन एण्ड स्पिनिंग मिल्स के लगभग 13,000 कपड़ा मजदूर इस मास की 29 तारीख से हड़ताल पर हैं। वे बोनस के बारे में खांडिलकर-सूत्र की क्रियान्विति चाहते हैं। क्योंकि उन्हें बोनस अधिनियम के अधीन केवल 4 प्रतिशत बोनस मिल रहा है। शेष 3·33 प्रतिशत नहीं हालांकि सभी कार्मिक संघ इस बात पर सहमत हो गये हैं कि इसे अग्रिम भुगतान समझा जाय और यदि मध्यस्थ का निर्णय श्रमिकों के विरुद्ध होता है तो इस राशि को वापस लिया जा सकता हैं। सब निर्माताओं को चाहिये कि वे यह 3·33 प्रतिशत अग्रिम धन के रूप में हैं और भले ही वे यह बात स्पष्ट कर दें कि मध्यस्थ के निर्णय के आधार पर इस राशि को वापस भी लिया जा सकता है।

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : इन दोनों मिलों में चल रही हड़ताल क्या श्रमिकों को अग्रिम धन की अदायगी के बारे में मैं मजदूर संघ के नेताओं, नियोक्ताओं तथा राज्य सरकार के अधिकारियों से बात-चीत कर रहा हू तथा मेरा प्रयास है कि यह मामला शीघ्र ही बड़े अच्छे ढंग से हल हो जाये ताकि औद्योगिक उत्पादन और श्रमिक शान्ति बनाई रखी जा सके।

मुझे पता चला है कि यदि यह मामला केन्द्रीय मुख्य श्रम आयुक्त को सौंप दिया जाय तो श्रमिक अपनी हड़ताल समाप्त करने को तैयार हैं अतः मेरी अपील है कि श्रमिक गण अपनी हड़ताल समाप्त कर दें ताकि मुख्य श्रम आयुक्त समझौता कराने के लिए दोनों पक्षों से वार्ता आरम्भ कर सके।

मानवीय सदस्य के इस सुझाव का कोई आधार नहीं है कि मैं इस सम्बन्ध में मध्यस्थता करूं। श्रमिकों ने मान लिया है कि केन्द्रीय मुख्य श्रम आयुक्त का निर्णय उन पर बाध्य होगा। और अब श्री बनर्जी से ही मेरी अपील है कि वह श्रमिकों को अपनी हड़ताल समाप्त करने को कहें।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 का वर्ष 1972 का दूसरा संशोधन, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 197 में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) भारतीय सिविल सेवा भविष्य निधि (पहला संशोधन) नियम, 1972 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 231 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) भारतीय सिविल सेवा (गैर-यूरोपीय सदस्य) भविष्य निधि पहला संशोधन नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 232 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) राज्य-सचिव सेवाएं (सामान्य भविष्य निधि) पहला संशोधन नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 233 में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) अखिल भारतीय सेवाएं (भविष्य निधि) पहला संशोधन नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनाक 19 फरवरी, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 234 में प्रकाशित हुए थे ।

(छः) अखिल भारतीय सेवाएं (संराशीकृत पेंशन) (संशोधन) विनियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी 1972 में अधिसूचना संख्या जी० आर० 235 में प्रकाशित हुए थे ।

(सात) अखिल भारतीय सेवाएं (भविष्य निधि) दूसरा संशोधन नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 26 फरवरी, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 249 में प्रकाशित हुए थे । **[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1562/72]**

मंत्रियों के (भत्ते, चिकित्सा उपचार तथा अन्य विशेषाधिकार) संशोधन नियम तथा सुरक्षा बल अधिनियम तथा सीमा सुरक्षाबल अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं, श्री कृष्ण चन्द्र पन्थ की ओर से मंत्रियों के वेतन और भत्ते अधिनियम, 1952 की धारा 11 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

(1) (एक) मंत्रियों के (भत्ते, चिकित्सा उपचार तथा अन्य विशेषाधिकार) दूसरा संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनाँक 20 दिसम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1912 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) मंत्रियों के (भत्ते, चिकित्सा उपचार तथा अन्य विशेषाधिकार) संशोधन नियम 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी, 1972 में अधिसूचना संख्याँ जी० एस० आर० 68 (ड़) में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1563/72]**

2. सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 139 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० ओ० 877 की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 1972 में प्रकाशित हुई थी। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1564/72]**

भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1972

CONTINGENCY FUND OF INDIA (AMENDMENT) BILL 1972

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि भारत की आकस्मिकता विधि अधिनियम, 1950 का और सँशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित किये जाने की अनुमति दी जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री के० आर० गणेश : मैं विधेयक को पुनः स्थापित करता हूं।

भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश

CONTINGENEY FUND OF INDIA (AMENDMENT) ORDINANCE

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-सँचालन संबंधी नियमों के नियम 71 (1) के अन्तर्गत भारत की आकस्मिकता निधि (सँशोधन) अध्यादेश, 1972 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1565/72]**

भारतीय तांबा निगम (प्रबन्ध-ग्रहण) विधेयक
Indian Copper Corporation (Taking over and Management) Bill

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय तांबा निगम लिमिटेड के उपक्रम का अर्जन होने तक, लोक हित में, उस उपक्रम के प्रबन्ध-ग्रहण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय तांबा निगम लिमिटेड के उपक्रम का अर्जन होने तक, लोक हित में, उस उपक्रम के प्रबन्ध-ग्रहण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

श्री शाहनवाज खां : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

भारतीय तांबा निगम (प्रबन्ध ग्रहण) अध्यादेश
INDIAN COPPER CORPORTION (Taking over of Management) Ordinance

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : मैं श्री मोहन कुमार मंगलम की ओर से लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 71 (1) के अन्तर्गत भारतीय ताँबा निगम (प्रबन्ध-ग्रहण) अध्यादेश, 1972 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारणों का एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1566/72**]

दिल्ली सहकारी सोसाइटी विधेयक
DELHI CO-OPERATIVE SOCIETIES Bill

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दिल्ली राज्यक्षेत्र में सहकारी सोसाइटी सम्बन्धी विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में सहकारी सोसाइटी संबंधी विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

समुद्री उत्पाद विवाद निर्यात विकास अधिकार विधेयक जारी
Marine Products Export Development Authority Bill Contd,

***श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली (कासरगोड)** : मैं. समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकार विधेयक का समर्थन करता हूं । इस विधेयक से विषेषकर केरल की जनता को अधिक लाभ होगा । क्योंकि वहां से ही अधिकतर मछलियों का निर्यात होता है । इस विधेयक में उन व्यक्तियों को वित्तीय तथा अन्य सहायता दिये जाने की व्यवस्था है, जो मशीनयुक्त नौकाओं तथा अन्य उपकरणों का प्रयोग करते हैं ।

केरल के साथ लम्बी तटरेखा होने के कारण मेरा सुझाव है कि इस प्राधिकार का मुख्यालय कन्नानोर में स्थापित किया जाये । अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित किये जाने के विचार से गरीब मछुओं को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिये जिससे समुद्री उत्पादन में वृद्धि हो सके ।

केरल पिछड़ा हुआ राज्य है तथा वहां के मछुओं को पत्तन सम्बन्धी सुविधाएं कम प्राप्त हैं । इस बात को ध्यान में रखते हुये, उनको मशीन युक्त अधिक नौकाएं मिलनी चाहिये । इसके अतिरिक्त मछलियों के बड़े उद्योगपतियों को छोटे उद्योग वाले मछुओं के कार्य में बाधक नहीं बनने दिया जाना चाहिये ।

यह देखा गया है कि गहरे समुद्र में मछली पकड़ते समय छोटे मछुए प्रायः समुद्र में डूब जाते हैं । ऐसे व्यक्तियों के परिवारों के कल्याण की व्यवस्था भी होनी चाहिये । उसका एक प्रतिशत तक घटाकर प्राप्त राशि को छोटे मछुओं के जीवन स्तर में सुधार कार्य पर लगाया जाना चाहिये ।

*** श्री एस० डी० सोम सुन्दरम्** (तंजाबूर) : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकार विधेयक को पुर: स्थापित करते समय कल माननीय मंत्री ने मछली उद्योग के 1961-1972 तक के कार्य का उल्लेख किया ।

उन्होंने मछली उद्योग के विकास को केन्द्र सरकार द्वारा हाथ में लिये जाने का औचित्य ठहराने के लिये विभिन्न तर्क प्रस्तुत किये, यद्यपि यह कार्य राज्य के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत आता है ।

जैसा कि आप जानते हैं यह कार्य राज्य-सूची में मद संख्या 21 के अन्तर्गत आता है । केन्द्र सरकार ने इस विधेयक को लाने से पूर्व इतना शिष्टाचार भी नहीं बरता कि सम्बद्ध राज्य से इस बारे में परामर्श भी कर लिया जाये । केन्द्र सरकार अपना अधिकार-क्षेत्र बढ़ाने के उद्देश्य से ही यह विधेयक लाई है ।

इस विधेयक में सरकार ने घोषणा की है कि सार्वजनिक हित को ध्यान में रखकर समुद्री

---

*मलियालम में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।
Summarised Hindi version of the English Translation of speech deilvered in Maleyalam.

* तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपांतर ।
Summarised Hindi Version of the English Translation of speech delivered in Tamil.

उत्पाद उद्योग को केन्द्र सरकार द्वारा अधिकार में लिया जाना आवश्यक है। मैं पूछना चाहता हूं कि अब तक सरकार ने इस उद्योग के विकास के लिये क्या कार्यवाई की। अथवा उसने उन अन्य योजनाओं की क्रियान्विति पर कितना बल दिया, जिनको चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा पूरा किया जाना था।

चौथी योजना में 5100 मशीन युक्त नौकाएं चलाई जानी थीं जबकि योजना के दो वर्षों में केवल 1529 ऐसी नौकाओं की व्यवस्था की गई है। यदि सरकार समुद्री उत्पाद के निर्यात में वृद्धि करना चाहती है, तो उसे गहरे समुद्र से मछली पकड़ने के लिये ट्रालरों की व्यवस्था करनी होगी। चौथी योजना के अन्तर्गत 300 ट्रालर सप्लाई किये जाते हैं जबकि अभी तक एक ट्रालर भी इस उद्योग को नहीं दिया गया। मछली पकड़ने वाली 40 नौकाओं के लिये क्रय।देश अवश्य दिया गया है किन्तु वह प्राप्त कब होंगी, कोई नहीं जानता। इसी प्रकार प्रमुख पत्तनों के विस्तार की योजना के लिये 1350 लाख रुपये नियत किये गये हैं, किन्तु इस कार्य पर केवल 29 लाख रुपये खर्च किये गये हैं। 1968 में मद्रास पतन के विस्तार की केन्द्रीय योजना मंजूर हुई थी किन्तु उस पर हो रहे कार्य की गति अत्यन्त धीमी है। चौथी योजना में प्रमुख पत्तनों के विकास की योजना पर नियत राशि की केवल 38 प्रतिशत राशि खर्च की गई है। मछलियों की शीघ्र तथा सुरक्षित ढुलाई के लिये 20 रेफ्रीजरेटिड माल डिब्बे बनाये जाने थे जिसके लिये चौथी योजना में 100 लाख रुपये नियत किये गये। खेद है अभी तक ऐसा एक डिब्बा भी नहीं बनाया गया और परिवहन सुविधाओं पर केवल 12 लाख रुपये खर्च किये गये हैं। केन्द्रीय मछली अनुसंधान केन्द्रों के विकास के लिये चौथी योजन में 320 लाख रुपये नियत किये गये हैं जबकि खर्च केवल 29 लाख रुपये किये गये हैं। योजना आयोग के अनुसार प्रस्तावित सात अनुसंधान परियोजनाओं के सम्बन्ध में हुई प्रगति नगण्य है। मेरे कहने का आशय यह है कि यद्यपि केन्द्र सरकार ने अनेक अच्छी योजनाएं बनाई हैं, किन्तु उसको उचित रूप से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। यदि केन्द्र सरकार इतनी शक्तियों तथा भारी संसाधनों को लेकर भी अपनी परियोजनाओं को पूरा करने में असमर्थ है, तो उसकी कौन सहायता कर सकता है? अतः मेरा अनुरोध है कि केन्द्र सरकार केवल उन्हीं परियोजनाओं को हाथ में ले, जिन्हें वह पूरी कामयाबी दे।

केन्द्र सरकार की तुलना में तमिलनाडु सरकार ने मछली उद्योग पर 1969-70 के लिये नियत राशि 100 लाख रुपयों में से 92 लाख रुपये खर्च किये तथा 1970-71 में 174 लाख रुपये खर्च किये जो नियत राशि से भी अधिक थे। इसी प्रकार केरल सरकार ने 1969-70 में नियत राशि 160 लाख रुपयों में से 121 लाख रुपये खर्च किये तथा 1970-71 में 147 लाख रुपयों के स्थान पर 152 लाख रुपये खर्च किये। चौथी योजना के अन्तर्गत तमिल नाडु सरकार को 1000 मशीन युक्त नौकाओं की व्यवस्था करनी है जबकि उसने दो वर्षों में 395 ऐसी नौकाएं उद्योग को दी हैं। केरल सरकार ने भी इस अवधि में 495 ऐसी नौकाएं दी हैं जबकि चौथी योजना के लिये निर्धारित लक्ष्य 1600 है। इससे स्पष्ट विदित होता है कि राज्य सरकारें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये कटिबद्ध हैं जबकि केन्द्र सरकार इसमें दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं हैं जिसने एक चौथाई राशि भी खर्च नहीं की है।

जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, केन्द्र सरकार उन कार्यों को अपने हाथ में ले रही है जिन्हें पूरा करने में वह असमर्थ है। हमारे देश में आठ तटवर्ती राज्य हैं और यदि यह कार्य उन्हीं को

संयुक्त रूप से करने दिया जाता, तो अधिक उपयुक्त होता। उनके पारस्परिक सहयोग तथा समन्वय के कारण इस उद्योग तथा जनता को अधिक लाभ हो सकता था। इसके अतिरिक्त क्या तथा कथित गरीबों की सरकार ने गरीब मछुओं की सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों को इस प्राधिकरण में सम्मिलित किया है ? मंत्री महोदय कह सकते हैं कि इसमें व्यापारियों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करने की व्यवस्था है। किन्तु मैं जानना चाहता हूं कि हम प्राधिकरण में मछुओं की सहकारी समितियों या संघों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किये जाने का उल्लेख क्यों नहीं किया गया ? स्पष्ट है, सरकार की कथनी और करनी में भारी भेद हैं। मेरा सुझाव है कि सरकार केवल उन्हीं कार्यों को आरम्भ करे जिन्हें वह पूरा कर सके।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : चूंकि यह विधेयक विदेश व्यापार मंत्रालय द्वारा विदेशी मुद्रा के अर्जन के उद्देश्य से बनाया गया है इस लिये मुझे इस बात का कोई आश्चर्य नहीं है कि इसमें मछली उद्योग से सम्बन्धित अन्य बातें तो हैं किन्तु उसके मुख्य अंग मछुओं की समस्याओं के बारे में कुछ नहीं हैं।

विधेयक के उद्देश्य और कारणों के विवरण में स्वीकार किया गया है कि अभी तक मछली उद्योग का विधिवत विकास नहीं किया गया। मैं उस क्षेत्र से आया हूं जहां 80 मील लम्बे तट पर लगभग 50,000 मछुए रहते हैं, जिनकी अब तक उपेक्षा की गई है।

आपको आश्चर्य होगा कि मेरे क्षेत्र में माकरेल मछली का भाव मई महीने में एक रुपये में 100 मछलियों तक गिर जाता है और रुपये की 12-15 किलो तो रहता ही है। इस मछली को बहुत पंसद भी किया जाता है मेरा निवेदन है कि अन्य प्रकार की मछलियों के साथ माकरेल मछली का भी निर्यात किया जाना चाहिये क्योंकि इसका स्वाद भी अच्छा है।

मछुओं की स्थिति अत्यंत दयनीय है। सम्भवतः इसलिये उन्हें राजनीतिक शक्तियां प्राप्त नहीं है क्यूंकि वे समुद्र के बिल्कुल निकट रहते हैं जबकि हमारी विधान-सभाएं उनमें बहुत है। हम लोग उनकी कोई चिंता ही नहीं करते कि उनका शोषण क्यों हो रहा है।

मैसूर राज्य के मत्स्य विभाग के बारे में मेरा सुझाव है कि पहले मछुओं के नाम रजिस्टर किये जायें तथा उसके बाद उन्हें मोटर बोट अलाट की जायें जिससे उनमें आपस में झगड़ा न हो। इस समय यह विभाग चार-पांच मछेरों के किसी भी ग्रुप को मोटर बोट दे देता है जिससे बड़ी अव्यवस्था रहती है।

इन लोगों की वित्तीय स्थिति बड़ी दयनीय है तथा इनका बड़े बड़े व्यापारी शोषण करते हैं जो न उत्पादक हैं और न उपभोक्ता। मैसूर राज्य के 200 मील के तटवर्ती क्षेत्र की जनसंख्या लगभग 2 लाख है। मैसूर के अतिरिक्त सभी क्षेत्रों में सरकार प्राधिकार स्थापित हो चुके हैं। मैसूर की तटीय क्षेत्र की क्षमताओं का पता नहीं लगाया गया है तथापि वहां समुद्री उत्पाद की मात्रा अधिक है इस संदर्भ में मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि प्राधिकार का मुख्यालय स्थापित करते समय उत्तर कनारा अथवा दक्षिण कनारा जिले को भी ध्यान में रखा जाये।

मैं इस विधेयक का इस लिये समर्थन करता हूं कि प्राधिकार के माध्यम से मछली उद्योग को विनियमित तथा व्यवस्थित किया जा सकेगा।

Shri Shivnath Singh (Jhunjhunu) : I rise to support this Bill and suggest that it should be referred to select Committee. It is the first time when Government have paid their attention towards the marine products. This Bill is also full of defects which cannot be set right at this stage.

It has been rightly pointed out by the hon. Member that the large number of fishermen have not been provided with any facilities. The formation of the Authority is also defecture. It will consist of these Members of Parliament on election basis and other members by nomination. Government may nominate verted interest. No representation has been given to the fishermen. This all system is defecture.

With reference to clause 10, I demand that specific reasons should be mentioned by the Government for which Authority should be dissolved.

The main purpose of this Bill is to promote export of marine products. But Government have not given any details regarding facilities to be provided to the fishermen, the qualities of fish and the development of fisheries.

I also suggest that Government should utilise the indigenous travellers with necessary improvements in them in order to save foreign exchange.

Government should develop the marine product industry for the use of consumption so that food grains could become surplus, Besides, with more production of this product, Government can earn more foreign exchange. With there words, I support this Bill and request that the defects mentioned by me shuold be removed by the select committee or the Government themselves.

श्री के० पी० उन्नी कृष्णन (बडागरा) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण मध्यान्ह भोजन के पश्चात् जारी रखें।

(इसके पश्चात लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई

(The lok Sabha than adjourned for lun h-till fourteen of the clock)

(मध्यान्ह भोजन के पश्चात् लोक सभा 2 बजकर पाँच मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई)

(The Lok Sabha re-assembled after lunch at five minutes past fourteen of the Clock)

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy speaker in the Chair]

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : समुद्री उत्पाद उद्योग भारी संकटों का मुकाबला कर रहा है। मैं जिस राज्य से सम्बन्ध रखता हूं, उसने इस उद्योग के लिये विकास में भारी योगदान दिया है।

मैं इस विधेयक का इस लिये भी स्वागत करता हूं क्योंकि हमने विश्व बाजार में 1962 से मछली व्यापार को बरकरार रखा है। बंगला देश की विजय के बाद हमें सिंगापुर से स्वेज तक तटीय शक्ति प्राप्त हो गई है। किसी देश के लिए नौ सेना की शक्ति ही पर्याप्त नहीं होती वरन समुद्र से मछली पकड़ने तथा उसका व्यापार करने की शक्ति भी महत्व पूर्ण होती है। रूस ने इस दिशा में भारी कार्य किया तथा आज उसका मछली उद्योग में विश्व में तीसरा दर्जा है।

भारत के विशाल तटवर्ती क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए तथा वहां मछली उद्योग की विद्यमान क्षमता को ध्यान में रखते हुए सरकार को इस उद्योग का पूरा विकास करना चाहिये जिससे हमारी अर्थव्यवस्था और सुदृढ़ हो सके ।

प्राधिकार में रक्षा मंत्रालय, विदेश व्यापार मंत्रालय तथा भोजन आयोग के प्रतिनिधि भी अवश्य सम्मिलित किये जाने चाहिये क्योंकि कई ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हैं जिनपर इन मंत्रालयों से परामर्श करना आवश्यक होता है ।

इसके अतिरिक्त सरकार ने इस क्षेत्र में भी एकाधिकार प्राप्त करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है जिससे छोटे छोटे उद्यमकर्त्ता इन क्षेत्र से हट रहे हैं । दि इण्डियन लीफ टो बैंको कम्पनी, डी० सी० एम० जैसी अनेक बड़ी कम्पनियों को इस क्षेत्र में आने की अनुमति दी गई है । इससे लघु उद्योग को भारी हानि हो रही है । मुझे आशा है, सदन मेरी इस मांग का अवश्य समर्थन करेगा ।

इसके पश्चात निर्यातकर्ताओं तथा हकदारी के जो एक बड़ी जाल साजी बन गई है । पंजीकरण की समस्या सामने आती है । मैं जानना चाहता हूं कि इस जालसाजी से कौन कौन व्यक्ति संलग्न हैं क्योंकि छोटे निर्यातकर्त्ता, जिनको यह अधिकार दिया गया है वे इसे नहीं चल पाते और उन्हें बम्बई में इसके लिये तैयार बाजार मिल जाता है । बड़े बड़े निर्यातकर्त्ता इस क्षेत्र में इन हितों को अहित करने ही नहीं आते अपितु समूचे वातावरण को एक बहुत बड़ी जाल साजी में बदलने के लिये आते हैं । मंत्री महोदय को अब आगे इन हकदारी लाईसेंसों को जारी करना बन्द कर देना चाहिये ।

जैसा कि मंत्री महोदय को ज्ञात है, कोचीन में बहुत से एकक बन्द हो गये हैं । मंत्री महोदय इस मामले पर ध्यान दें तथा छोटे निर्यातकर्त्ताओं के लिये वित्तीय व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में वित्त मंत्री से अनुरोध करें ।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि इससे समुद्री उत्पाद निर्यात उद्योग तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सहायता मिलेगी ।

श्री धामनकर (भिवंडी) : मैं समुद्र उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण विधेयक का समर्थन करता हूं । समुद्री पानी में खनिज पदार्थों मछलियों तथा उप-उत्पादों के रूप में बहुत बड़ी धन राशि छुपी हुई है ।

इन्हें समुद्री पानी से निकालना देश की आन्तरिक खपत के लिए ही आवश्यक नहीं है अपितु निर्यात करके विदेशी मुद्रा कमाने के लिये भी आवश्यक है ।

मछुओं तथा नवयुवकों को प्रशिक्षित करने की बड़ी आवश्यकता है । उन्हें मछली पकड़ने तथा डिब्बा बन्दी का वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिये । महाराष्ट्र सरकार ने सतपती में मछली पकड़ने का प्रशिक्षण देने के लिये एक स्कूल खोला है । हमारी इच्छा है कि कालेज स्तर की शिक्षा में भी मछली पकड़ने का ज्ञान दिया जाना चाहिये । विश्व विद्यालयों को इस मामले पर विचार करना चाहिये और समुद्री तट के विभिन्न केन्द्रों पर मत्स्य उद्योग सम्बन्धी शिक्षा प्रदान करने वाले कालेजों की स्थापना कीं जानी चाहिए ।

मछली तथा इसके उप उत्पादों जैसे शर्क लिवर आयल, सरेस के निर्यात से पर्याप्त

विदेशी मुद्रा कमाई जा सकती है । केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न योजनायें चलायी हैं । महाराष्ट्र के थाना जिले में केन्द्र सरकार की एक योजना है जबकि वहां कई योजनायें चालू की जानी चाहियें ।

कहा गया है कि इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाना चाहिये । मैं उनसे सहमत हूं । सरकार को इस सम्बन्ध में सहकारी क्षेत्र को प्राथमिकता देनी चाहिये । सहकारी समितियों को इस उद्देश्य के लिये ऋण रिआयती व्याज की दर पर दिये जाने चाहियें ।

मछली नावों का कार्य भी आरम्भ किया जाना चाहिये । सतपती में एक समिति है जिस का कार्य मछली नावों का भी निर्माण करना है । विभिन्न तटों पर स्थित भिन्न-भिन्न मत्स्य उद्योगों के लिये अधिक नावों की सप्लाई करने के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता है ।

श्री डी० के० पंडा (भंजनगर) : चिल्का झील जो उड़ीसा में काफी बड़े भूभाग पर फैली हुई है, भारत की सबसे बड़ी झीलों में से एक है । इसे विकसित करने की आवश्यकता है । उड़ीसा सरकार ने इस सम्बन्ध में पहले ही अपना प्रस्ताव भारत सरकार के पास भेज दिया है । केन्द्र ने इस मामले को विश्व बैंक के पास भेजा है कि इस झील को व्यापाक मछली केन्द्र के रूप में विकसित किया जाये । इसी उद्देश्य से विश्व बैंक ने संसाधनों का पता लगानें के लिए अपना एक दल यहां भेजा है ।

गोपालपुर पत्तन पर भी विकास परियोलना चलाने का प्रस्ताव है । इस सम्बन्ध मे प्रस्ताव केन्द्र के पास पहुंच चुके हैं । इन दोनों बातों पर विचार किया जाये तथा परियोजनाओं को शीघ्र विकसित किया जाये ।

Shri Shashi Bhushan (South Delhi) : We have been assisted by Ford foundation and other organizations in explosing the possibilities of marine products. American also started exploratory work here in India and they found that there are fish, minerals and other try products hidden in the sea water. They exported marine products worth about 40 crores of Rupees. Naw they will suggest us to purchase from America big vessels, containers and other materials. Once we agree to their proposals they will betray and will not help us in developing our projects. The same is the case with marine product industry organizations like Ford foundation etc. are engaged in espionage activities besides exploration business. We need to be contains and vigilant. The Government, if not interested in nationalizing these monopolitic concerns, should try to start joint venture for this industry.

At present most of the equipments necessary for this industry are being imported from abroad. We have a number of plants which can manufacture these equipments. Government should give serious consideration so the matter.

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : जिन सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया है, उन्होंने इस विषय पर काफी प्रकाश डाला है । इसके साथ ही विधेयक का सभी ने एकमत से समर्थन किया है । इसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हू ।

कुछ सदस्यों ने विधेयक को प्रवर समिति को भेजने की बात कही है तथा कुछ ने कहा है कि विभिन्न खंडों पर गम्भीरता से विचार किया जाये । इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है परन्तु इस के लिए अब समय नहीं रह गया है । ऐसा सुझाव पहले दिया जाना चाहिये था ।

इस उद्योग के निर्यात में 1961 से 1971 के मध्य 10 गुनी वृद्धि हुई है । आशा है कि

वर्ष 1973–74 तक इस उद्योग का निर्यात 61 करोड़ रुपये के मूल्य का हो जायेगा, और 1978-79 तक हम 118 करोड़ रुपये के लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। समुद्र में भारी सम्पदा छिपी है।

श्री हाल्दर ने कहा है कि बंगाल के कुछ भाग में मछली के दाम बहुत ऊंचे हैं। शास्त्री जी ने बताया है कि दिल्ली में एक किलो मछली के 12 रुपये देने पड़ते हैं। ये इस उद्योग की वास्तविक समस्यायें हैं। निर्यात के लिये हमें इन सभी बातों पर ध्यान रखना होगा। हम समूची परिस्थिति में सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। स्कूल खोलना, अनुसंधान कार्य करना, मछली पकड़ने की तकनीकी ज्ञान उत्पादन में सुधार, बाजार पद्धति, प्रत्येक बात जो समुद्री उत्पाद उद्योग से सम्बन्धित है इस विधेयक में लाई गई है।

श्री सोमसुन्दरम ने शिकायत की है कि केन्द्र धीरे धीरे राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण कर रहा है किन्तु उन्हें यह जानना चाहिये कि विधेयक तमिलनाडु सरकार के पास भेजा गया था और उन्होंने इसका स्वागत किया है।

इस विधेयक को प्रवर समिति के पास नहीं भेजा जाना चाहिये। यह पहले ही काफी देर से प्रस्तुत किया गया है और अधिक समय इसके लिए नहीं छोड़ा जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

Amendment No. 1 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि "समुद्री उत्पाद उद्योग के विकास के लिये संघ के नियंत्रणाधीन एक प्राधिकार की स्थापना का तथा उससे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।
"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 was added to the Bill

खंड 3 (परिभाषायें)

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : समुद्री उत्पादों की परिभाषा के अन्तर्गत सब प्रकार के मत्स्य उत्पादों, समुद्री मछलियों तथा अन्तर्देशीय मछलियों को सम्मिलित किया गया है। मछलियों को समग्र रूप से इस विधेयक के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत रखा गया है परन्तु वित्तीय सहायता की व्यवस्था केवल तट दूर तथा गहरे समुन्द्र की मछलियों को पकड़ने वाली नौकाओं के मालिकों तथा परिष्करण संयंत्रों अथवा भंडागार गृहों के मालिकों को ही देने का प्रस्ताव है।

तटदूर समुद्र में मछलियाँ पकड़ने का कार्य केवल कुछ बड़े-बड़े एकाधिकारियों द्वारा ही किया जाता है तथा उन्हें ही वित्तीय सहायता देने का इस विधेयक में उपबन्ध किया गया है।

कुछ ऐसे वर्गों के लोग हैं जो गैर-यंत्रीकृत अथवा यंत्रीकृत छोटी-छोटी नौकाओं से तट के पास मछलियां पकड़ते हैं तथा वास्तव में जिन्हें सहायता की जरूरत है । देश के समूचे मत्स्य उत्साह में उनका पर्याप्त योगदान होता है । प्राधिकार को इन लोगों को वित्तीय सहायता देने की शक्ति भी दी जानी चाहिये ।

निर्यात की गई मात्रा से सरकार ने यथा मूल्य 3 प्रतिशत प्राप्त करने की मांग की है यह राशि पर्याप्त होनी चाहिये । विधेयक के अन्तर्गत एक उपबंध होना चाहिये जिसके द्वारा प्राधिकार को छोटे मछुओं की सहायता देने की शक्ति प्रदान की जाये ।

जबकि मंत्रालयों, नौकाओं के मालिकों भंडार गृह तथा परिवहन, बड़े व्यक्तियों तथा बिचौलियों को, जो धन कमाते हैं, सम्मिलित किया गया है, श्रमिकों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है । ऐसे हजारों छोटी नौकाओं के मालिक हैं जो गहरे समुद्र में मछलियां नहीं पकड़ते, उन्हें कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है । तटदूर मछलियां पकड़ना शब्दों की इस विधेयक में स्पष्ट परिभाषा होनी चाहिये ।

श्री ए० सी० जार्ज : माननीय मित्र ने अपने संशोधन में जो बात उठाई है, अपने भाषण के अन्तिम भाग में स्वयं ही उसका उत्तर दे दिया है ।

[**श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुये**
Shri K. N. Tiwary in the chair]

जहां तक विभिन्न श्रेणियों के प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, पांच मंत्रियों को सीधा प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा । खंड 4 में कहा गया है कि समुद्री उत्पाद उद्योग के कर्मचारियों के हितों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा । इससे भी बढ़कर खंड 6 में बताया गया है कि ऐसे अन्य व्यक्तियों को भी प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा जो केन्द्र सरकार की दृष्टि में प्रतिनिधि होने चाहिये । ऐसे प्रतिनिधियों के लिये 10 स्थान छोड़ दिये गये हैं । कर्मचारियों के लिये भी व्यवस्था की गई है तथा दूसरे हितों के लिये 10 स्थान छोड़ दिये गये हैं ।

श्री सी० एम० स्टीफन : समुद्री उद्योग के कर्मचारियों से अपना क्या तात्पर्य है । क्या इसका तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा रोजगार पर लगाये गये कर्मचारियों से है अथवा उद्योग में कार्य करने वाले कर्मचारियों अथवा सहकारिताओं में कार्य करने वाले कर्मचारियों से है जो किसी के प्रति भी उत्तरदायी नहीं है ।

श्री ए० सी० जार्ज : ऐसे अन्य स्वायत्त अधिकरणों के विषय में इन विवरणों को विधेयक में सम्मिलित नहीं किया जाता है । इन विवरणों को नियम बनाते समय तैयार किया जाता है । निगमों के कर्मचारियों की परिभाषा दी जा सकती है तथा उनके लिये व्यवस्था की जा सकती है ।

मछली पकड़ने वाली नौकाओं तथा परिष्करण संयन्त्रों के मालिकों के विषय में कहा गया है कि इनके हितों को भी प्रतिनिधित्व दिया जायेगा । मालिकों में छोटी नौकाओं के मालिक भी शामिल हैं ।

श्री सी० एम० स्टीफन : यह गलत हैं। नौका मालिकों की परिभाषा विधेयक में दी गई है जो तट दूर मछली पकड़ने वाली नौकाओं पर लागू होती है तट के पास मछली पकड़ने वाली नौका में उस परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आती है। ऐसे नौका मालिकों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए और उन्हें भी वित्तीय तथा अन्य किसी प्रकार की सहायता दी जानी चाहिए। प्रत्येक नौका मालिक इस परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

श्री ए० सी० जार्ज : गठन सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था है 30 सदस्यों में से 20 को परिभाषित किया गया है तथा 10 सदस्यों की परिभाषा को नियम बनाने के समय के लिये छोड़ दिया गया है। मैं सदन को आश्वस्त करा सकती हूँ कि लघु नौकाओं के मामलों को भी प्रति निधित्व दिया जायेगा।

सभापति महोदय : क्या श्री स्टीफन अपने संशोधनों पर जोर दे रहे हैं।

श्री सी० एम० स्टीफन : जी, नहीं। मैं उन्हें वापस लेना चाहता हूं।

संशोधन संख्या 2 और 3 सभा की अनुमति से वापस लिये गये।
Amendments Nos. 2 and 3 were by, leave, withdrawn.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है।
"कि एकड़ 3 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 3 was added to the Bill

खण्ड 4 प्राधिकरण की स्थापना तथा गठन
Establishment and Constitution of the authority

सभापति महोदय : क्या श्री स्टीफन अपने संशोधन पेश कर रहे हैं।

श्री सी० एम० स्टीफन : जी नहीं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है
"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 4 was added to the Bill

खण्ड 5 से 8 विधेयक में जोड़ दिये गये
Clause 5 to 8 were added to the Bill

खण्ड 9 प्राधिकरण के कृत्य
Functions of the authority

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं अपना संशोधन संख्या 9 प्रस्तुत करता हूं।

श्री ए० सी० जार्ज : मैं संशोधन संख्या 9 को स्वीकार करता हूं।

संशोधन किया गया

पृष्ठ 4 पंक्ति 46 तथा 47

"केन्द्रीय सरकार के तकनीकी मार्ग दर्शन के अन्तर्गत"
(Under the technical guidance of the Central Government)

शब्दों को निकाल दिया जाये (संख्या 9) (सी० एम० स्टीफन)

सभापति महोदय : प्रश्न गह है "कि खण्ड 9 संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 9 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 9, as amended, was added to the Bill

खण्ड 10 से 34 तक विधेयक में जोड़ दिये गये

Clause 10 to 34 was added to the Bill

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clause 1, The Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री ए० सी० जार्ज : मैं प्रस्ताव करता हूं
"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :
"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

श्री सी० जनार्दनन (त्रिचूर) ; यद्यपि विधेयक में बहुत सी कमियाँ हैं परन्तु फिर भी मैं समझता हूं कि इससे देश के समुद्री उत्पादन उद्योग को लाभ होगा। अतः इसे शीघ्र पारित किया जाये। अच्छा होता यदि श्री सी० एस० स्टीफन के संशोधन मान लिये जाते।

मंत्री महोदय ने बताया है कि इस उद्योग के हमारे निर्यात में 10 गुनी वृद्धि हुई है। हो सकता है, परन्तु 1972 की स्थिति के विषय में मुझे शंका है। मेरे क्षेत्र में यह व्यवसाय बहुत विकसित है। मुझे बताया गया है कि तकनीकी कठिनाईयों,मछलियों की कमी, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की सुविधाओं का उपलब्ध न होना तथा सरकार से लोगों को पर्याप्त वित्तीय सहायता न मिलने के कारण समुद्री उद्योग के बहुत से एकक बन्द हो गये हैं। मुझे आशा है कि इस विधेयक के पारित हो जाने से केरल के समुद्री उद्योग का विकास होगा तथा सरकार उस राज्य के इस व्यापार की ओर ध्यान देगी।

श्री के० सूर्यनारायण (एलूरू) : आन्ध्र-प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को बहुत से प्रस्ताव भेजे हैं परन्तु केन्द्र सरकार ने इन 15, 16 प्रस्तावों में से 3, 4 को भी तकनीकी रूप में स्वीकार नहीं किया है। अन्त में आन्ध्र प्रदेश सरकार ने झींगा मछली, जो अमरीका तथा ब्रिटेन निवासियों का स्वादिष्ट भोजन है तथा जो उनको समुद्री उद्योग में उपलब्ध नहीं हो सकता का पता लगाने सम्बन्धी प्रस्ताव भेजा है प्रशीतक तथा परिवहन सुविधायें मद्रास तथा केरल राज्यों को प्रदान की गयी है। आन्ध्र प्रदेश में इन सुविधाओं के अभाव में समुद्री उद्योग का विकास नहीं

किया जा सकता तथा राज्य विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में सरकार की सहायता नहीं कर सकती।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली रूसी नौकायें आन्ध्र प्रदेश तथा अन्य राज्यों को भी दी जानी चाहिए। माला बार में पहले से ही नार्वे की परियोजना चल रही है। वे विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं।

छोटे मछुओं के लिये सुविधायें नहीं हैं। नियम बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। वित्तीय सुविधाओं के अभाव में आन्ध्र प्रदेश सरकार ने यह कार्य कुछ विदेशी कम्पनियों को तथा कुछ बड़ी बड़ी भारतीय कम्पनियों को दिया हुआ है। ये कम्पनियां बहुत लाभ कमा रही हैं केन्द्र सरकार को आन्ध्रप्रदेश से वित्तीय सहायता देनी चाहिए। मछुओं की सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा भेजे गये प्रस्तावों पर शीघ्र निर्णय करके वहां के समुद्री उत्पादन में लगे व्यक्तियों को सन्तुष्ट करना चाहिए।

श्री ए० सी० जार्ज : बड़े उद्योग गृहों द्वारा शोषण की बात कही गई है। हमें यह देखना है कि इस उद्योग में लगे व्यक्तियों को किस प्रकार अधिकाधिक लाभ पहुंचाया जा सकता है। भारत सरकार तथा समुद्री उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण इस बात का प्रयत्न करेगा कि निर्यात में आशातीत वृद्धि हो तथा लाभ पैदा करने वालों का उसका अधिक से अधिक भाग मिल सके। कुछ बड़े बड़े व्यापारी विदेशी मुद्रा के आकर्षण से ही इस धन्धे में लगे हुए हैं। सरकार को इस बात की जानकारी है। हम इन व्यापारियों को ऐसा करने से रोक ने का प्रयत्न करेंगे। भारत सरकार विदेश व्यापार मंत्रालय तथा समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण इस बात का प्रयत्न करेंगे कि इस उद्योग के लाखों कर्मचारियों तथा हजारों मछुओं को लाभ हो। अनुशासन तथा विनियमों सम्बन्धी वर्तमान कमियों को दूर करने का भी प्रयत्न किया जायेगा।

महत्वपूर्ण सुझाओं के लिये मैं सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। नियम बनाते समय सभी सुझावों पर विचार किया जायेगा तथा राष्ट्रीय और उद्योग विशेष के हित में कार्य किया जायेगा। इस उद्योग के कर्मचारियों तथा मछुओं को सदैव उचित प्रतिनिधित्व दिया जायेगा तथा उनकी स्थिति पर सदैव विचार किया जायेगा।

श्री के० गोपाल (करुर) : ऐसा लगता है कि इन्डिया टोबैको, डी० सी० एम० तथा ब्रिटानिया जैसे एकाधिकार इस क्षेत्र में दाखिल हो रहे हैं। उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए क्या प्रभावी कार्यवाही की जायेगी ?

सभापति महोदय : प्रश्न यह है।

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव जारी
Motion of thanks on Presidents address-contd.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : In the concluding sentence of his Adress, the President said. "Let the nation heed the summons to greatness— a greatness not of conven-

tional power but of spirit." These are noble ideas, no doubt and we believe that India has t o rise to great heights. But, we see a sant of hollowness in the President's call for greatness. While the President was asking the nation to rise to greater heights, the biggest opposition grant in the House was branding the Prime Minister as forest and murderer of democracy. The conduct of the community party of Inde (Merxist, at the time of President's address is really objectionable. They could have ventilated their grievances afterwards in the House. This behaviour is impardonable. When the members of that party left the central Hall the clapping by the congress members is against all canons of parliamentary decency and decorum and is equally objectionable.

A function was organised by some citizens of Delhi in Rashtrapati Bhawan in honour of Shri Hans Raj Gupta, the Major of Delhi.

But the function was suddenly pastened; it is understood that the ruling party did not want the function to be held in Rastrapati Bhawan.

The Jain Samaj of Jaipur organized a reception in honour of newly elected members of State legislature. The members of the ruling party were asked to explain as to why did they participate together with Jan Sang members. It appears the outlook of the ruling party is not broad although they talk of greatness.

In the recent elections to State Assemblies, particularly in West Bengal, the congress adopted some tactics as were followed by Marscists. My friend Shri Stephen is here. Addresing to Marseists, he said ;

"When you start storing you must be prefered for being stoned back when you start stabbing you must be prefered to receive the stab beek."

Similar statement was made by Shri Hiren Mukherji.

He said If violence is to be met with violence it is useless to mention power of the self determination in the President's Address.

Is it not a feet that the Government burgled on the issue of Bangla Desh. Is it also not correct that if appropriate steps were taken at proper time, the lives of millions of people could have been saved. It could have avoided possible ropes, murders and killings of thousands of innocent women and children. Who is responsible for all these feinous crimes? The former chief of Army Staff Gen. Kumaramangalam said that them has been undue delay in taking action in Bengla Desh.

It can be said that the liberation of Bengla Desh was possible due to the heroic efforts of the people of that land. Is it not a fact that cease fire was agreed to under Soviet pressure ? Generl Maneckshaw said us one of his statements that had the war continued for another 5 days, Pakistan would have been crippled from 25 years.

If the cease fire was not agreed to under Soviet presure, what was the haste for unilateral declaration of cease fire ?

According to Geneva Convetion, the Prisioners of War can be returned only after treaty of peace. But Pakistan is not ready even for suession of active hostilities. The Government should not go back an inch on this issue, unless all the outstanding disputes such as compensation of war, Kashmir issue are solved.

Shri Bhutto want that India should keep Pakistan out of the difficulty. Today Pakistan President talks of humanity. When genecide was committed on Bengla Desh people, Bhutto was favouring Yahya Khan's action.

Article 119 of Geneva Convention of 1949 gives us and to Bengla Desh right to deal with war criminals. Pakistan should hand over General Tikhae Khan to Bengla Desh. If Shri Bhutto does not do that, we sholud assume that his cries for peace are without foundation. We should try to make U.S.S.R. understand that it should not save Pakistan from the camp of China and U,S.A. at the cast of India.

As a result of the recent elections, the Prime Minister has get unbriddled power. The chief Ministers of States act at the instance of Delhi. The Prime Minister's secretariot has become a parallel cabinet. Does not this state of a affairs indicate the possibility of establishment of one man's rule, This is not a healthy development for a parliamentary democracy.

Too much is said about committment-committment for what ? if it is for socialism, what sent of socialism we are airing at ? There is socialism in communist countries as well but they do not have any sort of democracy. There are communist countries where writers are being prosecuted by the Govt.

A convention of writers, artists and intellectuals was organised in December, 1971 by the Min. of Education, These persons have criticized the ministry of education for publishing a twisted version of the conclusions arried at the convention. It was all done in the name of commitment.

The task of eradication of poverty has been undertaken by the Prime Minister but no progress has been made. In fact, the Prime Minister instead of removing poverty, has succeeded in vanishing opposition. The Government does not have a clear idea as to how this problem is to be solved. The people who critisize the ruling party for it's fortaures in this field, are branded reactionaries—and these who toe their line are termed as progressives. This is realy very strange. This sent of thing does not suit our democracy.

In a recent Meeting of Federatian of Indian chamber of Commerce and Industry, the Prime Minister stated that something concrete has to be done during the coming years otherwise the people would throw the ruling party out.

The people cannot wait for 3-4 years. Something ought to be done within a year. Three things have to be done; unemployed person should be provided with employment, landlese with land and homeless with tenses.

The ruling party has get mossive majority but in spite of that defections are continuing. The process of attacking members of the opposition is continuing. They should imposs ban on defections.

Money was taken from capitalists to fight the recent elections. To check this, radical changes are necessary in the Election Laws. Even the capitalists were warned not to give money to a particular party. A committee was formed from reforming election laws. It made certain important recommendations. We can adopt the method which is being followed in West Germany. The election expenditure in West Germany is borne by the Government to a maximum extent. The elections should be fought between the parties and not between the Government and the parties. Equal apportunities should be given to all the parties from election propagenda.

A memorandum was submitted by the legislators of Haryana wherein charges have been levelled against the chief Minister. Several M. Ps asked for enquiry againet charges of consuption. The consumpted persons are being shielded. Nothing is being done against them.

I have received certain complaints that serious irregularities were committed in the

collections for National Defence Fund in Andhra Predesh. Even receipts have been issued without serial numbers. I have seen receipts wherein the signatures of Dr. Sanjiv Ready have been out and signed by Braponened Ready. Even these have been out and the receipts have been signed by Narsingh Rao Ready. This is a serious matter and should be looked into.

The future of democracy is not stake. The President's call to the nation can have some meaning if the seats of democracy are strengthened in this country.

श्री के० सूर्य नारायण (एलुरू) : अभी श्री वाजपेयी जी ने राष्ट्रीय रक्षा कोष का उल्लेख किया है। आंध्र प्रदेश के मुख मंत्री ने अभी घोषणा की है कि श्री संजीव रेड्डी तथा अन्य मित्रों द्वारा हस्ता क्षरित रसीदें मद में ले ली गई हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : माननीय सदस्य ने स्वीकार किया है कि बिना नम्बरों के रसीदें जारी की गई है।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : मैंने अपने भाषण में कहा था।

"Assuming but without conceeding"

तर्क के लिये स्वीकार करते हुए कि हिंसा हुई है। मैंने कहा था कि और कोई चाहे शिकायत करे, मार्क्सवादी, जो हिंसा में विश्वास रखते हैं, शिकायत नहीं कर सकते।

Shri Naval Kishore Sharma (Doure) ; Sir, I rise to support the motion, Not because I am a member of the ruling party but because we nave regained our last prestige. Our prestige has risen in international sphere.

It is said that Government took late decision in regard to recognition of Bengla Desh, as a result of which lakhs of people last their lives and the country had to bear a huge economic burden. But events have proved beyond doubt that the decision takes by the Government was timely.

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : There is no quorum in the house.

Mr. Chairman : The guorum bell is running...Now there is quorum.

Shri Nawal Kishore Sharma : A reference has been made thet unilateral cease-fire by India was not proper. If the war had continued for a fun days more, the war machinery of Pakistan would have crushed effectively. We had a limited goal, On achieving it, we declared cease fire. It increased our prestige.

[**श्रीमती शीला कौल पीठासीन हुईं।**
Shrimati Shiela Kaul in the Chair]

The members have expressed doubts in the fairness of elections. But I want to say that the world's largest democracy is functioning properly. The congress get the power in 1947 and it returned the power to the people on 26th Jan. 1950. These elections have proved that the democracy is secure in the hands of the people.

Some opposition members have complained that Shrimati Indira Gandhi has obtained unlimited powers and she is going to be a dictator. The members of opposition do not understand their weakness. They have no principles. They should admit their mistakes and revise their policies. It is true that a powerful opposition is necessary for healthy democracy. But in that case they have to make search of themselves.

Nothing has been mentioned regarding the three slogans -'remove poverty', 'remove unemployment', and remove injustice, in the President's Address. The President's Address has not indicated any time bonnd programme in this regard. Some provisions has been

made in the budget in this respect, But it is very much doubted whether that amount can be spent on the above programme. It is regrettable.

In villages people are not getting drinking water. They do not get electricity for their forms, The basic ammarities should immediately be provided in villages. The agriculture is the base of economy but it is being neglected.

The Government should take steps for the development of the villages. Nothing has been indicated in the President's Address regarding preparing a programme for backward people. With these words, I support the President's address.

श्री इन्दुलाल याज्ञिक (अहमदाबाद) : खाद्यान्नों और अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में लगातार वृद्धि हो रही है । बाजार में इन वस्तुओं का स्टाक जमा है फिर भी इनके मूल्य बढ़ रहे हैं। इसके लिये बड़े बड़े अनाज व्यापारी और पूंजीपति उत्तरदायी हैं ।

यह कहना उचित नहीं है कि चुनावों में धनराशि प्राप्त करने के लिये सरकार ने चीनी के मूल्य बढ़ाने की अनुमति दी है ।

हम श्री जवाहर लाल नेहरू के समय से उद्योगों में स्वदेशी और आत्मनिर्भरता की नीति अपनाते आ रहे हैं लेकिन उद्योग मंत्रालय का सचिव, विदेशी पूंजीपतियों को अनेक सुविधाएं दे रहा है ।

एकाधिकारी तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम पारित होने के बाद अधिक परमिट और लाइसेंस जारी किये गये हैं । सरकार को इस बारे में जांच करनी चाहिये ।

सरकार को सिविल सेवा के समूचे ढांचे का पुनर्गठन तथा उसमें सुधार करने के लिये एक आयोग अथवा समिति नियुक्त करनी चाहिए । सिविल सेवा के अधिकारी निर्धन और पददलितों के निष्ठावान मित्र रहे हैं । सिविल सेवा के ढांचे में समाजवाद की भावना लाना आवश्यक है ।

बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर सरकार ने उचित कार्य किया है । राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में सामान्य बीमे का राष्ट्रीयकरण करने का उल्लेख किया है । लेकिन यह खेद की बात है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण से राजस्व की अधिक प्राप्ति नहीं हुई है । हमारे राष्ट्रीयकृत उद्योगों में कुछ दोष हैं । उद्योगों में श्रमिकों के प्रति भी उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा है । श्रमिकों का सहयोग प्राप्त न होने के परिणामस्वरूप राष्ट्रीयकरण से जो आशाएं बंधी थी वे धूमिल होती जा रही हैं ।

राष्ट्रपति हरिजनों की दशा से संतुष्ट नहीं हैं । उन्होंने भूमि सम्बन्धी कानून बनाने पर बल दिया है । उन्होंने नगरीय और ग्रामीण सम्पत्ति और आय की सीमा निर्धारित करने की इच्छा व्यक्ति की है । ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक ढांचे का पुन निर्माण करने के लिये कुछ न कुछ कार्य किया जाना चाहिये ।

यह प्रसन्नता की बात है कि राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में गरीबी और बेरोजगारी के विरुद्ध युद्ध करने का आह्वान किया है । लेकिन गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रमों और नीतियों द्वारा तथा सरकार द्वारा दिये जाने वाले अनुदानों और आर्थिक सहायता से

ऐसा नहीं किया जा सकता । इस में संदेह नहीं कि इस कार्य में सरकार को महत्व पूर्ण कार्य करना होगा ।

गरीबी और बेरोजगारी से प्रभावित लोगों को जगाना होगा । गरीबी दूर करने का दायित्व केवल सरकार पर ही नहीं है । इस सम्बन्ध में जनता को केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को सहयोग देना होगा । यदि सामान्य जनता भरसक प्रयास करे, तो नगर-पालिकाओं, सरकारों पंचायतों और सहकारी समितियों के प्रयास काफी सफल सिद्ध होंगे ।

डा० कर्णी सिंह (बीकानेर) भारत-पाक युद्ध जिस विचित्र ढंग से लड़ा गया, उसके लिए मैं अपने जवानों, प्रधान मंत्री और रक्षा मंत्री को बधाई देता हूं । बंगला देश को 14 दिन में करवाने से हमें यह विश्वास हो जाता है कि हमारी संशस्त्र सेनाएं बहुत प्रभावशाली हैं और इसमें बड़े बड़े योद्धा हैं ।

बंगला देश के मामले को प्रशंसनीय ढंग से हल करने के लिये प्रधान मंत्री बधाई की पात्र हैं । बंगला देश को मुक्त कराने के बाद युद्ध बन्द करने के आदेश जारी करने से समूचे विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है ।

सरकार ने सशस्त्र सेना और पुलिस के जवानों को सम्पदा कर से छूट देकर बहुत उचित कार्य किया है ।

विधान सभा के चुनाव निष्पक्ष और स्वतन्त्र हुए हैं । सरकार ने इन चुनावों में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं किया है ।

विरोधी पक्षों द्वारा देश में विद्यमान कठिनाईयों के लिये कांग्रेस को दोषी ठहराना उचित नहीं । विरोधी पक्षों ने यह अनुभव नहीं किया कि देश को एक शक्तिशाली विरोधी पक्ष की आवश्यकता है यदि विरोधी दल आपस में लड़ते रहे, तो मुझे आश्चर्य नहीं कि आगामी चुनावों में सदन में साम्यवादी सदस्यों के अलावा कोई भी विरोधी दल का सदस्य नहीं होगा । अब समय आ गया है जब कि विरोधी दलों को अपने भीतर झांकना होगा और उन्हें कुछ न कुछ त्याग करना होगा ?

देश के हित में विरोधी दलों को एक नये दल में मिलाना होगा ।

सरकार का यह दायित्व है कि वह इस बात का प्रबन्ध करे कि देश में बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो, जिन व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध नहीं है, उन्हें मुआवजा दिया जाये ।

स्वतन्त्रता के बाद राजस्थान के पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगीकरण नहीं कियागया है राजस्थान का दौरा करने के लिये एक समिति स्थापित की गई की और उसने बीकानेर डिवीजन में उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिये एक स्थान चुना था लेकिन यह कारखाना अभी तक वहां स्थापित नहीं किया गया है, देश को विकास करने के मामले में पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता देनी होगी । सरकार को इन अल्प विकसित क्षेत्रों के विकास की और अधिक ध्यान देना चाहिये ।

रेल द्वारा अनेक क्षेत्रों को जोड़ने का अनेक बार अनुरोध किया जाता रहा है । रत्नगढ़ से देवेना होती हुई जोधपुर तक रेल लाइन बिछानी चाहिये ।

स्वतन्त्रता की प्राप्ति के पश्चात् केवल 6 मील लम्बी रेल लाइन बिछाई गई है। राज्य में अनेक क्षेत्रों का विकास नई रेलवे लाइनें बिछाकर किया जा सकता है।

नलकूपों के लिये बड़ी धनराशि की व्यवस्था की गई है। लेकिन गांवों में जहां उन्हें खोदा गया है, मशीनें काम नहीं कर रही हैं। मशीनों की मरम्मत करने के लिये उचित कार्यवाही की जानी चाहिये।

गांवों में विद्युतीकरण का मामला अनेक वर्षो से खटाई में बड़ा हुआ है, सरकार को इस बारे में आदेश जारी करने चाहिये कि ऐसी मशीनरी की स्थापना की जाये, जिससे यह कार्य शीघ्रता से पूरा हो सके।

राजस्थान नहर को केन्द्रीय सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। प्रत्येक दूसरे वर्ष हम अकाल कार्य के लिये केन्द्र की सहायता मांगते हैं। यदि हमारे पास सिचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध हों, तो केन्द्र से सहायता मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमें पानी की आवश्यकता है और सरकार की इस ओर ईमानदारी से विचार करना चाहिये।

कोई भी देश में काला धन देखना नहीं चाहता। हमारे कराधान का ढांचा और कानून अवास्तविक है। इसके कारण नागरिकों के पास काले धन के सिवा बचने के लिये कोई उपाय नहीं है। काले धन के बिना चुनाव नहीं लड़े जा सकते।

वांचू समिति ने अपने प्रतिवेदन में यह स्पष्ट कर दिया है कि कराधान क्रम कितना अधिक है। इसी कारण लोग काले धन का सहारा लेते हैं। प्रो० कालदोर ने उल्लेख किया है कि प्रत्यक्ष कराधान का सब भार 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये। भारत में यह भार २० प्रतिशत हो गयी है। सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए।

कराधान स्लैब इतने वास्तविक होने चाहियें कि वे जनता की भुगतान क्षमता की सीमा में हों।

शहरी सम्पत्ति की सीमा निर्धारित करने के मामले ने देश में आतंक फैला रखा है। दिल्ली, बम्बई अथवा कलकत्ते जैसे बड़े नगरों में सम्पत्ति की कीमत के बारे में विचार किया जाना चाहिये। शहरी सम्पत्ति पर वास्तविकता के आधार पर सीमा लगाई जानी चाहिये। ऐसा करते समय बढ़ते हुए मूल्यों, सामान की कीमत आदि को ध्यान में रखा जाना चाहिये।

हमारे देश में प्रत्येक कर्मचारी के लिये मकान की व्यवस्था की जानी चाहिये।

भूतपूर्व नरेशों की निजी थैलियां समाप्त करने के परिणाम स्वरूप लगभग दो लाख कर्मचारी बेरोजगार हो जायेगें। सरकार को इन लोगों को रोजगार देने के लिये विशेष व्यवस्था करनी चाहिये।

ओलम्पिक खेल निकट आ रहे हैं। हमारी हाकी टीम के विजयी होने में खतरा है। यदि हम टीम के चयन और प्रशिक्षण की सुविधाओं की ओर ध्यान नहीं देते और इस दिशा में शीघ्र कार्यवाही नहीं करते तो हमें अपने विजयी होने में खतरा है।

टीम का चयन और उसके प्रशिक्षण की व्यवस्था सरकार द्वारा उच्च स्तर पर की जानी चाहिये।

दक्षिण अफ्रीका द्वारा खेलकूदों में भाग लेने पर भारत उन खेलकूदों में भाग नहीं लेता। रूस सरकार भी रंगभेद की नीति में विश्वास नहीं करती फिर भी दक्षिण अफ्रीका द्वारा खेलकूद में भाग लेने पर भी वह उसमें भाग लेती है। खेलकूद और राजनीति दो भिन्न भिन्न बातें हैं। हमें अपने खिलाड़ियों के भविष्य इस प्रकार नहीं बिगाड़ने चाहियें। सरकार को इस मामले पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

'गरीबी हटाओ' का नारा बहुत महत्वपूर्ण है। हम 'गरीबी हटाओ' को भूलकर 'अमीरी हटाओ' को अपना रहे हैं। यह नकारात्मक दृष्टिकोण है। हमें लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना चाहिये।

मुझे विश्वास है कि सदन के सब वर्ग, प्रशासन में व्यापत भ्रष्टाचार, गरीबी, और मूल्य वृद्धि की समस्याओं का मिलकर मुकाबला करेंगे।

श्री राजा कुलकर्णी (बम्बई—उत्तर पूर्व) : विश्व के समस्त देश प्रधान मंत्री की प्रशंसा कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि भारत में लोकतन्त्र सुरक्षित और मजबूत है।

श्री वाजपेयी को इस बात की शंका है कि प्रधान मंत्री को इतनी अधिक शक्ति प्राप्त होने से फासिस्टवाद न आ जाये। श्रीमती इन्दिरा गाँधी को श्री वाजपेयी ने इतनी शक्तियां नहीं दी हैं बल्कि जनता ने उन्हें इतनी अधिक शक्तियां दी हैं। जनता ने भारी बहुमत से कांग्रेस के पक्ष में निर्णय देकर स्थिरता कायम की है।

गत एक वर्ष में जनता केन्द्र तथा राज्यों में राजनीतिक स्थिरता लाई है। गत चुनावों में यदि विपक्षी दलों को हार खानी पड़ी है तो उसके लिये उनकी ही नीतियां उत्तरदाई हैं। इसमें सत्तारूढ़ दल का कोई दोष नहीं है। अतः विपक्षी दल को कांग्रेस विरोधी अभियान को त्याग कर जनता के हित के लिए कार्य करने चाहियें।

राजनीतिक स्थिरता के पश्चात देश ने कुछ कार्यक्रम बनाये हैं जिनका उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाना है। प्रजातांत्रिक समाजवाद का सिद्धांत संविधान में पहले ही विद्यमान है अतः अब उसी सिद्धान्त के अनुकूल ऐसे तरीकों का पता लगाना है जिनसे सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन आ सके।

जनता इस तथ्य से भलीभाँति अवगत थी कि केवल श्रीमती इन्दिरा गाँधी तथा उनकी सरकार ही देश में ऐसे परिवर्तन ला सकती है जिनसे जनता का हित होगा। उसे पता है कि केवल इन्हीं के नेतृत्व में सामाजिक और आर्थिक क्रांति आ सकती है। आज वह क्रान्ति आरम्भ हो गई है। समाजवाद के सिद्धांत को कार्यरूप में परिणत किया जाना आरम्भ हो चुका है। सामाजिक ढाँचे में परिवर्तन के लिये लक्ष्य निर्धारित किया जा चुका है तथा कार्यक्रम बनाया जा चुका है।

कांग्रेस की विजय का सार यह है कि आम जनता की कार्य करने की क्षमता पर कोई बन्धन नहीं रहा। श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में आर्थिक प्रगति तथा सामाजिक न्याय—इन पक्षों को साथ-साथ उठाया गया है।

1920 में गाँधी जी के समक्ष भी यही समस्या थी कि सामाजिक सुधार को प्राथमिकता

प्रदान की जाय अथवा राजनीतिक सुधार को। श्रीमती इन्दिरा गांधी के समक्ष भी यही समस्याएं हैं कि सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दी जाये अथवा आर्थिक प्रगति को। गांधी जी के समान ही श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इन दोनों ही बातों की समान आवश्यकता महसूस की तथा दोनों को साथ-साथ लेकर एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया। इस आर्थिक स्वराज्य की प्राप्ति के लिये समाज के भिन्न वर्गों के लिए भिन्न उत्तरदायित्व सौंपे जा सकते हैं। कार्मिक संघों की यह मांग है आर्थिक प्रगति के साथ-साथ श्रमिकों को सामाजिक न्याय भी मिलना चाहिये। हम हड़तालों पर कानूनी रोक नहीं लगाना चाहते किन्तु हम यह भी चाहते हैं कि श्रमिकों की सभी न्यायोचित मांगों को पूरा किया जाये जिससे वे अनुभव करें कि उन्हें सामाजिक न्याय मिल रहा है।

इस संदर्भ में मेरा सभी राजनीतिक दलों से निवेदन है कि वे एक होकर तथा मिल कर कार्य करें जैसे हमने बंगला देश की आजादी के सम्बन्ध में एकता से कार्य किया है। समाज के सभी वर्गों को श्रीमती इन्दिरा गांधी के साथ मिलकर कार्य करना चाहिये जिससे देश में शीघ्र परिवर्तन आ सके। इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री के० बालतन्डायुतम (कोयम्बटूर) : हाल के युद्ध में तथा चुनावों में प्राप्त विजय के संदर्भ में राष्ट्रपति का अभिभाषण हतोत्साह करने वाला रहा। युद्ध तथा चुनावों में हमने आन्तरिक साम्राज्यवादी शक्तियों तथा उनके विदेशी मित्रों को परास्त किया। किन्तु राष्ट्रपति के अभिभाषण में निहित सरकारी नीतियों से ज्ञात होता है कि सरकार नए उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने में असमर्थ है तथा वह भयभीत भी है।

युद्ध में सामने शत्रु होता है और जब सरकार गरीबी से लड़ना चाहती है तो क्या उसने उस शत्रु का शत्रुओं की पहचान करली है जो देश में गरीबी लाने के लिये उत्तरदाई हैं हमारा देश जनशक्ति तथा अन्य संसाधनों की दृष्टि से गरीब नहीं है। फिर वह कौनसी शक्तियां हैं जिन्होंने हमें गरीब बनाया है ?

[**श्री आर० डी० भण्डारे पीठासीन हुए**
Shri R. D. Bhandare in the Chair]

निस्संदेह सरकार ने सराहनीय कदम उठाने का निर्णय किया है किन्तु जब तक वह देश से पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त नहीं करती जो देश में गरीबी लाने के लिये उत्तरदायी है, तब तक वह अपने प्रयत्न में सफल नहीं हो सकती। देश की सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता, और गरीबी नहीं हट सकती। इसके अतिरिक्त जिस समय देश पर निक्सन-चाऊ-याह्या खान की ओर से खतरा उत्पन्न हुआ था, तब भारत-रूस संधि का भी उस वातावरण पर प्रभाव पड़ा था जिसका अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया। इतना ही नहीं, भारत ने जो वृत्त चित्र बनाया उसमें बंगला देश में हुई सभी घटनाओं को प्रदर्शित किया गया किन्तु उसमें इस बात का कहीं उल्लेख नहीं किया गया कि भारत-रूस की संधि ने बंगला देश को स्वतन्त्रता दिलाने में तथा अमरीकी सातवें बेड़े को खाड़ी में अकर्मण्यरूप से खड़े होने को विवश करने में कितना योगदान दिया। आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते समय सरकार यह भी नहीं बताती कि कौन हमारा शत्रु है और कौन हमारा मित्र है। आत्म-विश्वास और आत्म-निर्भरता ठीक है किन्तु यदि कोई देश हमें उस देश के विरुद्ध सहायता देना चाहता है, जो हमारा

शोषण करना चाहे, तो उससे मदद लेना बुरा नहीं है तथा उसको अपना मित्र कहने में कोई दोष नहीं है। देश का बच्चा-बच्चा जानता है कि अमरीका ने शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया है तथा रूस ने हमारे साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार किया है।

बैंक राष्ट्रीयकरण तथा कुछ अन्य कार्यों के कारण प्रधानमंत्री को देश की जनता ने सम्मान दिया है। किन्तु मुझे आश्चर्य है कि प्रधान मंत्री वर्तमान सामाजिक-आर्थिक ढांचे में परिवर्तन लाए बिना देश से गरीबी मिटाना चाहती है। प्रधान मंत्री को देश से पहले विदेशी पूंजीनिवेश को समाप्त करना चाहिये था जो दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है उसके पश्चात् गरीबी हटाने का प्रयत्न करना चाहिये था। भारत में लगी विदेशी पूंजी से हमें उतना लाभ नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिये था। सरकार ने विदेशी तेल कम्पनियों जैसी विदेशी कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय नहीं किया जिनके द्वारा भारत तथा विदेशों में काला धन छुपाया जा रहा है। विदेशी बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में भी नही सोचा गया।

आश्चर्य है कि आर्थिक स्वराज्य के नाम पर विदेशी पूंजी देश में लगाई जा रही है तथा ब्रिटेन यथा नीदरलैंड को भारत में परियोजनाएं स्थापित करने की अनुमति दी जा रही है।

एकाधिकार को समाप्त करने के बारे में बड़ी-बड़ी बातें कही जा रही हैं जबकि बस्तुस्थिति यह है कि 40 प्रतिशत निवेश योग्य पूंजी इन्हीं एकाधिकार प्राप्त उद्योगपतियों के पास है। उन्हें 54 नए लाइसेंस दिये गये हैं तथा जब इसकी आलोचना की जाती है तो सरकार इस बारे में असमर्थता व्यक्त कर देती है। जिस प्रकार से सरकार कार्य करती है तथा करना चाहती है उस प्रकार वह एकाधिकार समाप्त करने में कभी सफल नहीं हो सकती। स्वयं प्रधान मन्त्री ने इस एकाधिकार प्राप्त पूंजीपतियों में एक नई योग्यता का अनुभव किया है तथा उन्होंने जनता और इन पूंजीपतियों से यह अपील की है कि वे संयुक्त रूप से कार्य करें। इस सराहनीय विजय के पश्चात उन्होंने एकाधिकार प्राप्त व्यक्तियों से सहयोग की मांग की है जबकि जनता सामाजिक-आर्थिक ढांचे में परिवर्तन चाहती है तथा सरकार ने उसका वायदा भी किया है।

तीसरा शत्रु भूस्वामियों को बताया गया है। तमिलनाडु में भूमि की अधिकतम सीमा के बारे में जो कानून बनाया गया है, केन्द्र सरकार ने उसकी अभी जांच तक नहीं की। तमिलनाडु सरकार ने भूमि की अधिकतम सीमा 30 एकड़ से घटाकर 15 एकड़ कर दी है किन्तु साथ-साथ अल्प व्यस्कों में भूमि के बंटवारे की अनुमति दी गई है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत एक परिवार के पास अधिक भूमि रह सकती है। नए कानून के अन्तर्गत वही परिवार और अधिक भूमि खरीद सकता है जबकि पुराने के अनुसार उसे पहली भूमि से भी कुछ भाग छोड़ना पड़ता। यह नया कानून एकदम असफल है तथापि राष्ट्रपति के अभिभाषण में उसकी भारी सराहना की गई है।

तमिलनाडु सरकार ने औद्योगिक विकास और विनिमयन अधिनियम के अनुसरण में जो कतिपय कानून बनाये हैं, हम निस्संदेह उनकी सराहना करते हैं। एक अधिनियम के अन्तर्गत तमिलनाडु सरकार बन्द पड़ी मिलों को अपने अधिकार में ले सकती है। इस संदर्भ में बलराम वर्मा टैक्सटाइल मिल की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता, हूं जिसको तमिलनाडु सरकार ने अभी तक अपने अधिकार में लेकर चालू नहीं किया गया है, यद्यपि इससे सम्बन्धित जांच कार्य

दो वर्ष पूर्व पूरा हो चुका है। अभी तक उस मिल को अधिकार में नहीं लिया गया। मालिकों ने वित्त मंत्रालय के कुछ अधिकारियों से मिलकर मामले को रुकवा दिया है। जब भी हम इस बारे में सरकार से पूछते हैं तो सरकार भी उत्तर देती हैं कि मिल को अधिकार में लिया जा रहा है।

तमिलनाडु में सभी सूती कपड़ मजदूरों ने लगभग एक महीने तक हड़ताल की। उसके उपरांत भी चार-पांच मिलें बन्द पड़ी हैं तथा उत्पादन में कमी दी गई है। प्रधान मन्त्री अब एफ० आई० सी० सी० के सदस्यों के साथ एकाधिकार प्राप्त उद्योगपतियों के सहयोग से नये उद्योग चलाना चाहती हैं।

सरकार को केन्द्र राज्य सम्बन्धों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। तमिलनाडू में एक नारा लगाया जा रहा है कि बंगला देश में मुर्जीबुर्रहमान ने उर्दू के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और हम हिन्दी के विरुद्ध लड़ रहे हैं। इसके साथ ही वह क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। उनकी इस आवाज का कारण यह है कि वह जानते हैं कि केन्द्र सरकार केन्द्र राज्य सम्बन्धों के प्रात जागरूक नहीं है।

जहां तक राज्यों द्वारा जमा राशि से अधिक राशि निकालने का प्रश्न है, केन्द्र सरकार ने इस बात ही जांच की थी की क्या राज्य सरकारों के पास आवश्यक विकास कार्यों तथा जनता की हालत सुधारने के लिए पर्याप्त साधन प्राप्त हैं अथवा नहीं। केन्द्र सरकार समझती है कि वह दिल्ली में बैठकर राज्यों के ऊपर शासक करने में समर्थ है। अत: उनकी कठिनाइयों की चिंता क्यों की जाए। आज जो व्यक्ति देश में क्षेत्रीय स्वायत्तता आदि का नारा बुलन्द कर रहे हैं वे अकेले नहीं हैं। उन्हें विदेशी शक्तियों से प्रोत्साहन मिला हुआ है। सरकार देश में उठती इस आवाज को शस्त्रों से बन्द नहीं कर सकती। उनके लिये उसे देखना होगा कि क्या उनकी मांगें उचित हैं ? क्या वास्तव में वे आर्थिक दृष्टि से संकटग्रस्त हैं तथा क्या उन्हें अधिक शक्तियां और अधिक वित्तीय सहायता नहीं मिलनी चाहिए ? यदि सरकार आवश्यक समझे तो उसे केन्द्र राज्य सम्बन्धों के बारे में संविधान में संशोधन भी करना चाहिए।

सरकार ने श्रमिकों से आग्रह किया है कि कुछ समय तक हड़ताल न की जाए किन्तु जब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने श्रमिकों के प्रतिनिधित्व की बात आती है तो उनका प्रबन्ध नितांत असंतोषजनक है। उनमें नौकरशाही के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों में किसानों, श्रमिकों तथा ग्राम जनता के प्रतिनिधियों के नाम पर इंटक को 9 सीटें दी जाती हैं। सरकार ने अखिल भारत कार्मिक संघ कांग्रेस के केवल दो प्रतिनिधि लिये हैं। श्रमिकों के प्रतिनिधियों के नाम पर सरकार अपने व्यक्तियों को उन बोर्डों में भर देती है। इस प्रकार सरकार जनता और श्रमिकों की भावनाओं का किस प्रकार आदर कर सकती है।

सत्तारूढ़ दल में भूतपूर्व महाराजाओं की निजी थैलियों और विशेषाधिकारों की समाप्ति के नाम पर चुनाव लड़े। लेकिन आई० सी० एस० अधिकारियों के विशेषाधिकारों को समाप्त किये जाने के बारे में सरकार राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से एक बात भी नहीं की। इन्हीं अधिकारियां तथा नौकरशाही के कारण आधार की नीतियाँ तथा कार्यक्रम पूरे नहीं हो पाते फिर भी सरकार उनके विशेषाधिकारों को समाप्त नहीं करना चाहती। राज्य सभा में इस

सम्बन्ध में एक गैर-सरकारी विधेयक लाया गया था जिसके बारे में कोई उल्लेख नहीं दिया गया।

एकाधिकार प्राप्त समाचार पत्र गृहों के उद्योगिक गठबन्धन को समाप्त करने के विषय में सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया।

सरकार जन प्रचार माध्यम पर किस प्रकार नियंत्रण करना चाहती है। यूनाइटिड कमर्शियल बैंक द्वारा अवमूल्यन के बारे में हुए लीकेज को लेकर राज्य सभा में भारी हंगामा हुआ था किन्तु सरकार ने दोषी व्यक्तियों का पता लगाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया।

सभापति महोदय : आप का समय समाप्त हो गया है।

श्री के० बालतंडायुतम : आपने अन्य सदस्यों के प्रति समय के बारे में उदारता बरती है किन्तु मेरे बारे में आप समय की इतनी पाबंदी बरत रहे हैं। यह भेदभाव पूर्ण है। मैं इसके विरोध में बैठ जाता हूं। (व्यवधान)

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : माननी सदस्य को 23 मिनट दिए गये हैं उसके बाद भी उनका 'भेदभाव' शब्द का उपयोग करना अनुचित है। उन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहिये।

श्री के० बालतन्डायुतम : मैं यहां बैठा देखता रहा हूं कि कई माननीय सदस्यों को उनके लिए निर्धारित समय से 10 या 12 मिनट तक अधिक दिये गये हैं। किन्तु मुझे बैठ जाने को कह दिया गया। यह भेदभाव नहीं है तो और क्या है। मैं अपने शब्द वापस नहीं ले सकता।

Shri Md. Jamilurrahman (Kishan Ganj) : Being a new member of Parliament, I wanted to be benefitted with the experience of the hon. Members and to discuss certain points which are importants for the betterment of the people of our country. I was disturbed with the situation developed in the country and outside in the recent past but after listening to the hon. Members, I realise that future would be more bright for us.

[**श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए।**
Shrj K. N. Tiwari in the Chair]

I feel that all of our policies and programmes would never be implemented unless our democratic set up is well organised and strong. It was stated by Shri Bhutto in his first speech after he became President that since 'Governments were not accountable to the people' they had to hear all these consequences. But in our country democracy has taken firm roots. In every election people take into account the performance of various political parties and decide as to which party should be allowed to rule the country. The people gave chance to opposition parties also to rule in certain states but being not satisfied by their performance, they voted them out. It is not correct to say that elections were not fair. When opposition parties were supported by the people in certain station they never said that election were unfair.

Sir, we want friendship with China but she has adopted a hostile attitude towards us. The Prime Minister of India, Shrimati Indira Gandhi even after war with Pakistan, has stated several times that we want friendly relations with the people of Pakistan as we have done nothing wrong to them. Actually the countries which gave arms to Pakistan, have harmed Pakistan.

The creation of Bangla Desh and the strong ties of friendship between two countries are the beginning of bright future, for our sub-continent. It should be welcomed by all. What happened in Bangla Desh is the sad story of atrocities and crualty by Muslims on the Muslims. Sheikh Muziburrahman fought for secularism and democracy against the forces of communalism.

What we have achieved in the leadership of the Prime Minister is faith in the future. I can say with confidence that tomorrow is ours.

प्रो० एस० एल० सक्सेना (महराजगंज) : धन्यवाद प्रस्ताव पर दिये गये संशोधनों पर बोलने से पूर्व में प्रधान मंत्री, रक्षा मंत्री तथा सेना के तीनों सेनाध्यक्षों को बधाई देना चाहता हूं।

बंगला देश को मुक्त कराने के बाद विश्व में हमारे राष्ट्र का स्थान ऊंचा हुआ है। गत भारत-पाक युद्ध में हमारी विजय पर राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री तथा सेनाओं को धन्यवाद दिया है। गत चुनावों में प्रधान मंत्री को भारी बहुमत मिला है। अब वह 'गरीबी हटाओ' नारे को साकार रूप प्रदान करेंगी। यदि ऐसा नहीं किया गया तो जनता निराश हो जायेगी।

हमारे देश की सबसे कठिन समस्या बेरोजगारी है। यदि इसे दूर कर दिया गया तो हम देश की बड़ी भारी समस्या दूर कर लेंगे।

कई बार प्रतिज्ञायें की गई हैं कि भूमिहीनों में भूमि वितरित की जायेगी। कई राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने भूमि सुधार को अपने कार्यक्रमों में सर्वोच्च स्थान देने का वादा किया है। यह तभी संभव है जब अधिकतम सीमा निर्धारित की जाये तथा अतिरिक्त भूमि भूमिहीनों में वितरित की जाये।

चीनी कारखानों के मजदूरों, को बहुत ही कम मजूरी मिल रही है। उनके साथ न्याय करने के लिये चीनी उद्योग के लिये तीसरा मजूरी बोर्ड शीघ्र नियुक्त करके उससे प्रतिवेदन मांगा जाना चाहिये।

चीनी उद्योग के मजदूर वर्ष में छह महीने बिना रोजगार के रहते हैं। उनकी बेरोजगारी के दिनों में उन्हें वेतन का कुछ भाग मिलना चाहिये।

चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये। बम्बई में हुये कांग्रेस के अधिवेशन में एक संकल्प पारित किया गया था कि उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग का राष्ट्रीकरण किया जाना चाहिये इसके परिणाम स्वरूप चीनी उद्योग के मालिकों ने कारखानों से कीमती मशीनें हटा लीं। अब कारखानों में चीनी के मौसम में कई बार काम ठप्प हो जाता है। सरकार को यदि राष्ट्रीयकरण करना है तो उसे इसकी घोषणा कर देनी चाहिये। यदि राष्ट्रीयकरण नहीं करना है तो, यह कह देना चाहिये कि राष्ट्रीयकरण नहीं किया जायेगा ताकि मालिक अच्छी मशीनों के लिये धन लगा सकें।

गन्ना उत्पादकों को उनकी देय राशि नहीं मिली है। उन्हें 10 रुपये की वृद्धि दी गई थी जबकि चीनी का मूल्य काफी बढ़ गया है। चीनी के मूल्य में वृद्धि का लाभ उन्हें मिलना चाहिये।

Shri Shashi Bhushan (South Delhi) : Sometime ago, efforts were going on to form a coulition of the Jan Sangh, The Socialist Party, the Socialist Party, the Swatantra Party and

the Congress (O) at the central level. And that plan been successful, democracy would have been doomed in this country. At that time, could we have thought of libeyration of Bangla Desh ? Could we give them any help ? It is only because there is democracy in this country and there is a democratic Government here, that Sheikh Mujib and his party requested for help from us and we gave that help to them. It has been said that we gave recognition to Bangla Desh afte- considerable delay. In fact, from the very first day when the refugees entered our territory we managed to import guerilla training to the youth of Bangla Desh and trained one lakh youngman.

On the one hand, guerilla warfare training was being imparted to the youngman and on the other. efforts were being made to mobilise world opinion. The Members of Parliament of Bangla Desh were enabled to escape.

When Mr. Kissinger visited India, a reactionary atmosphere was being created in the country. Mr. Kissinger then made a secret visit to China and announced friendship with that country to give a final shock to India. But in the meantime, we succeeded in establishing friendly relations with the U.S.S.R.

Mr. Chairman : The hon. Member may continue his speech to-morrow.

Mr. L. N. Mishra

भारत और बंगला देश के बीच हुए व्यापार समझौते के बारे में वक्तव्य ।
Statement Re : Trade Agreement Between India and Bangla Desh

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : बंगला देश के व्यापार और वाणिज्य मत्री महामहिम एम० आर० सिद्दीकी के नेतृत्व में आये शिष्टमंडल के साथ हुई कल की बातचीत के अनुसरण में भारत और बंगला देश के बीच एक व्यापार समझौता तत्काल लागू होगा और पहले एक वर्ष की अवधि के लिये लागू रहेगा ।

समझौते का उद्देश्य पारस्परिक हितों के आधार पर दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना तथा इसका विस्तार करना है ।

भारत तथा बंगला देश के प्रधान मत्रियों के संयुक्त वक्तव्य में यह बात कही गई है जिसमें यह स्वीकार किया गया है कि व्यापार और विकास के क्षेत्रों में दोनों सरकारों के बीच हुए घनिष्ठ सहयोग से दोनों देशों के जनसाधारण लाभान्वित होने चाहिए ।

उक्त व्यापार की निम्नलिखित तीन निः श्रेणियां होंगी:—

(एक) एक सीमा व्यापार व्यवस्था जो भूमि सीमा-शुल्क सीमाओं के दोनों ओर के देहाती क्षेत्रों के लोगों की दैनिक आवश्यकताएं पूरी करने के लिये नाशवान वस्तुओं के व्यापार में सुविधा प्रदान करेगी । जिन व्यक्तियों के पास विशेष 'परमिट' होंगे और जो सीमा के दोनों क्षेत्रों में से किसी भी क्षेत्र के सोलह किलोमीटर के अन्दर रहते हो, उन्हें यह सुविधा दी जायेगी ।

(दो) बंगला देश की अंतः कालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये दोनों सरकारें एक अन्तरित व्यवस्था पर सहमत हो गई हैं जिसके अन्तर्गत दोनों देशों में निर्मित परस्पर विशेष हित की वस्तुओं तथा सामान का आयात निर्यात किया जायेगा जो 25 करोड़ रुपये के संतुलित आधार पर होगा । भारत से बंगला देश को अन्य चीजों के अलावा सीमेंट, कोयला, कच्चा तम्बाकू, सूती धागा, एसफाल्ट सप्लाई किये

जायेंगे। बंगला देश से इस संतुलित व्यापार के अन्तर्गत जिन वस्तुओं का आयात किया जायेगा उनमें ताजा मछलियां, कच्चा पटसन, अखबारी कागज, फरनेस तेल, पटसन, बैचिंग तेल और नैफ्था आदि शामिल हैं। यह व्यापार स्टेट बैंक आफ इंडिया, कलकत्ता और बंगला देश सरकार द्वारा स्थापित किये जाने वाले बैंक के माध्यम से विशेष लेखों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(तीन) दोनों देश सहमत हो गये हैं कि अपने देशों के सामान्य नियमों एवं विनिमयो के अनुसार उन वस्तुओं के आयात-निर्यात को अनुमति दी जायेगी जो संतुलित व्यवस्था के अन्तर्गत नहीं हैं।

दोनों सरकारें इस बात पर भी सहमत हो गयी हैं कि उनके बीच वाणिज्य के लिये सड़कों, रेलों तथा जलमार्गों के प्रयोग करने हेतु परस्पर लाभकारी व्यवस्था की जाएगी। दोनों देश एक दूसरे के वाणिज्य के विकास के सम्बन्ध में 'सर्वाधिक रियायत वाले राष्ट्र की सुविधा' प्रदान करेंगे।

दोनों देश एक दूसरे के देश में विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में होने वाली धोखेबाजी तथा विनियमों के उल्लंघनों को रोकने के लिये प्रभावशाली ढंग से सहयोग देंगे।

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, 30 मार्च, 1972/
10 चैत्र, 1894 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Thrssday March 30, 1972/ Chaitra 10, 1894 (S)

Ashoka Printing Works, Modinagar.